द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक ३

गुरुवार, १६ फरवरी, १९६१
२७ माघ, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १ से १०—१४ से २७ फरवरी, १९६१/२५ माघ से ८ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक १—मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१/२५ माघ, १८८२ (शक)

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
निधन संबंधी उल्लेख	१
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया . .	२—७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	७—८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८—९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०—६१ . .	९
सदस्य द्वारा पद त्याग	९
प्रसूति लाभ विधेयक	१०
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	
बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . .	१०
दैनिक संक्षेपिका	११—१३

अंक २—बुधवार, १५ फरवरी, १९६१/माघ २६, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ और २३ . . .	१५—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९ से २२ और २४ से ४२ .	३७—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४५ और ४७ से ५७ . .	५२—८०
स्थगन प्रस्ताव	
कुछ बैंकों को शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न स्थिति .	८०—८२
कांगों की स्थिति के बारे में वक्तव्य	८२—८६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८७—९१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०—६१ . . .	९१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	९१—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि . . .	९३
रेलवे अनिवार्यक (१९६१—६२)—उपस्थापित . . .	९४—१२०
दैनिक संक्षेपिका	१२१—१२८

अंक ३—गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ, १८८२ (शक) **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४६, ४८ से ५५ और ५७ . १२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ५६ और ५८ से ८२ . . १५५—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ से १४८ और १५० से १६३ . १६७—२२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर में शुद्धि . . . २२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२१–२२

प्राक्कलन समिति—

सौवां प्रतिवेदन २२३

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड २२३

सभा का कार्य २२४

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . . २२४

विचार प्रस्ताव . . . . . २२४—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन २६४

कार्य मंत्रणा समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन २६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६६—७३

अंक ४—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१/२८ माघ, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ९३ . . . . २७५—३०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ और ९४ से १४० . . . ३०१—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ से २५१ . . . ३२४—६२

दिनांक १६-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि . ३६२

स्थगत प्रस्तावों के बारे में ३६२–६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६३–६४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन ३६४

प्रसूति लाभ विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ३६४

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर में शुद्धि . . .	३६५
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकसठवां प्रतिवेदन . .	३६५
सभा का कार्य . . .	३६५—६६
समिति का निर्वाचन--	
मानव विज्ञान के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड	३६६
सभा के कार्य के बारे में	३६६
द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . .	३६६—८७
खंड २ से ८	३६९—८७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियत्तरवां प्रतिवेदन	३८७—८८
कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प--	
अस्वीकृत	३८८—९४
राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध सम्बन्धी संकल्प	३९५--४०६
दैनिक संक्षेपिका	४०७

अंक ५—सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १५४ और १५७	४१५--४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१, १५५, १५६, और १५८ से १६७	४४२—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २८८	४४८—६४
निधन सम्बन्धी उल्लेख	४६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४६४
प्रक्कलन समिति--	४६५
एकसौ छै वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी	४६५—६८
समिति के लिये निर्वाचन —	
राजघाट समाधि समिति	४६८
द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०—	

विषय	पृष्ठ
खण्ड ३, ६ और अधिनियम सूत्र	४६८
पारित करने का प्रस्ताव	४६९—७४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४७४—५१८
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१९—२२

अंक ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १७१ और १७४ से १८२	५२३—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७३, १८३ से २०६	५४९—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ से ३५४	५६५—९३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	५९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	५९४—९७
रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका .	५९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
"हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड", दिल्ली का बन्द होना .	५९७
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—पुरःस्थापित .	५९८
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया . . .	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	५९९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५९९—६३९
दैनिक संक्षेपिका . . .	६४०—४७

अंक ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २१२, २१४, २१६ और २१८ .	६४७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २१५, २१७, २१९ से २५० .	६७०—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ से ३५८ और ३६० से ४१५ .	६८७—७१३
स्थगन प्रस्ताव—	
चीनी आक्रमण का कथित खतरा . . .	७१४

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७१४—१७
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ तीनवां प्रतिवेदन	७१७
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७१७—५९
दैनिक संक्षेपिका . . .	७६०—६७

अंक ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २६३, २५२ से २५९, और २६८ .	७७१—९४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . .	७९४—९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६२, २६४ से २६७ और २६९ से २८०	७९६—८०६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४७० .	८०६—३२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	८३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	८३३
रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका . . .	८३३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	८३३—६१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१	८६१—६८
दैनिक संक्षेपिका	८६९—७३

अंक ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१ / ५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६	८७५—९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७	८९८—९१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४	९१०—४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९४६
लोक लेखा समिति—	
तेतीसवां प्रतिवेदन .	९४६
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तवां प्रतिवेदन	९४६

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य . .	६४७
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	४७—४८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१ . .	६४८—७४
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) .	६७४
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का—पुरःस्थापित .	६७४
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१-क का रखा जाना) श्री तंगामणि का—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	६७४—७८
सदस्य की गिरफ्तारी	६८१
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) श्री अजित सिंह सरहदी का—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	६८२
परिचालन करने का संशोधन—स्वीकृत हुआ . .	६८२—८८
ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक—	
श्री अरविन्द घोषाल का—	
विचार करने का प्रस्ताव	६८८
दैनिक संक्षेपिका . .	६८९—९४
अंक १०, सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	९९५
दैनिक संक्षेपिका .	९९६

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—2079 (Ai) LSD—27-3-61—125

लोक-सभा

गुरुवार, १६ फरवरी, १९६१

२७ माघ, १८८२ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र

+

†*४३. श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० ग० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उस्मान अली खाँ :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बै० च० मलिक :
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के परामर्श से कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं; परन्तु वित्त और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों के परामर्श से इस प्रस्थापना से उत्पन्न होने वाली

†मूल अंग्रेजी में

192 5 (Ai) LS—1.

विभिन्न समस्याओं को निपटा लिया गया है और आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री सै० अ० मेहदी : क्या इस क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने का भी कोई विचार है ?

†श्री राज बहादुर : वास्तविक उद्देश्य तो यही है कि वहां पर उद्योगों की स्थापना के लिये ऐसी सुविधायें दी जा सकें ।

†श्री सै० अ० मेहदी : क्या किसी और पत्तन को भी निर्बाध क्षेत्र बनाने का कोई विचार है ?

†श्री राज बहादुर : यह कार्य हमने काण्डला से ही प्रारम्भ किया है और यदि यह प्रयोग सफल हो गया, तो इसे अन्य पत्तनों पर भी लागू किया जायेगा । परन्तु उसका उत्तर इस समय देना कठिन है ।

†श्री खीमजी : क्या यह सच है कि इस निर्बाध व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी उद्योगपतियों से कई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

†श्री राज बहादुर : जी, हां ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस मंत्रालय और वित्त और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में किन किन समस्याओं को निपटाना अभी रह गया है और क्या वे ऐसी समस्याएं हैं कि उन पर इतना अधिक समय लग रहा है ?

†श्री राज बहादुर : वे समस्यायें वास्तव में उलझन पूर्ण समस्यायें हैं—हमें आयात, सीमा-शुल्क खण्ड और अन्य मामलों में कुछ छूट देनी पड़ेगी और हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस के लिये किये जाने वाले सुरक्षा सम्बन्ध कार्य पर्याप्त हों । इन सभी बातों के सम्बन्ध में बातचीत हो चुकी है और आशा है कि शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ।

†श्री. दामानी : उस क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे और वे कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

†श्री राज बहादुर : उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में हमें कई सुझाव प्राप्त हो चुके हैं ; पहले उनकी स्थापना के बारे में निर्णय करना है । आशा है कि इस कार्य में अधिक समय नहीं लगेगा । उद्योगों के लिये स्थान चुन लिया गया है और क्षेत्र को १६० एकड़ से बढ़ाकर एक वर्ग मील तक कर देने के बारे में भी फैसला कर दिया गया है । मेरा अनुमान है कि इस क्षेत्र में ६४० एकड़ की भूमि आ जाती है ।

†श्री म०ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा कांडला और उस के आस पास का कितना क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिस में मुख्य व्यापार हो सकेगा और इस मुख्य व्यापार क्षेत्र में और संसार के दूसरे व्यापार क्षेत्र के प्रबन्ध में क्या अन्तर रहेगा ?

†श्री राज बहादुर : मैं ने निवेदन किया है कि यह प्रस्ताव था कि १६० एकड़ हो जिस को बढ़ा कर अब ६४० एकड़ करने का प्रस्ताव है । ६ मील की दूरी पर पोर्ट से एक जगह तजवीज़ की है और मैं उम्मीद करता हूं कि वह अच्छी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह था कि दूसरे जो मुख्य व्यापार के क्षेत्र हैं और जो यह यह मुख्य व्यापार का क्षेत्र है, इस में और उन में क्या अन्तर रहेगा ?

श्री राज बहादुर : अन्तर यह होगा कि बांड के तरीके से सामान आयात का या निर्यात के लिए यहां लाया जाएगा और जिस तरह की पाबन्दियां आम तौर से आयात या निर्यात पर होती हैं, वे नहीं होंगी। अधिकांश सामान यहां ला कर रखा जा सकता है और उससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं या बनाने की सुविधा दी जा सकती है । फिर दुबारा निर्यात, एक्सपोर्ट भी सामान का यहां से किया जा सकता है ।

†**श्री गोरे :** कांडला को एक निर्बाध पत्तन बनाने का मुख्य कारण यह था कि कराची के पाकिस्तान में चले जाने के बाद हम कांडला के पृष्ठ देश (हिन्टरलैंड) का विकास करना चाहते थे। गत दो वर्षों से हम इस बारे में विचार कर रहे हैं ; इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय करने में और कितना समय लगेगा और क्या कम से कम अगले वर्ष से वहां पर कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं इस संबंध में दो मिथ्या भ्रांतियों को दूर कर देना चाहता हूं। पहली तो यह है कि इस बारे में दो वर्ष से नहीं अपितु केवल पिछले साल से ही विचार किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसे उस रूप में निर्बाध पत्तन नहीं बनाया जायेगा जैसे कि हांगकांग और सिंगापुर हैं; यह एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र होगा जो कि एक निर्बाध पत्तन से भिन्न होगा ।

†**श्री रंगा :** इस से क्या तात्पर्य है ?

†**श्री राज बहादुर :** निर्बाध पत्तन से तात्पर्य है वह पत्तन जिस में कोई भी वस्तु बिना किसी रूकावट या रोकथाम के अथवा उत्पादन , सीमा शुल्क, वित्त, विदेशी मुद्रा सम्बंधी विधियों या विनियमों के आ सकती हैं, । परन्तु यहां पर हम एक विशेष सीमित क्षेत्र निर्धारित करना चाहते हैं जिस में कुछ वस्तुएं किन्हीं विशेष विनियमों के अधीन आ सकेंगी। परन्तु फिर भी उस क्षेत्र के लिये सामान्य विधियों से कुछ सीमा तक छूट भी दी जायेगी।

†**श्री गोरे :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या ऐसा कार्य अगले वर्ष से ही प्रारम्भ किया जा रहा है ।

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैंने कहा है स्थान को चुनना कोई सरल कार्य नहीं है और न ही दी जाने वाली छूटों के सम्बन्ध में कठिनाइयों को हल करना कोई सरल कार्य है और आयात, सीमा शुल्क विधि, विदेशी मुद्रा आदि के नियमों की कार्यान्विति में दी जाने वाली छूटों की सीमा तथा क्षेत्र के बारे में भी निर्णय कर लेना सरल नहीं है । इन सभी बातों पर समय लग जाता है और इस बारे में सभी सम्बिंधित मंत्रालयों द्वारा विचार करना आवश्यक है और ऐसा विचार करते समय उन्हें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता है क्योंकि यहां पर हम पहली बार यह प्रयोग प्रारम्भ कर रहे हैं ।

†**श्री पु० र० पटेल :** इस निर्बाध क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे और क्या वह निर्बाध क्षेत्र वाणिज्य के लिये भी होगा ?

श्री राज बहादुर : यह बताना कठिन है कि किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जायेंगे क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय किन किन उद्योगों को उपयुक्त समझता है। मैं प्रश्न के दूसरे भाग को समझा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पु० र० पटेल : क्या यह निर्बाध क्षेत्र वाणिज्य के लिये भी होगा ?

†श्री राज बहादुर : जी, हां। यह क्षेत्र केवल उद्योगों के लिये ही नहीं, अपितु वाणिज्य के लिये भी होगा ।

†श्री रंगा : क्या उस निर्बाध क्षेत्र से यह तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में जो उद्योग स्थापित होंगे, उन्हें बिना किसी सीमा शुल्क की अदायगी के ही मशीनरी मंगाने की अनुमति होगी ?

†श्री राज बहादुर : उन्हें किसी प्रकार की छूट अवश्य दी जायेगी।

†श्री सुब्बैया अम्बलम : क्या सरकार दक्षिण के किसी अन्य क्षेत्र को भी निर्बाध क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†श्री राज बहादुर : इस निर्बाध क्षेत्र से अनुभव प्राप्त करने के बाद ही इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

+

†*४४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पांगरकर :
श्री वे० ईयाचरण :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना लगाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इंग्लिस्तान, पश्चिम जर्मनी, जापान और स्वीडन के प्रविधिक सहयोग के बारे में बातचीत की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही अभी तक चल रही है और आशा है कि १९६१-६२ में भूमि का कब्जा प्राप्त हो जायेगा ।

(ख) और (ग). विदेशों से इस परियोजना के लिये प्रविधिक वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में अभी तक हुई प्रगति को बताना लोक हित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि संभव है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में दूसरा कारखाना स्थापित न हो सके क्या उस समाचार में कुछ सचाई है ?

†श्री राज बहादुर : मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ सचाई है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस दूसरे कारखाने की स्थापना के लिये किस किस देश से सहयोग मांगा जा रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : यह बताया जा चुका है कि इस सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है । यह बताना लोक हित में नहीं है कि किस किस देश से बातचीत की जा रही है क्योंकि उस से बातचीत में बाधा पड़ जायेगी ।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस कारखाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई राशि निर्धारित की गयी है ?

†श्री राज बहादुर : उसे प्रारूप योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और उस के लिये राशि आवंटित की गयी है ।

†श्री रघुनाथ सिंह : कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है वास्तव में योजना के अनुसार योजना पर कुल २० करोड़ रुपयों की लागत आयेगी । अब यह विचार किया जा रहा है कि इस परियोजना के लिये कितनी राशि निर्धारित की जाये ।

†श्री मणियंगाडन : इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा और दूसरे कारखाने में काम कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक जहाज बनाने के उद्योग का सम्बन्ध है, वास्तविक उद्देश्य यह है कि कम लागत और मुकाबले की लागत पर जहाज तैयार किये जा सकें ताकि उन्हें खरीदने वाली कम्पनियों को अन्य प्रतियोगियों के मुकाबले में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना न पड़े इसीलिये हमें किसी ऐसे विदेश से प्रविधिक सहायता लेनी पड़ेगी जो कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में हमारी सहायता कर सके और हमें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के लिये विदेशी सहयोग भी लेना पड़ेगा ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार यह आशा की जा सकती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में यह कारखाना चालू हो जायेगा ?

†श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । हमें इस कार्य को 'प्रारम्भ ' कर देना होगा और हमें इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति करनी होगी यदि सभी कार्य ठीक प्रकार से चलता रहे तो संभव है कि उस समय तक यह कार्य पूरा हो जाये ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या 'प्रारम्भ' से तात्पर्य यह है कि तृतीय योजना काल में भूमि प्राप्त कर ली जायेगी ?

†श्री राज बहादुर : यह पहले ही बताया जा चुका है कि इसी वर्ष भूमि प्राप्त कर ली जायेगी । उस कार्य में भी प्रकाशन, घोषणा, सर्वेक्षण, प्राक्कलन तैयार करने,

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्यांकन करना और उस मूल्यांकन का परीक्षण करना—कई प्रक्रियायें करनी पड़ेंगी। इन सभी बातों पर समय लग जाता है और फिर विस्थापित व्यक्तियों को भी भूमि आवंटित करनी है। इन सभी मामलों को इकट्ठे ही नहीं लिया जा सकता, इन पर समय लगेगा। फिर भी हम इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का यत्न कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि** : यदि सरकार इस योजना को तृतीय पंच वर्षीय योजना काल तक ही पूरा कर देने की इच्छुक है तो क्या वह इसके लिये २० करोड़ रुपये आवंटित करने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह तो कार्य के लिये एक सुझाव है।

†**श्री वारियर** : क्या भूमि अर्जन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और वह कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने ४९.४८ एकड़ पट्टा भूमि के सम्बन्ध में घोषणा प्रकाशित कर दी है। जहां तक सरकारी भूमि का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकार को यह लिख दिया है कि वह भूमि निःशुल्क दे दी जाये जैसा कि अन्य परियोजनाओं के लिये दी गयी है। सम्पूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य और भूमि अधिग्रहण रिकार्ड तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है। मूल्यांकन विवरणों को अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है आशा है कि इस मास के अन्त तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जायेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या इस परियोजना को अधिकतम प्राथमिकता दी गयी है और इसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस परियोजना को उपयुक्त प्राथमिकता दी गयी है जहां तक राशि निर्धारण का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : माननीय मंत्री ने बताया है कि इस पर २० करोड़ रुपयों की लागत आयेगी परन्तु इसे तृतीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

†**श्री राज बहादुर** : इसे सम्मिलित किया गया है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : उन्होंने बताया था कि २० करोड़ का खर्च आयेगा, परन्तु वह राशि तृतीय योजना में सम्मिलित नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : कुल लागत २० करोड़ रुपयों की है। परन्तु इस बात पर विचार किमा जा रहा है कि तृतीय योजना में कितनी राशि खर्च की जाये।

मैडिकल कालेजों में आयुर्वेदिक अनुसन्धान पाठ्य-क्रम

\+

†*४५. **श्री प्र० गं० देव** :
श्री सम्पत :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री विभूति मिश्र :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मडिकल कालेजों में आधुनिक ढंग पर आयुर्वेदिक अनुसन्धान पाठ्य-क्रम जारी करने का फैसला किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि सरकार ऐसा अनुभव करती है कि यदि मेडिकल कालेजों के छात्रों को भी आयुर्वेद सीखने के बारे में अवसर प्राप्त हो सके तो बेहतर है । इसलिये सरकार मेडिकल कालेजों में पूर्णकालिक आयुर्वेद सम्बन्धी प्रोफेसरों की नियुक्ति के बारे में विचार कर रही है । हमने इस बारे में राज्य सरकारों को लिख दिया है और पहले ६ प्राफेसरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया है । उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए ।

†श्री प्र० गं० देव : क्या इस बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय ले ली गयी है ?

†श्री करमरकर : वैसा करना जरूरी नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : आप मैडिकल कालेजों में आयुर्वेद की शिक्षा देने के लिए आदमियों को रख रहे हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में जिन विद्यार्थियों को आयुर्वेद और ऐलोपैथी दोनों पढ़ायी जाती हैं, उनको मान्यता क्यों नहीं दी जाती और उनको सरविसेज में क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री करमरकर : उनको मान्यता की जरूरत नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी का स्टेट्यूट अलग है। उनको कोई मान्यता की जरूरत नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : जिन विद्यार्थियों को बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी में आयुर्वेदिक और ऐलोपैथी दोनों की शिक्षा दी जाती है उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में और सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलती। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप उनको पढ़ाते हैं और डिग्री देते हैं तो फिर उनको सरविसेज में क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री करमरकर : मैं यही बतलाना चाहता था अब उनको वही मान्यता मिलेगी जो वर्तमान मैडिकल कालिजों को मिलती है ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मेडिकल कालेजों में आयुर्वेद का पूरा पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा या कि आंशिक रूप में किया जायेगा ?

†श्री करमरकर : हम यह चाहते हैं कि सभी मेडिकल छात्रों को आयुर्वेद का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिये। यदि आयुर्वेद का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम लागू किया गया तो उस से छात्र कार्य भार में दब जायेंगे।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या मैडिकल कालिजों के विद्यार्थियों की शिक्षा की अवधि और बढ़ायी जाएगी। वह अवधि अभी पांच साल की है उनको वैसे ही अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर आयुर्वेद भी शामिल हो गया तो उनकी कठिनाई और बढ़ जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : उनकी सुविधा के लिए और उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए ही हम ऐसा कर रहे हैं । हम ऐसा इन्तिजाम करेंगे कि उन पर अधिक भार न पड़े ।

†**श्री पट्टाभिरामन :** क्या उनके मूल भारतीय नाम ही रहने दिये जायेंगे या कि उनके लातीनी पर्याय अपनाये जायेंगे; उदाहरणार्थ, 'सर्पगन्धि' को 'रूडाल्फिया सरपेन्टाइना' भी कहा जाता है

†**श्री करमरकर :** मैं चाहता हूं कि कार्यकुशलता पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़े बिना यदि हो सक तो सभी विदेशी नामों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर दिया जाये ताकि हमारे लोग उनसे परिचित हो सकें।

†**श्री पट्टाभिरामन :** मैं तो भारतीय नामों के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने 'सर्पगन्धि' का उदाहरण दिया है जिसे 'रूडाल्फिया सरपेन्टाइना' कहते हैं।

†**श्री करमरकर :** यदि माननीय सदस्य यहां संसद् में भी **सदैव** 'सरपेन्टाइना' न कहकर 'सर्पगन्धि' कहें तो मुझे यकीन है कि 'सरपेन्टाइना' की अपेक्षा 'सर्पगन्धि' शब्द अधिक लोक प्रिय होगा ।

†**श्री चन्द्र शंकर :** क्या भारतीय विश्वद्यिालयों के आयुर्वेदिक छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल जाता है ?

†**श्री करमरकर :** एक ऐसा पारस्परिक प्रबन्ध किया गया है जिसके आधीन विदेशों की कुछ संस्थाओं के द्वारा कुछ भारतीय डिग्रियों को मान्यता दी जाती है और उनकी डिग्रियों को हमारे द्वारा मान्यता दी जाती है।

†**श्री सम्पत :** क्या अन्य भारतीय प्रणालियों जैसे यूनानी और सिद्ध प्रणालियों के सम्बन्ध में भी किया जायेगा ?

†**श्री ब्रज राज सिंह :** इस दिशा में अभी कार्य प्रारम्भ ही किया गया है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्श ले लिया गया है और क्या परिषद ने इस बारे में स्वीकृति दे दी है ?

†**श्री करमरकर :** प्रत्येक मामले में राय लेना जरूरी नहीं है हमने मेडिकल कालेज को प्रोफेसरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया है और हम उन्हें पूर्णरूपेण सहायता देना चाहते हैं। जो कालेज इन प्रोफेसरों के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहें, उनके कोर्स में इस के कोर्स को भी सम्मिलित कर दिया जायेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या मेडिकल कालेजों में आयुर्वेद के कोर्स को सम्मिलित कर लेने की सुकरता के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय जान ली गयी है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हम स्वयं ही पूर्णरूपेण विशेषज्ञ हैं ।

नमक के परिवहन के लिये माल-डिब्बे

†*४६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ और १९६० में माल-डिब्बों के कम संभरण के कारण सांभर से बहुत बड़ी मात्रा में नमक उठाया नहीं जा सका;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) माल-डिब्बों की मांग और संभरण कितना था तथा परिणामतः कम संभरण के कारण कंपनी और रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या नमक कम्पनी की भविष्य की मांग का पता लाया गया है और उसके अनुसार पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं। यह सच नहीं है कि १९५९ और १९६० में माल डिब्बों के कम संभरण के कारण सांभर से बहुत बड़ी मात्रा में नमक नहीं उठाया जा सका। पर हाँ, १९५९ और १९६० के कुछ महीनों में डिब्बों का कुछ कम संभरण किया जा सका था जो कि बाद में पूरा कर दिया गया था।

(ख) १९५९ में १६,५१६ माल डिब्बे और १९६० में १४,२७० माल डिब्बे सांभर के भरे गये थे और दिसंम्बर, १९५९ और दिसम्बर, १९६० के अन्त में कुल मांग में से क्रमशः ५२ और २३ डिब्बों का संभरण रह गया था। परन्तु उससे रेलवे को कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे नमक कम्पनी को होने वाले नुकसान के बारे में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) १९६१ के वर्ष के लिये नमक कम्पनी की मांग जयपुर के नमक कमिश्नर द्वारा भेजी गयी है और वह मांग ३० कार्य दिवसों के लिये ५२.५ माल डिब्बे प्रतिदिन के हिसाब से है। इस मांग को यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा तक पूरा करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार को ज्ञात है कि उस सर्वप्रथम प्रामाणिक रिपोर्ट में, जो कि सभा-पटल पर रखी गयी थी, यह कहा गया है कि माल डिब्बों के संभरण की कमी के कारण इस नमक कम्पनी को बहुत नुकसान हुआ है? तो क्या इस सरकारी कम्पनी से प्राप्त वह रिपोर्ट गलत थी?

†श्री शाहनवाज़ खां : मैंने तो वह स्थिति बतायी है जैसी कि इस समय है। १९५९ के अन्त में कुल ५२ माल डिब्बों की और १९६० के अन्त में २३ डिब्बों की कमी रही हे। यह संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य रेलवे पर नमक उद्योग को निरुत्साहित करने का आरोप नहीं लगायेंगे।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : दिये गये आंकड़ों के अनुसार नमक नियन्त्रण यह चाहता था कि ५२.५ माल डिब्बे प्रतिदिन के हिसाब से संभरित किये जायें। इस संभरण से सारे वर्ष में ५२ माल डिब्बों की कमी पड़ जाती है। हम कब तक उचित संख्या में माल डिब्बे संभरित कर सकेंगे और यह कमी कब तक चलती रहेगी?

†श्री शाहनवाज़ खां : यद्यपि यह कोटा कुछ अधिक है तो भी नमक कमिश्नर द्वारा प्रतिदिन भेजी गयी मांगों को रेलवे द्वारा पूरा किया जाता है। सामान्यतया हम सभी मांगों को पूरा कर रहे हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हमें तो यह बताया गया था कि यहां पर माल डिब्बों की संख्या अतिरिक्त हो गयी है और अब हम उनका निर्यात भी कर सकते हैं। क्या अब भी वैसी ही स्थिति है, और यदि हाँ, तो क्या इसका कोई कारण है जिससे नमक के परिवहन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहता हूं कि दो प्रकार के नमक हैं। एक वर्ग वह है जिसमें क्षेत्रीय नमक आता है, उसका एक उच्च वर्ग—(ग) के अन्तर्गत परिवहन किया जाता है। दूसरा वर्ग गैर-क्षेत्रीय नमक है और वह वर्ग (ङ) के अन्तर्गत आता है; और वह कम दर्जे का माना जाता है। अत: हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसका मूल कारण यही है

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं उत्तर समझ नहीं सका। वर्ग (ग) और (ङ) के नमक के परिवहन में कुछ कठिनाई है या नहीं, वह एक अलग प्रश्न है । प्रश्न यह है कि हमें बताया गया है कि माल डिब्बे फालतू हैं । यह बात सभा-पटल पर रखे गये एक विवरण में बतायी गयी थी। और अब माननीय रेलवे मंत्री का भी यह कहना है कि वे नमक के परिवहन में समर्थ है। तो इससे तात्पर्य यह हुआ कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का रेरवे पर यह आरोप गलत है कि माल-डिब्बों के संभरण की कमी के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। अत: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सभी प्रकार के नमक का परिवहन किया जा सकता है या नहीं और क्या उस कठिनाई का कारण कोई और है? वर्ग (ङ) के नमक की क्या स्थिति है? उस नमक का परिवहन क्यों नहीं किया गया है?

श्री शाहनवाज खां : यह तो पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्ग (ग) के नमक का वर्ग (ङ) से पहले परिवहन किया जाता है। यद्यपि सारे वर्ष में कुछ समय के लिये माल डिब्बे फालतू रह जाते है तथापि व्यस्त मौसम में विशेषतया गन्ना पेरने के मौसम में सभी फालतू माल डिब्बे इस्तेमाल हो जाते हैं। व्यस्त मौसम के समाप्त हो जाने के बाद हम नमक सम्बन्धी उस कमी को पूरा करने का यत्न कारते हैं जो कि व्यस्त मौसम में यदि कहीं रह गयी हो।

†अध्यक्ष महोदय : तो फिर डिब्बे फालतू कहां हुए? माननीय सदस्य यह पूछना चाहते है कि कितने माल डिब्बे फालतू है? यदि माल डिब्बे फालतू हैं तो इससे यह तात्पर्य है कि कभी भी कुछ भी कमी नहीं । यदि गन्ने की मांग अधिक है तो उस समय नमक के लिये माल डिब्बों की कमी पैदा हो जाती है। वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि नमक के लिये माल डिब्बों की कमी है?

श्री शाहनवाज खां : हम और अधिक माल डिब्बे बनाने का यत्न कर रहे हैं। परन्तु देश विकसित भी तीव्र गति से हो रहा है।

†अध्यक्ष महोदय : तो फिर तात्पर्य है कि माल डिब्बे फालतू नहीं है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अब जब कि नमक कमिश्नर और प्रबन्ध निदेशक में इस बारे में बातचीत हो गयी है, क्या यह समझा जा सकता है कि नमक के उठाने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी और यह काम कम्पनी की तसल्ली के अनुसार होगा, क्योंकि अन्यथा मजूरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है । क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा के समय यह कहना चाहिये । वे माननीय उपमंत्री से यह आश्वासन क्यों मांगते हैं?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा ख्याल है कि माननीय उपमंत्री को सब कुछ पता है और वे इस बारे में बता सकते हैं

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह बात दूसरे मंत्री से पूछनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रज राज सिंह : श्रीमन्, अभी रेलवे मंत्री महोदय ने ऐसा बताया कि वैगन्स की ज्यादती होती है और उस में गन्ने की बात उन्होंन कही। मैं कहना चाहूंगा कि गन्ने के ज्यादा वैगन्स नहीं मिलते हैं। अगर नमक के बारे में मामला है तो क्या और चीजों को ढोने के लिए वैगन्स काफी तादाद में मौजूद हैं। विशषतौर से कोयले का जो अकाल पड़ा है उस के बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है ? कोयला नहीं मिल रहा है उस के बारे में क्या किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक दूसरा मामला है ।

†**श्री शाहनवाज खां :** उसके लिये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वैगन्स दिय जायें।

†**अध्यक्ष महोदय :** कोयले की कमी के बारे में बहुत से प्रश्न आये हैं और मैं ने इस बारे में 'अनियत दिन वाला एक प्रस्ताव' मंजूर कर लिया है जिस पर कुछ दिन बाद चर्चा की जावेगी। परन्तु इस दौरान में मैं ने माननीय मंत्री से यह कहा है कि वे 'ध्यान दिलाने की सूचना के प्रयुत्यर में इस बारे में एक वक्तव्य दे दें।' वे यह वक्तव्य कल या परसों देंगे ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** परसों तक तो बहुत देर हो जायगी। समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश में विशेषतया कानपुर में झगड़ों के बारे में समाचार आ रहे हैं और जिला मजिस्ट्रट ने कहा है कि वहां की स्थिति और व्यवस्था बहुत खराब है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने उनसे कह दिया है कि वे अपना वक्तव्य कल दे दें।

अनाजों का वर्गीकरण

+

†*४८. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाजों के वर्गीकरण की एक रूप योजना सम्बन्धी प्रस्थापनायें राज्य सरकारों और इस विषय से सम्बद्ध अन्य संगठनों को परिचालित की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्थापनाओं की स्थूल रूप रेखा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) धान, चावल और गेहूं का वर्गीकरण करने के मान तैयार किये गये हैं और ये शीघ्र ही राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों में उन के मत जानने के लिये परिचालित किये जायेंगे।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९]**

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** चावल के सम्बन्ध में विवरण के भाग ३ के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस में सब किस्मों का चावल आयेगा जो किसानों द्वारा खरीदने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

बाजार में साधारणतया दिया जाता है? उदाहरणार्थ, कनकी जो टूटा चावल होता है, इसमें नहीं दिखाया गया है । यह किस वर्ग के अन्तर्गत आयेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह इन वर्गीकरणों में नहीं आयेगा जो अब बनाये गये हैं यह कनकी चावल अर्थात् सर्वथा टूटा हुआ चावल होगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या पहले चावल के वर्गीकरण के बारे में शिकायतें थीं और क्या इस मामले के लिये कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायतें उत्पन्न न हों चावल का वर्गीकरण किया जाये, अब कोई कार्रवाई की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वर्गीकरण के बारे में शिकायतें थीं ऐसा कहना सही नहीं है । माननीय सदस्य उन वर्गीकरणों का उल्लेख कर रहे होंगे जो समाहार के लिये, अपनाये गये हैं । हम कनकी नहीं खरीदते । हमने मंडल से बाहर कनकी के निर्यात की अनुमति दी है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों की शिकायतों का उल्लेख कर रहा हूं कि एक ही श्रेणी के चावल के लिये विभिन्न वर्गीकरण किये जाते हैं और केन्द्रीय सरकार भिन्न २ भाव देती है । क्या ऐसी कोई योजना बनाई गई है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें न होने पाये ?

†**श्री अ० म० थामस** : हम वर्गीकरण और समाहार मूल्यों के निर्धारण के मामले में एक रूप नीति का पालन करने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री यादवनारायण जाधव** : इन किस्मों का एक मार्क करने के लिये लक्ष्य तिथि क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है । प्रगतिशील देशों ने भी, जिन्होंने इस वर्गीकरण को अपनाया है, अर्थात् कनाडा और अमरीका ने वर्तमान वर्गीकरण तक आने में ७५ वर्ष लगाये हैं । अतः यह जल्दी में नहीं किया जा सकता । हमने राज्य सरकारों के मत पूछे हैं । हम ने विभिन्न संगठनों के मत भी पूछे हैं । हम इसे केवल धीरे धीरे जारी करेंगे और इस समय अनिवार्य आधार पर जारी नहीं करेंगे ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि चार किस्मों के चावल होते हैं अर्थात् बहुत बढ़िया, बढ़िया, बीच का और साधारण । क्या इन चार मुख्य वर्गों के अन्दर उप वर्ग भी हैं या मूल्य इन वर्गों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : उप-वर्ग भी होंगे ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान

+

†*४६. **श्री अ० मु० तारिक** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिये नये विमान लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का पुराने विमानों को किस प्रकार बेचने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशम के लिये अधिक आधुनिक विमान लेने के प्रश्न पर लगातार विचार किया जाता है ।

(ख) लगभग ४ महीनों की अवधि में ५ फोकर फ्रेंडशिप विमान आयेंगे । इस समय वर्तमान विमानों के अतिरिक्त कुछ पुराने वाईकाउंट खरीदने का विचार है ।

(ग) जो वाइकाऊंट खरीदे जायेंगे, उनका आंशिक भुगतान करने के लिये कुछ पुराने विमान बेचे जायेंगे ।

श्री अ० मु० तारिक : अभी वजीर साहब ने कहा है कि हम कुछ पुराने वाइकाऊंट खरीदेंगे तो मैं जाना चाहता हूं कि नये वाइकाउंट खरीदने में हमें क्या दिक्कत है और पुराने वाइकाउंट पर हमें किस कदर रकम खर्च करनी पड़ेगी ?

श्री मुहीउद्दीन : नये वाइकाउंटों को हासिल करने में दिक्कत यह है कि कम से कम उन को हासिल करने में दो साल लगेंगे। इसलिये यह खयाल हुआ है कि मौजूदा जमाने में एयरक्राफ्टस में जो तेजी से तरक्की हो रही है तो नये न खरीदे जायें। रहा कीमत का सवाल तो उस के बारे में अभी गुफ्तगू हो रही है और इस वक्त कीमत के मुताल्लिक कुछ कतई तौर पर बयान करना मुनासिब नहीं है ।

श्री अ० मु० तारिक : माननीय मंत्री ने फरमाया है कि मौजूदा जमाने में तेज रफ्तारी के लिये यह जरूरी है कि हम वाइकाउंट खरीदें लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वजारत मवासलात ने कैसे फैसला किया है कि तेज रफ्तार पुराने हवाईजहाजों से ही हो सकती है और नये हवाईजहाजों से नहीं हो सकती ?

श्री मुहीउद्दीन : मैं ने अर्ज किया था कि तेज रफ्तारी की जो एक टेकनीक में तरक्की हो रही है उसके लिहाज से इस वक्त कोई नया वाइकाउट खरीद करना मुनासिब नहीं है मगर रफ्तार के लिहाज से तो बिला शुबहा वाइकाउंट एक तेज और अच्छा हवाईजहाज है ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या ऐसी कोई प्रस्थापना है जिस के अन्तर्गत एयर इंडिया इंटरनेशनल जो सुपर कंस्टेलेशन विमान चला रहा है, उन्हें इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन खरीद लेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह प्रस्थापना कि उन्हें इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन अपने प्रयोग में लायेगा, भी विचाराधीन है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में आई० ए० सी० में कितने जहाज जोड़े जायेंगे, इस के लिये कितनी रकम मुकर्रर की गई है और क्या इस सम्बन्ध में कोई नई लाइंज बढ़ाई जायेंगी ।

श्री मुहीउद्दीन : मेरे ख्याल में तीसरी पांच-साला योजना कम से कम १६ करोड़ रुपये की रकम फिलहाल रखी गई है इसी गर्ज से कि नये हवाई जहाज खरीदे जा सकें, लेकिन कौन से हवाई जहाज खरीदे जायेंगे और नई लाइंज कौन सी होंगी, इसका अभी तसफिया नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या मा० मंत्री सभा को यह बता सकते हैं कि क्या इस रिपोर्ट में कोई सचाई है कि अमरीका में एक भारतीय राष्ट्रजन हमें नये वाइकाउंट या पुराने भी देकर उन के बदले में हमारे देश के पुराने और टूटे फूटे विमान लेना चाहता था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जैसा कि मैं ने अपने लिखित उत्तर में बताया है हमारे विचाराधीन प्रस्ताव यह है कि पुराने विमान भी उन पुराने वाइकाउंटों को खरीदने के बदले में आंशिक भुगतान के रूप में दिये जायेंगे ।

†**श्री महम्मद इमाम** : कुछ समय पूर्व बर्मा से कुछ वाकाउंट खरीदने का प्रस्ताव था । वह कहां तक पूरा हुआ है ?

†**श्री महीउद्दीन** : वह प्रस्ताव समाप्त हो गया है । बर्मी सरकार उन्हें बेचने को तैयार नहीं है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि यह प्रस्ताव पिछले दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है । यदि दो वर्ष पूर्व निर्णय कर लिया गया होता, तो नये वाइकाउंट इस वर्ष प्राप्त किये जा सकते थे ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह प्रस्ताव पिछले छः या आठ महीनों से ही विचाराधीन है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह तथ्य है कि कुछ पुराने विमानों के, जो वस्तुविनिमय के अन्तर्गत बेचे जा रहे हैं, सामान्य मूल्य नहीं मिल रहे हैं, जो उनके मिलने चाहियें ? क्या इस में कोई सचाई है कि यह सौदा हमारे लिये लाभदायक नहीं रहा है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उदाहरण के लिये हेरेन और वाइकिंगज ऐसे विमान है तो आंशिक विनिमय के तौर पर दिये जा सकते हैं और इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन पिछले दो या तीन वर्षों से उन्हें बेचने का प्रयत्न कर रहा है । जहां तक मूल्यों की तुलना का सम्बन्ध है, मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन होगा कि मूल्य बहुत कम हैं या अधिक, क्योंकि इस समय पिस्टन इंजनों के विश्वजनीन मूल्य बहुत कम हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इस देश में एक असैनिक विमान बना रहा है जिसके लिये अन्य देशों के विमान निगमों ने घरेलू उपयोग के लिये आर्डर दिये हैं । भारत में तैयार किये जाने वाले इस विमान को न लेने तथा पूर्णतया विदेशी पूंजी से दूसरे विमान खरीदने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन की तत्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रस्ताव है । जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, इस समय यातायात बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये कुछ वाइकाउंटों की जरूरत है । माननीय सदस्य दीर्घ-कालीन आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं । निस्संदेह इस पर बाद में विचार किया जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस विमान की भी तत्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये इंडियन एयरलाइंस कार्पोशरेशन को पेशकश की है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं । एवरो अभी बनाया जा रहा है । अभी यह उपलब्ध नहीं है ।

†**डा० विजय आनन्द** : क्या डकोटाओं के स्थान पर उतम विमान रखे जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस का उत्तर देना कठिन प्रश्न है, परन्तु हम आधुनिक विमान जारी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक डकोटाओं का प्रश्न है, वे बहुत अच्छे विमान हैं। वे चल रहे हैं और संभव है वे बहुत समय तक चलते रहेंगे।

†**श्री मुरारका** : कुछ समय पूर्व हमारे सब वाइकाउंट चलाने बन्द कर दिये गये थे क्योंकि उन में कुछ त्रुटि हो गई थी। ये सब विमान नये खरीदे गये थे। क्या सरकार पुराने वाइकाउंट खरीदना, विशेषकर इस अनुमान को ध्यान में रखते हुए कि इन वाइकाउंटों में कुछ त्रुटि हो गई थी, उचित समझती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : वास्तव में वाइकाउंट पूर्वविधान के तौर पर नहीं चलाये गये थे और जब विकरस से व्यक्ति आया तो उसने देखा कि उन में से आठ वाइकाउंट बिल्कुल ठीक थे। केवल दो में त्रुटियां थी, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। माननीय सदस्य की यह बात गलत है कि वे इस लिये नहीं चलाये गये थे कि ` सर्वथा उपयुक्त नहीं समझे गये थे। यह बात नहीं है। दूसरे, यदि हम पुराने वाइकाउंट खरीदते हैं, तो हम उन्हें चलाने से पहले यह निश्चय करेंगे कि वे सर्वथा ठीक हों।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : क्या सरकार यह समझती है कि फोक्कर फ्रैंडशिप जो शीघ्र ही चलने वाला है, आसाम में तथा सब सीमांत क्षेत्रों में उतरने के लिये उपयुक्त हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : फोक्कर आसाम की ओर चलाया जायेगा। इस के बारे में सभा को कई बार पहले सूचित किया जा चुका है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इतने सावधान और बुद्धिमान हैं कि वह प्रत्येक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तब मैं क्या कर सकता हूं ? अगला प्रश्न।

पंजाब में फालतू गेहूं

+

†*५०. {
श्री सम्पत :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० दिसम्बर, १९६० को पंजाब के फालतू गेहूं को बचने के बारे में कोई चर्चा हुई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब सरकार को विशेष रूप से अनुमति दी गई थी कि वह अपना फाल्तू गेहूं का स्टाक देश के किसी भाग को भजने के लिय गैर सरकारी पक्षों को बेच सकती है ।

†**श्री सम्पत** : क्या भारत सरकार ने पंजाब के स्टाक से कुछ गहू लेना स्वीकार किया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं । भारत सरकार ने कोई स्टाक लेना स्वीकार नहीं किया, किन्तु भारत सरकार ने वे सब सुविधाएं प्रदान की हैं जो पंजाब सरकार ने इस गेहूं को बचने के लिये मांगी हैं ?

†**श्री सम्पत** : क्या भारत सरकार ने पंजाब सरकार को कहा है कि वह गेहूं मंडल को बढ़ाने अर्थात् गेहूं के निर्बाध आने जाने की बात स्वीकार कर ले ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं यह मामला गेहूं मंडल के विस्तार के साथ बिलकुल बंधा हुआ नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने प्रार्थना की है कि इसे मूल्य स्थिर रखने के लिये कुछ स्टाक रखने दिया जाय, यदि इस की आवश्यकता हो और यदि मूल्य गिर जायें ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह ठीक है । पंजाब सरकार के स्टाक में १६५००० टन गेहूं थी जिस में १०,००० टन आयात किया गया गेहूं था । अब उन्होंने ५३,००० टन बेच की है और १,१२,००० टन शेष बकाया है । उनका रक्षित स्टाक के रूप में लगभग ३१,००० टन रखने का इरादा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार को मूल्य स्थिर रखने के लिये स्टाक रखने की अनुमति दे दी गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : पंजाब सरकार को अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है । रक्षित स्टाक के रूप में जितना गेहूं वे रखना चाहें, वह यह बात उन पर छोड़ दी गई है । वे रक्षित स्टाक में लगभग ३१,००० टन रखेंगे ।

†**श्री आसर** : क्या कोई मूल्य निर्धारित किया गया है ?

†**श्री अ०मा० थामस** : उन्होंने गेहूं १५$^{1}/_{2}$ रुपय प्रति मन के हिसाब से बचा है और बोरी का मूल्य अलग लिया है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब में गेहूं संबंधी स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है, क्या मंडल पद्धति का विस्तार किया जायगा जिस में समूचा देश आ जाय या इस में केवल उत्तर भारत ही आएगा या केवल पंजाब ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : जहां तक गेहूं का संबंन्ध है, बहुत शीघ्र ही केवल एक मंडल होगा । हम इस के बारे में विचार कर रहे हैं ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या पंजाब में फालतू गेहूं इस लिये जमा हो गया है कि विदेशी गेहूं का आयात हुआ है और गहूं के भाव गिर गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : यह बिल्कुल ठीक नहीं है। वे आयात किया गया गेहूं काफी मात्रा में नहीं लेते ।

श्री खादीवाला : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि मध्य प्रदेश का इसी तरह का फालतू गेहूं न लेने पर सड़ गया और उस को पांच रुपये मन पर बेचना पड़ा ? क्या सरकार को इस की जानकारी है ।

श्री स० का० पाटिल : जरूर जानकारी है। उस को कितने दाम पर बेचना पड़ा यह मालूम नहीं है, लेकिन अगर इस बारे में कोई गलती हो गई, तो वह सैंट्रल गवर्नमेंट की नहीं थी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़**: पंजाब में फालतू गेहूं कितना था और क्या यह सच है कि पर्याप्त मात्रा में खेती योग्य सरकारी भूमि उपलब्ध है परन्तु अभी तक उस पर खती नहीं की गई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या भारत सरकार भी पंजाब सरकार से अपने केन्द्रीय रक्षित भंडार के लिये कुछ गेहूं लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : गेहूं सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था को घ्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या और किसी अनाज के लिय भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी नहीं, जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, हमारे पास केवल पर्याप्त ही नहीं है, परन्तु अधिक गेहूं है और स्वयं राज्यों की इच्छा है कि इन मंडलों का विस्तार होना चाहिये। अन्यथा कोई बाजार नहीं है। इस विशिष्ट मामले में, हमने पंजाब सरकार को अपना गेहूं अन्य बेचने की अनुमति दे दी है जहां उन्हें अच्छे मूल्य मिलें। इस लिये अब समय आ गया है और हम बड़ी गंभीरता से यह विचार कर रहे हैं कि गहूं के बारे में सब मंडलीय रुकावटें समाप्त कर दी जानी चाहियें।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या अगली फसल आने से पहले ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। इस सभा में उपभोक्ताओं का कोई प्रतिनिधि दिखाई नहीं देता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पंजाब के दृष्टिकोण से नहीं। माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि मध्य प्रदेश की गेहूं खराब हो गई होती और यदि अब यह नहीं बेची जाती, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। क्या माननीय मंत्री यह अनुभव करते हैं कि जब गेहूं जैसे अनाज खराब होने दिये जाते हैं और वे खाने योग्य नहीं रहते तो समूचे देश को ही हानि पहुंचती है ? यह निश्चय ही केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है जो समूचे देश को खुराक देने के लिय उत्तरदायी है।

†**श्री स० का० पाटिल** : इस सभा को पता है कि केन्द्रीय सरकार महीनों तक प्रयत्न करती रही थी—इस सभा में बहुत से प्रश्न पूछ गये थे और उस सरकार को हमने यह प्रार्थना की थी कि वर्तमान अवस्था में वह समाहार करना जरूरी नहीं था। उन्होंने यह किया। हमें भूतकाल पर नहीं जाना चाहिय। यह वह गेहूं है जिसके बारे में उल्लेख किया गया है कि वह खराब हो गई है। अब स्थिति में अन्तर है क्यों कि कोई रुकावट नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : श्री हरिश्चन्द्र के प्रश्न के बारे में—

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। माननीय मंत्रियों को प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिये जब तक मैं उन्हें न बुलाऊं। अगला प्रश्न।

इंडियन नेवीगेटर

+

*५१. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अमजद अली :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री आसर :
श्री सुब्बया अम्बलम :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को "इंडियन नेवीगटर" नामक भारतीय जहाज में आग लगने के क्या कारण थे जिस के फलस्वरूप जहाज जल गया और ब्रिटैनी के निकट उशण्ट द्वीप के पास डूब गया ;

(ख) इस के फलस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) समुद्र में सहायता देने के लिये उस अभागे जहाज पर अंधेरे में जो तेरह उद्धारक चढ़ गये थे उन में से कितनों की मृत्यु हो गई; और

(घ) इस सम्बन्ध में और क्या जानकारी प्राप्त हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ). इस विषय में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मेसर्ज इण्डियन स्टीमशिप कम्पनी लि० कलकत्ता का एस० एस० 'इंण्डियन नेवीगेटर' (७६६० जी० आर० टी०—१०७१९ डी० डब्ल्यू० टी०) जहाज जो भारत व यूनाइटड किंगडम तथा भारत व अन्य यूरोपीय देशों के बीच होने वाले व्यापार में प्रयुक्त होता था, ३१–१२–६० को डेक पर आग लग जाने के कारण २–१–६१ को ग्रीनविच समय २३–०० बजे उशण्ट के पास समुद्र

†मूल अंग्रेजी में

में डूब गया था। इस आग के परिणामस्वरूप माल तथा जहाज दोनों पूरी तरह नष्ट हो गये थे। इस दुर्घटना में एक जान गयी ।

इस की आरंभिक जांच वाणिज्य नौचालन अधिनियम १९५८ के आधीन वाणिज्य नौपरिवहन विभाग कलकत्ता द्वारा की जा रही है। संभवत: इस जांच से इस विनाशकारी आग के लगने के कारणों का कुछ पता लग सके।

इस दुर्घटना में बचाव का काम करने वाले इण्डियन सक्सेस नामक जहाज के तेरह आदमी लापता हैं और अनुमान किया जाता है कि ये सभी व्यक्ति हताहत हो गये हैं।

इस दुर्घटना में बचे हुए आदमियों में से एक को छोड़ जिस की चिकित्सा यूनाइटड किंगडम के एक अस्पताल में हो रही है सभी व्यक्ति वापस लाये जा रहे हैं और उन्हें बाकी वेतन तथा दुर्घटना में हुई निजी सामान की क्षति का हरजाना दिया जा रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बयान सभा पटल पर रखा गया है उसमें लिखा है कि जहाज पर आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जांच कितने दिनों में पूरी होगी और इसका पूरा पूरा विवरण कब मिल सकेगा ?

श्री राज बहादुर : यह हमारा कर्त्तव्य है और हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जांच में कोई देरी न लगे। किन्तु इसके जो चीफ आफिसर हैं वह अस्वस्थ अवस्था में यू० के० में हैं और उनका बयान होना आवश्यक है। यदि वह न आ सकें तो जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनको वहां भेजा जायेगा। जब तक उनका बयान न हो, उस वक्त तक जांच पूरी नहीं कही जा सकती है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो १३ आदमी सालवेज के लिये गये थे, बचाने के लिये गये थे और अंधेरे में जो पानी में डूब गये, उनको बचाने का क्या कोई प्रयत्न किया गया और क्या कठिनाइयां सामते आईं जिन से कि वे डूब कर मर गये ?

श्री राज बहादुर : सालवेज के वास्ते ये लोग गये थे किन्तु खेद और दु:ख की बात है कि उनकी जानें इस में गईं। किस स्थिति में उनकी जानें गईं और कैसे उनकी जानें गईं ये सब जांच के विषय हैं और मेरे लिये यह उचित नहीं होगा कि जांच के परिणामों से पहले मैं किसी प्रकार का कोई मत या राय उसके बारे में यहां व्यक्त करूं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि जलने वाले जहाज को रक्षा दल क्यों भेजा गया था जब कि इसके बारे में यह घोषणा की जा चुकी थी कि यह छोड़ दिया गया है और क्या इस मामले का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं चाहता हूं कि मैं इसका उत्तर दे सकता, परन्तु मैं असमर्थ हूं, विशेषकर इस कारण कि यह जांच का विषय है और जब तक जांच अधिकारी अपने प्रतिवेदन में इसके बारे में अपना मत व्यक्त न कर दें, इसके बारे में मेरे लिये कुछ कहना उचित नहीं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : समुद्रीय जहाज अधिनियम के अन्तर्गत किसी साधारण मालवाहक जहाज को विस्फोटक पदार्थ समेत चलने नहीं दिया जाता। भारतीय नौवहन क्यों विस्फोटक पदार्थ ले जा रहा है, जिसके कारण आग लगी और बहुमूल्य जीवन नष्ट हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : प्रश्न में माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातों की पूर्व धारणा की है, जिनको मैं न तो इनकार कर सकता हूं और न ही पुष्टिकरण कर सकता हूं, क्योंकि यह जांच का मामला है कि यह भारतीय नौवहन किस प्रकार का माल ले जा रहा था ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि उत्तरजीवियों को प्रतिकर दिये जाने का उल्लेख है । क्या उन १३ लोगों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है, जो मर गये हैं, क्योंकि मुझे बताया गया है कि संविदा की शर्तों के अनुसार उनके प्रत्येक परिवारों को १७,००० रुपये प्रतिकर का हक है ? क्या यह राशि दे दी गई है या नहीं ?

†**श्री राज बहादुर** : ऐसे प्रतिकर मामलों में सामान्यतया तीन वर्गों के कर्मकर अन्तर्ग्रस्त होते हैं : नाविक जिन्हें कर्मकरों के प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर का हक होता है, अफसर जिन्ह भारत के समुद्रीय संघ के साथ करार की धाराओं १० और १९ के अन्तर्गत प्रतिकर का हक होता है तथा कैडिटों के आश्रित लोग, जिन्हें संबद्ध समवाय अनुग्रहात प्रतिकर देते हैं । इन तीनों श्रेणियों के अन्दर दुर्घटना के शिकार होने वालों के आश्रितों को प्रतिकर मिलता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उनको प्रतिकर मिला है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं नहीं कह सकता कि आया उनको प्रतिकर मिला है । मैं सोचता हूं कि प्रतिकर का शीघ्र भुगतान करने के लिये कार्रवाई की जा रही है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : समाचारपत्रों से पता चलता है कि वहां इंगलिस्तान, डच और फ्रांस के रक्षा करने वाले भी वहां उपस्थित थे । क्या उन्होंने इस भारतीय जहाज को बचाने का साहस किया ?

†**श्री राज बहादुर** : इस मामले में दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले कुछ कहना कठिन है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो सरवाइवर्स हैं जो बचकर, रिपैंटिएट हो करके लौट कर भारत आये हैं क्या उनका कोई बयान भी अब तक लिया गया है और यदि लिया गया है तो उस बयान का क्या मतलब है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभी तक जो कम्पेन्सेशन और वेजिज़ दी गई हैं उनका कितना एमाउंट है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछला भाग पूछा गया था ।

श्री राज बहादुर : जो सरवाइवर्स आये हैं उनमें इंडियन नैविगेटर के जो सरवाइवर्स थे वे सब आ चुके हैं सिवाय एक के जोकि मिसिंग थे या चीफ आफिसर के जो कि यू० के० के निवासी हैं, वहां के नागरिक हैं और जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, अस्वस्थ हैं । जहां तक कम्पेंसेशन का प्रश्न है, मैं अभी उसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैंने पूछा था कि सरवाइवर्स ने जो बयान दिये हैं, उसका क्या मतलब है ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है ।

श्री राज बहादुर : इन्क्वायरी आफिसर जो जांच कर रहे हैं, वह बयान उनका लेंगे लेकिन मुख्य बयान जो होगा वह चीफ आफिसर का होगा जिसके बारे में मैं तीसरी बात नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वह बीमार हैं लन्दन में और अगर आवश्यक हुआ तो जांच करने वाले अधिकारी को वहां भेजा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम बरुआ देरी से आये हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** मुझे इस का खेद है । जांच समिति दुर्घटना की जांच करने में कितना समय लगायेगी और इस आपत्ति में से जो लोग बच पाये हैं, क्या उन लोगों से कोई प्रारम्भिक सूचना प्राप्त की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि जांच हो रही है ।

†**श्री राज बहादुर :** जो जांच हो रही हैं, एक भारतीय नौवहन के बारे में और दूसरी रक्षा दल में जाने वाले १३ अफसरों या लोगों की सफलता के बारे में । दोनों जांचें चल रही हैं । जांचों के निष्कर्ष या परिणामों का पूर्व अनुमान लगाना मेरे लिये ठीक नहीं है ।

रक्षक खाद्य

†***५२. श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय से रक्षक खाद्यों के उपलब्ध होने के बावजूद उनकी प्रति व्यक्ति खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) जी, नहीं । उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पश्चात् दूध, मछली, अंडों, मांस, तेलों और चिकनाई वाली चीजें तथा दलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या उपमंत्री के उत्तर से मैं यह समझ लूं कि इस अवधि में पौष्टिक भोजन सम्बन्धी खराबियों और रक्षक खाद्य के बीच के सम्बन्ध में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी, हां । कुछ परिवर्तन हुआ है । उदाहरणार्थ, मछली के मामले में, १९५१ में यह प्रति वर्ष १.८६ किलोग्राम था । १९५८ की उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह २.३१ किलोग्राम है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या मछली सम्बन्धी आंकड़ों में सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में मछली का प्रयोग खुराक के रूप में नहीं बल्कि इन वर्षों में खाद के रूप में किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह बाजार में संभरण के आधिक्य के कारण था, विशेषकर मालाबार तट में सारडीन किस्म की मछली के बारे में यह बात है ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री ने जो २०५६ किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के आंकड़े बताये हैं, क्या उस में वास्तव में उपभोग में आई मछलियों का उल्लेख है या यह लोगों द्वारा पकड़ी गई मछलियों के बारे में है । यदि आप कहते हैं कि मछली का उपभोग २.५६ किलोग्राम है

---

†मूल अंग्रेजी में

तो यह एक चीज है । यदि यह कुछ पकड़ी गई मछलियों और उसे पकड़ने वाले लोगों पर विभाजित किया गया है, तो अलग बात है । क्या ये आंकड़े उपभोग सम्बन्धी आंकड़े हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : ये उपभोग सम्बन्धी आंकड़े हैं ।

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

†***५३. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : तीसरी योजना में सम्मिलित की जाने वाली परियोजनायें प्रायः निश्चित की जा चुकी हैं । अतः यह बताने में क्या कठिनाई है कि यह योजना प्रारम्भ की जायेगी अथवा नहीं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह प्रश्न गत वर्ष दिसम्बर में पूछा गया था और मैंने यह उत्तर दिया था कि इस लाइन का निर्माण मंगलौर के लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक पत्तन के रूप में विकास पर निर्भर है । ज्ञात हुआ है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने योजना आयोग को मंगलौर पत्तन को तीसरी योजना में सम्मिलित करने के लिए लिखा है । यदि वह सम्मिलित कर लिया जाता है तो इस लाइन का निर्माण करना ही होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जब माननीय उपमंत्री दक्षिण गये हुए थे तो उन्होंने यह कहा था कि योजना आयोग ने नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त राशि उपलब्ध की है और उससे दक्षिण को लाभ होगा । क्या उनका तात्पर्य हसन-मंगलौर लाइन से था ?

†**श्री वें० प० नायर** : सभी उपमंत्री दक्षिण में थे ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: अस्थायी रूप से २५ से ३५ करोड़ रुपये आवण्टित किये गये हैं । यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो संभवतः इस लाइन को सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मंत्री ने यह सिद्धान्त अपनाया है कि पत्तन के बिना रेलवे लाइन नहीं बनाई जायगी और यही सिद्धान्त करवार के मामले में लागू किया गया है । क्या मंत्रालय ने परिवहन मंत्रालय के साथ मिल कर विशेषज्ञों की इस राय के सम्बन्ध में जांच कराई है कि मंगलौर के निकट जो नदी है उसमें इतनी रेत जमा हो जायेगी कि वहां पत्तन और बन्दरगाह बनाना प्रायः असम्भव हो जायेगा ?

†**रेलवे मंत्री** : यह प्रश्न परिवहन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : कुछ समय पूर्व रेलवे मंत्री ने यह कहा था कि हसन को मंगलौर के साथ मिलाने का प्रश्न मंगलौर में पत्तन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है । अब चूंकि समिति ने यह सिफारिश की है कि पत्तन का इस प्रकार विकास किया जाना चाहिए कि उसमें गहरे डुबाव वाले जहाज आ सकें अतः इस लाइन की मंजूरी देने में क्या कठिनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सं० वें० रामस्वामी** : अभी योजना आयोग ने उस प्रतिवेदन को स्वीकार करके उसे तीसरी योजना में सम्मिलित नहीं किया है । ऐसा किये जाने के पश्चात् ही रेलवे लाइन का प्रश्न आयगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि दक्षिण में नई रेलवे लाइनों के लिए ३५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवण्टित की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि हसन-मंगलौर लाइन को सम्मिलित नहीं किया गया तो और कौन सी रेलवे लाइनों का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : हम योजना आयोग के साथ मिलकर इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि तीसरी योजना में कौन सी नई रेलवे लाइनें बनाई जायें । हमने बहुत सी लाइनों की सूची बनाई है और हसन-मंगलौर लाइन भी उस सूची में सम्मिलित है । जैसे ही रेलवे को अतिरिक्त रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवण्टन उपलब्ध कर दिया जायगा इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : परन्तु माननीय उपमंत्री ने कहा था कि ३५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवण्टित की जा चुकी है ?

†**श्री जगजीवन राम** : वे तो अस्थायी प्रस्ताव थे जिन पर मंत्रालय में ही विचार किया जा रहा था, परन्तु उस प्रश्न की अभी योजना आयोग के साथ मिल कर जांच की जा रही है ।

बम्बई पत्तन

†*५४. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री नारायणन् कुट्टिमेनन :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन के आधुनिकीकरण की योजना अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). बम्बई पत्तन के आधुनिकीकरण की योजना अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं की गई है । उसकी राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ श्री पोसयुमा ने जांच की थी जोकि हाल में भारत आये थे । उनका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि बम्बई पत्तन के आधुनिकीकरण की लगभग ८।। करोड़ रुपये की लागत की यह योजना बम्बई के पोर्ट ट्रस्ट कमिश्नरों और मंत्रालय के बीच अनेक वर्षों के विचार विमर्श के पश्चात् तैयार की गई थी ? फिर क्या कारण है कि जैसे ही राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ ने आकर उसकी जांच की तो उसे योजना में ऐसे दोष मिले कि उसे स्थगित करना पड़ा ?

†**श्री राज बहादुर** : पहली बात तो यह है कि उसे स्थगित नहीं किया गया है । दूसरे यह एक नई योजना है, पुरानी योजना नहीं । पहली योजना बम्बई पत्तन के न्यूनतम विकास के नाम

†मूल अंग्रेजी में

से पुकारी जाती थी । वह सर्वथा भिन्न चीज थी जिससे पत्तन की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती थी वरन् उसमें केवल बहुत से ऐसे घाट बनाये जाने थे जिनमें गहरे डुबाव वाले जहाज आ सकें । नई योजना में कुछ अतिरिक्त घाट भी बनाये जाने हैं और पत्तन संचालन की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी । यह योजना हाल ही में बनाई गई है और उसका केवल विभाग द्वारा ही अनुमोदन नहीं हुआ है वरन् पोर्ट ट्रस्ट और उन लोगों ने भी अनुमोदन किया है जो पहली योजना के समर्थक थे । इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि उसे स्थगित कर दिया गया है । हमें उसकी राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञ द्वारा जांच करानी है और हम उसके प्रतिवेदन एवं विचारों पर समुचित विचार करेंगे ।

सिन्धु जल करार

+

†*५५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० क० ब० मेनन :
श्री बै० च० मलिक :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए सिन्धु जल करार के अनुसमर्थन पत्र का औपचारिक विनिमय किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संधि की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान सरकार को कोई भुगतान किये हैं; और

(ग) भुगतान की राशि कितनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सिन्धु जल करार के अनुच्छेद ५ के अनुसार दस बराबर की किश्तों में से पहली किश्त के रूप में ६,२०६,००० पौंड सिन्धु बेसिन विकास निधि में जमा किय जाने के लिए १४ फरवरी, १९६१ को पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को भुगतान किये गये हैं । संधि के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को प्रत्यक्ष कोई भुगतान नहीं किया जाना था ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या पाकिस्तान को भावी भुगतान सीमेंट आदि वस्तुओं के रूप में किये जायेंगे ?

†**श्री हाथी** : यह भुगतान नकद में किया गया है । समाचारपत्रों में वस्तुओं के रूप में भुगतान के सम्बन्ध में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं । यह एक अलग प्रश्न है जिस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने अनुसमर्थन के प्रभाव के बारे में विचार किया है, विशेषकर गंग और सरहिन्द नहरों में पानी की अत्यधिक कमी के बारे में ?

†**श्री हाथी** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है । यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को भुगतान की जाने वाली पहली किश्त के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या अनुसमर्थन के पूर्व समस्त स्थिति पर विचार किया गया था ?

†**श्री हाथी** : उस की जांच की गई थी ।

पर्यटन-स्थानों का सर्वेक्षण

*५७. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पर्यटन स्थानों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या इन स्थानों तक सुगमता से पहुंचने के लिये परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या ऐसे स्थानों में रहने की सुविधा के बारे में भी कोई योजना विचाराधीन है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ चुने हुए स्थलों का संख्यान सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) पर्यटन स्थलों पर सड़क यातायात की व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है ।

(ग) पर्यटकों के लिए विश्रामगृह तैयार करवाने की व्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है ।

श्री पद्म देव : स्वतंत्रता के पश्चात् शिमला पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षणीय स्थान बन गया है विशेष तौर पर गर्मियों में और सर्दियों में हिमपात पर । क्या मंत्री महोदय को यह भलीभांति मालूम है कि वहां पर पर्यटकों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खास तौर पर निर्धन पर्यटकों के लिए । क्या इस सम्बन्ध में सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि पर्यटकों के लिए निवास की सुविधा हो सके ?

श्री राज बहादुर : जहां तक हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा का प्रश्न है, जो कुछ भी योजना में उसके बारे में सम्प्रति मैं नहीं कह सकूंगा, परन्तु हमारा ध्यान उस ओर है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी भागों में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनका पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्रों के रूप में विकास किया जा सकता है ?

†**श्री त्यागी** : हां, मसूरी उनमें से एक है ।

†**श्री राज बहादुर** : हमारा सम्बन्ध अनिवार्यत: पर्यटन की समस्याओं से है, परन्तु हम विदेशी पर्यटकों का दृष्टिकोण सर्वोपरि रखते हैं जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है । हमने सुविधाओं की व्यवस्था करने के मामले में ऐसे स्थानों को समुचित महत्व दिया है जो विदेशी पर्यटकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं ।

†**श्री त्यागी** : मसूरी के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री राज बहादुर** : उसकी देखभाल की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नंजप्पा : क्या उटकमण्ड और नीलगिरी में आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री राज बहादुर : मेरे लिए किसी स्थान विशेष के बारे में उत्तर देना कठिन होगा जब तक कि पूर्व सूचना न दी जाये ।

†श्री वें० प० नायर : क्या भारत सरकार ऐसे स्थानों में जो राज्यों के अन्दर हैं अपने खर्चे से विश्राम-गृह चला रही है ?

†श्री राज बहादुर : हम लगभग २५ स्थानों में विश्रामगृह बना रहे हैं । उनमें से १२ पूरे हो चुके हैं और शेष को पूरा किया जा रहा है ।

†श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ स्थानों का स्टेटिस्टीकल सर्वे किया जायेगा । वे कौन से स्थान हैं और किस आधार पर उनका चयन किया गया है ?

श्री राज बहादुर : अगर सर्वेक्षण से तात्पर्य एक सम्पूर्ण और सर्वांगीण सर्वेक्षण से है, तब तो मैं निवेदन करूंगा कि वह तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक सीमित ढंग में किया जा रहा है, और मैं उन स्थानों के नाम आपको बताना चाहूंगा । वह हैं : आगरा, फतेहपुर सीकरी, सांची, सारनाथ, अजंता, अलोरा, महाबलीपुरम और अम्बर पैलेस ।

†श्री रघुनाथ सिंह : बनारस को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है जबकि संसार भर के पर्यटक वहां आते हैं ?

†श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि मेरा वाराणसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है और न विभाग का ही कोई द्वेष है । तथ्य यह है कि पर्यटन विभाग में सांख्यिकीय एकक अत्यन्त छोटा है । अत: इस प्रकार के सर्वेक्षण अत्यन्त सीमित पैमाने पर किये जा सके हैं । यह एक परीक्षणात्मक परियोजना है जो पर्यटक गणना सर्वेक्षण कहलाती है जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए स्थानों का भ्रमण करने वाले लोगों, पर्यटकों तथ गैर-पर्यटकों की संख्या का अनुमान लगाना है ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या भाखड़ा नांगल का गोविन्द सागर भी उन स्थानों में सम्मिलित है और क्या वहां होस्टल और विश्रामगृह बनाने के कोई प्रस्ताव हैं ?

†श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि कालान्तर में हम पंजाब सरकार के साथ मिल कर गोविन्द सागर की आवश्यकताओं पर विचार करेंगे ।

†श्री वेंकटा सुब्बया : क्या आन्ध्र प्रदेश के श्री सैलम, और तिरुपती जैसे तीर्थस्थान भी इन पर्यटन केन्द्रों में सम्मिलित किये गये हैं और केन्द्र ने उन स्थानों के पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता दी है ?

†श्री राज बहादुर : मैं श्री सैलम के सम्बन्ध में तो अधिक नहीं कह सकता परन्तु मैं तिरुपती गया हूं और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति यह बात स्वीकार करेगा कि हमारे देश के पर्यटकों के लिए वहां पर्याप्त धर्मशालायें, प्रतीक्षागृह और विश्राम गृह हैं । मैं चाहता हूं कि अन्य पर्यटन केन्द्रों में भी इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हो सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नकली औषध तथा जड़ी बूटियां

†*४७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान देश में नकली औषधों और जड़ी बूटियों की बिक्री में वृद्धि की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इसके सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सामुदायिक विकास कार्य की प्रगति

†*५६. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सम्पादकों और समीक्षकों के एक दल ने हाल में भारत के सामुदायिक विकास कार्य का अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन भेजा है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के निमंत्रण पर ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के आर्थिक सम्पदाकों और समीक्षकों का एक दल हाल ही में भारतीय विकास कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये यहां आया था ताकि वे वापस जाकर अपने अपने पत्रों और पत्रिकाओं में इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रचार कर सकें । यह दल अन्य स्थानों के अतिरिक्त आसाम के सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी एक प्रशिक्षण केन्द्र को देखने गये थे और उन्होंने सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री से भेंट की थी । इस दल ने इस मंत्रालय को कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा है । वित्त मंत्री ने बाद की किसी तिथि को इस प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार कर लिया है ।

चंडीगढ़ रेल लिंक

*५८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ शहर से चंडीगढ़ स्टेशन और लुधियाना तक सीधी रेलवे लाइन बनाने की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों में से किस परियोजना पर पहले कार्य आरम्भ होगा; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई राशि नियत की गई है, यदि हां, तो कितनी और उस पर कब से कार्य आरम्भ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) विभिन्न राज्यों की कई दूसरी बकाया मांगों के साथ इस पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) तीसरी पंच-वर्षीय आयोजना में इस प्रस्ताव को शामिल करने की मंजूरी अभी नहीं दी गयी है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पौंटा स्टेशन पर डकैती

*५९. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ जनवरी, १९६१ को पूर्व उत्तर रेलवे के पीलीभीत-शाहजहांपुर सेक्शन पर स्थित पौंटा रेलवे स्टेशन पर डाका पड़ा था;

(ख) इस डाके में क्या-क्या सामान लूटा गया;

(ग) इस डाके के फलस्वरूप स्टेशन के कर्मचारियों को कितन चोटें आईं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या जांच की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। ५-१-१९६१ को नहीं, बल्कि १५ और १६ दिसम्बर, १९६० के बीच रात में डाका पड़ा था।

(ख) १२० रुपये ८५ नय पैसे रेलवे की नकदी, एक टिन मिट्टी का तेल, बीड़ी के तीन टोकरे, दवाइयों के दो बक्से और वर्दी के कपड़े, जिनकी कुल कीमत ११०० रुपये थी, लूट लिय गय।

(ग) किसी को चोट नहीं आयी।

(घ) पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खाद्य की कमी

†*६०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने १९६१-६२ की अवधि में होने वाली खाद्य की कमी का पुनः अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत में कितनी मात्रा में खाद्य की कमी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). १९६१-६२ की अवधि में देश में होने वाली खाद्य की कमी के सम्बन्ध में निश्चित रूप से अनुमान लगाना कठिन है। यह तो आगामी रबी और खरीफ़ की फसलों पर निर्भर करता है। यदि फसल अच्छी हुई, तो कमी कम होगी, नहीं तो संभरण की स्थिति को स्थिर रखने के लिये बाजार में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजना पड़ेगा।

हावड़ा-बर्दवान सेक्शन पर बिजली से रेलें चलाया जाना

†*६१. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-बर्दवान सेक्शन का विद्युतीकरण करने के लिए विदेशी ठेकेदारों को कुल कितना धन दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या ठेके में बताई गयी राशि से अधिक धन दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो कितना धन अधिक दिया गया और इस अधिक धन को देने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) ४,२८,३४,००० रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली-टोकियो रेडियो टेलीटाइप लिंक

†*६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और टोकियो के बीच एक रेडियो टेलीटाइप लिंक का उद्घाटन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन का व्यय हुआ और इसको किस प्रकार बांटा गया है; और

(ग) क्या यह सम्पर्क (लिंक) विश्व अन्तरिक्ष शास्त्रीय संगठन की सिफारिशों पर स्थापित किया गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत की ओर लगभग के, ६७,००० रुपय प्रति वर्ष खर्च आया हैं और टोकियो की ओर आने वाला खर्च जापानी अन्तरिक शास्त्र सम्बन्धी सेवा द्वारा वहन किया जाता है और उसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी, हां ।

भारत में चिकित्सा शिक्षा

†*६३. **श्री हेम राज :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या स्वास्थ्य मंत्री सितम्बर, १९६० में हुए भारत के मैडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों तथा डीनों के सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और सुधार की कौनसी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और उनकी कार्यान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) गांवों की डिस्पैंसरियों के प्रति चिकित्सा डिप्लोमाधारी तथा चिकित्सा स्नातकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्यमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या १०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

वी० एम० अस्पताल, अगरतला

†*६४. श्री दशरथ देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वी० एम० अस्पताल, अगरतला के प्रसूति-वार्ड में इस समय कितने पलंग हैं;

(ख) क्या यह सच है कि प्रसूति-वार्ड में पलंगों की कमी के कारण बहुत से रोगियों को प्रायः फर्श पर लेटना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ४० जिन में से १९ अस्थायी पलंग हैं ।

(ख) आपातकाल में कुछ रोगियों को फर्श पर भी लेटना पड़ता है ।

(ग) एक नया अस्पताल तैयार किया जा रहा है जिसमें २५० पलंग होंगे । इस नये अस्पताल के पूरा हो जाने पर वी० एम० अस्पताल के कुछ वार्डों को नये अस्पताल में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और इस प्रकार से वी० एम० अस्पताल में खाली हुई जगह प्रसूति वार्ड के लिये आवंटित कर दी जायेगी ।

रूस से जैट विमान

†*६५. श्री दामानी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये में अदायगी के आधार पर जेट विमानों के सम्बन्ध में रूस से प्राप्त प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है; और

(ख) क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) रूस ने रुपये की अदायगी के आधार पर विमान और हेलीकोप्टरों के संभरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया है ।

(ख) इस सम्बन्ध में उन सभी को सूचित कर दिया गया है जो कि विमान आयात करने के इच्छुक हैं ।

हल्दिया में गोदी श्रमिक

†*६६. श्री मुहम्मद इलियास : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन पर पंजीबद्ध गोदी श्रमिकों को काम में लगाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी नौवहन समवायों द्वारा भारतीय नाविकों को नौकरी

†*६७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी नौवहन समवाय भारतीय नाविकों को उस पैमाने पर नौकरी नहीं दे रहे हैं जैसे कि पहले देते थे, और भारत में गत वर्षों की अपेक्षा नाविकों की बेरोजगारी बढ़ रही है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी जहाज मालिकों के विदेशों को जाने वाले जहाजों पर ८००० से अधिक भारतीय नाविकों की नौकरी छट गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). जी, हां ।

सुखमृत्यु

†*६८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सुयोग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों के उस सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने ला इलाज और कष्टदायक रोगों में समुचित सावधानी की व्यवस्था करते हुए सुखमृत्यु की प्रथा को कानूनी रूप देने के बारे में कहा है; और

(ख) क्या इस की जांच की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है । जानकारी उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में एक विवरण, सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

रेलवे चिकित्सक

†*६९. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रेलवे सेवा के चिकित्सकों को उच्चशिक्षा के लिये भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या बाहर जाने वाले व्यक्तियों के नाम छांट लिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी)** : (क) जी हां, जिनके लिये उच्च प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें भारत में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १० ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्यक विमान चालक

†*७०. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा जिन उम्मीदवारों को विभिन्न श्रेणियों के वाणिज्यिक विमान चालकों के लाइसेंस दिये गये हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापों के अनुसार उड़ान के लिये पूर्णतः योग्य हैं;

(ख) क्या लाइसेंस के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) विमानचालकों को किस प्रकार के लाइसेंस दिये जाते हैं और उनके स्तरों में क्या अन्तर है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है ।

विवरण

(क) जी, हां

(ख) और (ग). गत पांच वर्षों में जारी किये गये 'बी' लाइसेंसों की संख्या निम्न-लिखित है :—

वर्ष	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या
१९५६	२९
१९५७	२०
१९५८	१९
१९५९	७२
१९६०	२७

१९५६ से १९६० तक 'ए–१' का कोई भी लाइसेन्स जारी नहीं किया गया था ।

(घ) भारतीच विमान नियमों के अधीन, निम्नलिखित विमान चालक लाइसेन्स जारी किये जाते हैं :—

(१) निजी चालक लाइसेन्स, जिन्हें 'ए' लाइसेन्स कहा जाता है ।

(२) लिमिटेड वाणिज्यिक लाइसेन्स, जिन्हें 'ए-१' लाइसेन्स कहा जाता है ।

(३) वाणिज्यिक चालक लाइसेन्स, जिन्हें 'बी' लाइसेन्स कहा जाता है ।

(४) प्रशिक्षक लाइसेन्स

†मूल अंग्रेजी में

इन लाइसेन्सों को जारी करने की आवश्यकतायें भारतीय विमान नियम, १९३७ की अनुसूची २ की धारा (क) से (घ) में लिखित हैं जोकि भारतीय विमान नियम की अनुसूची ८ की धारा (ग) के साथ ही पढ़ी जाती हैं। सार्वजनिक विमान परिवहन सेवाओं के विमान चलाने वाले चालकों के लिये भी यह आवश्यक है कि उनके पास 'इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग' होना चाहिये, परन्तु ५,७०० किलोग्राम के अथवा कम वजन के विमानों को चलाने वाले सार्वजनिक परिवहन सेवा के चालक "इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग' के बिना भी दृश्य उड़ान नियमों के अधीन विमान चला सकते हैं।

रिहान्द से बिजली

†*७१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी:** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य को रिहान्द से प्राप्त बिजली का उचित अंश देने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश सरकार को कितनी मात्रा में बिजली देगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टिड्डियां

†७२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा टिड्डियों के विनाश पर इस वर्ष कितना धन खर्च किया जायेगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अरब देशों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान द्वारा किसी प्रकार का सहयोग दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

कृषि मत्री (डा० पं०शा० देशमुख) : (क) १९६१-६२ में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग ३५ लाख रुपये।

(ख) जी हां।

(ग) टिड्डियों के मुतल्लिक पेशगी सूचना दे कर।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर दुर्घटना

†*७३. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सुबिमल घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के आदरा–गोमो सेक्शन पर २४ दिसम्बर, १९६० को कोई दुर्घटना हुई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना की विस्तृत बातें क्या हैं और पीड़ितों को कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ख) २२ दिसम्बर, १९६० को (२४ दिसम्बर, १९६० को नहीं) जब बी० ए०-३ डाऊन माल गाड़ी दक्षिण पूर्व रेलवे के आदरा-गोमोह सेक्शन में भोजुडीह और सन्ततालदीह स्टेशनों के बीच चल रही थी तो एक पुल पर उस गाड़ी का डीजल इंजन और छः डिब्बे पटड़ी से उतर गये थे । वह डीजल इंजन और कुछ डिब्बे नदी में गिर पड़े थे । उस गाड़ी में यात्रा करने वाला एक गैंगमैन, दो अनधिकृत व्यक्ति और एक बाहर का व्यक्ति मारे गये थे । डीजल इंजन के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं । इस दुर्घटना के कारणों की खोज करने के लिये विभागीय जांच आयोग जांच कर रहा है । अभी तक किसी को भी प्रतिकर अदा नहीं किया गया है ।

जूट उद्योग

†*७४. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि जूट उद्योग तथा जूट की खेती के लिये वर्ष १९६० बहुत कष्टसाध्य रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को सुरक्षा अथवा इस की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) कच्ची जूट के उत्पादन को बढ़ाने के लिये उपाय करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । भारत सरकार राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक संभरित कर रही है और बढ़िया किस्म के बीजों को राजकीय सहायता पर वितरित करने के लिये वित्तीय सहायता दे रही है । भारत सरकार राज्यों को उस दृष्टि से भी वित्तीय सहायता दे रही है कि जिस से वे नये तालाबों के द्वारा तथा पुराने तालाबों में सुधार कर के काश्तकारों को सिंचाई सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं दे सकें । जूट फसल के लिये उर्वरक की खरीद के लिये अल्पकालीन ऋण भी दिये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी पर्यटकों के लिये शराब के परमिट

†*७५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को शराब के अखिल भारतीय परमिट देने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत समाप्त हो गयी है ;

(ख) अखिल भारतीय परमिट देने के बारे में जो ब्योरा तैयार किया जा रहा है उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कब तक तैयार कर लिया जायेगा और, इस के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). शराब सम्बन्धी परमिट देने की एक प्रणाली जारी करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से ब्योरों पर विचार किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि यदि वे इन सुझावों को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें अपने निषेध अधिनियमों में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि क्या सभी राज्यों द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा और कब तक किया जायेगा।

डीजल से चलने वाले रेलवे इंजन

†*७६. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :
श्री दामानी :

क्या **रेलवे** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २१९ के उत्तर में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन शिमला के उप-महानिदेशक (डीजल) श्री एम० एम० सूरी द्वारा किये गये एक मुख्य भारतीय आविष्कार का विश्वव्यापी उपयोग करने के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी के एक डीजल रेलवे इंजिन निर्माता फर्म के साथ किये जाने वाले समझौते का ब्योरा कब तक अन्तिम रूप से तैयार कर लिया जायेगा ; और

(ख) समझौते का ब्योरा तैयार करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) शीघ्र ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सचिव ने उस फर्म के प्रतिनिधियों से, जब वे गत मास भारत में थे, बातचीत कर के करार के ब्योरे तय कर लिये हैं और उन की औपचारिक स्वीकृति के लिये १३-१-६१ को उस फर्म के पास उस करार का एक पुनरीक्षित प्रारूप भेज दिया गया है ।

पार्सल में भेजे गये सामान के बारे में गलत जानकारी देना

†*७७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २००९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान के बारे में गलत जानकारी देने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी हैं ; और

(ख) उस पर मुकदमा न चलाये जाने का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). जी, नहीं । क्योंकि वह सामान "हानिरहित औषधियों" के रूप में घोषित किया गया था जिन पर माल परिवहन के रूप में मद्यसार से अधिक और पार्सल परिवहन के रूप में उतना ही भाड़ा लिया जाता है । फिर भी इस बारे में उत्पादन अधिनियम की धारा ३४ के अधीन अपराध संख्या ५७/६० के अधीन दर्ज मामले के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

अमेरिका से आयात किया गया माइलो

†*७८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री आसर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ दिसम्बर, १९६० को अमेरिका से आयात हुआ १२०० टन माइलो ३ सप्ताह से भी अधिक समय तक बम्बई की गोदियों में खुला पड़ा रहा था ?;

(ख) क्या इस कारण खाद्यान्न की कुछ मात्रा मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रह गयी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). क्योंकि ट्रांजिट शेड में माल भरा हुआ था और वहां जगह की कमी थी इसलिये १४-१२-६० को बम्बई पहुंचने वाले अमरीकी माइलो (ज्वार) को घाट पर ही उतार देना पड़ा । वह वहां पर केवल दस दिनों के लिये ही रखा गया था और उसे किरमिच से ढक कर रखा गया था ।

इस अल्प अवधि में घाट पर किरमिच से ढक कर रखने से उस सामान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्न का नुकसान

†*७९. श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्यक वर्ष कीड़ों, चूहों नमी तथा अन्य कारणों से खाद्यान्नों को कुल कितनी हानि-क्षति हुई ;

(ख) इस मात्रा की कुल कीमत कितनी है ; और

(ग) ऐसी हानि-क्षति को रोकने के लिये क्या सावधानी बरती गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) कीड़ों, चूहों नमी आदि के कारण खाद्यान्नों को होने वाली हानि के बारे में निश्चित रूप से अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है । गोदामों में नमी के कारण होने वाली हानि अनिवार्य है ।

(ग) यदि खाद्यान्न को चूहों, नमी और कीड़ों से रक्षित गोदामों में रखा जाये तभी नुकसान को कम किया जा सकता है । उन के अतिरिक्त अन्य सावधानियां ये हैं कि उपयुक्त साल-काष्ठ इस्तेमाल किये जायें, नियमित रूप से निरीक्षण किये जायें और कीटाणु नाशक उपायों का इस्तेमाल किया जाये ।

पांडिचेरी मेडीकल कालेज

†*८०. **श्री तंगामणि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडीचेरी मेडिकल कालेज की इमारतें पूरी तरह तैयार हो गयी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उपयुक्त इमारतों तथा उपकरणों की कमी के कारण विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को कठिनाई अनुभव होती है ; और

(घ) इस कार्य के लिये कुल कितनी राशि दी गयी है और इमारतों तथा उपकरणों पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ; निर्माण-कार्य अभी जारी है ।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) ठेकेदारों की ओर से कम उत्साह ।

(२) सामग्री की कीमतों में वृद्धि जिस के कारण पुराने प्राक्कलनों का पुनरीक्षण करना पड़ा ।

(३) कुछ निर्माण सामान की कमी जैसे कि ढले हुए लोहे के पाइप ।

(ग) वह कालिज अभी अस्थाथी इमारतों में लग रहा है । उन इमारतों की आवश्यकतानुसार मरम्मत भी की गई है । जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है, आवश्यकता के अनुसार उन्हें खरीद लिया जाता है और इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इमारत के निर्माण के लिये २५ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। आशा है कि १९६०-६१ में ४ लाख रुपये खर्च हो जायेंगे।

जबलपुर में प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र

†*८१. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री १५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर (मध्य प्रदेश) में प्रादेशिक वन गवेषणा केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव जो सरकार के विचाराधीन है, किस प्रक्रम पर है ;

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रकार का केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

(ख) देहरादून की वन अनुसन्धान संस्था तथा कालेज के प्रधान द्वारा तैयार की गयी योजना विचाराधीन है।

(ग) इस समय इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता परन्तु इस परियोजना को यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र तय कर लेने का यत्न किया जायगा।

दिल्ली का विकास

†*८२. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पहाड़िया :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का आयोजित विकास करने के लिये केन्द्रीय गृह मन्त्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की नियुक्ति की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या उसने काम करना आरम्भ कर दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार भवन, चंडीगढ़

†५८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच चण्डीगढ़ में केन्द्रीय डाक तथा तार कार्यालय के लिये एक ग्यारह मंजिल की इमारत या एक छोटी इमारत बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख) ग्यारह मंजिल की इमारत बनाने का विचार छोड़ दिया गया है। अब जी० पी० ओ०/डी० टी० ओ० के लिय एक छोटी इमारत बनाने का निर्णय किया गया है। इस प्रयोजन के लिये एक उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

रेलों पर भीड़ के हमले

†५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में अभी तक रेलवे कर्मचारियों और रेलवे-सम्पत्तियों पर कितनी बार भीड़ के हमले हो चुके हैं; और

(ख) क्या सभा-पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि ये हमले किस प्रकार के थे और उनके सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३१–१२–१९६० तक १३२।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या १२]**।

उत्तर रेलवे में डाके

†६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में उत्तर रेलवे में डाकों की कितनी घटनायें हुई थीं;

(ख) उनमें से कितने मामलों में अपराधियों का पता लग गया है; और

(ग) इन अपराधों को समाप्त करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १७।

(ख) ५।

(ग) निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) पुलिस की गश्त बढ़ा दी गयी है।

(२) सभी प्रमुख यात्रि गाड़ियों के साथ पुलिस भी भेजी जाती है।

(३) यथा सम्भव सरकारी रेलवे पुलिस रक्षकों के लियों स्थान गाड़ियों के मध्य में जनाने डिब्बों के साथ के डिब्बों में निर्धारित किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) रात के समय वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा विशेष रात्रि पुलिस दलों द्वारा गश्ती दस्तों और गाड़ियों की अकस्मात चैकिंग की जाती है।

(५) प्रमुख प्रमुख स्थानों पर पुलिस के दस्तों का प्रबन्ध कर दिया जाता है और बड़े पैमाने पर छापे मारे जाते हैं।

(६) सरकारी रेलवे पुलिस कर्मचारियों को ये हिदायतें दी गयी हैं कि वे इस बात का विनिश्चय कर लिया करें कि जनाने डिब्बों के यात्री गाड़ी चलने से पहले सुरक्षा सम्बन्धी चिटकिनियां लगा लें। रेलवे अधिकारियों ने अपने टी० टी० तथा गाड़ियों के कन्डक्टरों को भी ये हिदायतें जारी कर दी हैं।

पंजाब में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो

†६१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना करने के लिये वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में कुछ अग्रिम राशि दी है; और

(ख) यदि हां तो इस प्रयोजनार्थ किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) तथा (ख) नवीन प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंश राज्य सरकारों को मासिक किश्तों में दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना करने के लिये वर्ष १९५९–६० में पंजाब सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। वर्ष १९६०–६१ में पंजाब सरकार को इस प्रयोजनार्थ ३७,००० रुपये की राशि दी जाने की आशा है।

मत्स्य उत्पादन

†६२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन विधि के द्वारा मत्स्य उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की अपेक्षा वर्ष १९६० में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

†**कृषि मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९६० के उत्पादन आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष के आंकड़ों में उस योजना के प्रथम वर्ष के उत्पादन आंकड़े की अपेक्षा ७ प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है।

मुर्गी पालन केन्द्रों में महामारी

†६३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले मुर्गीपालन केन्द्रों में महामारी से वार्षिक अनुमानित क्षति क्या हैं; और

(ख) इन पक्षियों को महामारी से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो०वें०कृष्णप्पा)** : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देखभाल किये जाने वाले मुर्गी पालन केन्द्रों में मुर्गियों के बच्चों की महामारी तथा दुर्घटना फलस्वरूप मृत्यु की वार्षिक कुल संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]** इन पक्षियों में सामान्यतः २० प्रतिशत मृत्यु साधारण समझी जाती है।

(ख) मुर्गी, पालन केन्द्रों में मुख्य रोग रानीखेत, चेचक, तथा जूएं पड़ना है। फिर भी इन पक्षियों की बीमारियां काफ़ी सन्तोषजनक ढंग से नियन्त्रित कर ली गई हैं क्योंकि जैसे ही यह बच्चे ६ से ८ सप्ताह के होते हैं त्योंही इन बीमारियों से इन्हें बचाने के लिये नियमित रूप से टीके लगाने शुरू कर दिये जाते हैं। 'कोरीज़ा" नामक महामारी का इलाज मछली के तेल के प्रयोग तथा स्ट्रेप्टो पेन्सलीन के इंजैक्शनों के द्वारा ठीक किया जा रहा है।

मुर्गीपालन नस्ल केन्द्र

†६४. **श्री वे० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) केन्द्रीय सरकार तथा (२) राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले मुर्गीपालन नस्ल केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन केन्द्रों से मुर्गियों के बच्चों तथा बत्तक के बच्चों के तैयार करने तथा उनको इधर उधर भेजने कीं संख्या कितनी है; और

(ग) यदि गैर-सरकारी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा मुर्गीपालन नस्ल के सुधारने में कोई प्रयत्न किया गया है तो वह क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो०वे०कृष्णप्पा)**: (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा मुर्गीपालन नस्ल सुधारने वाले केन्द्रों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार के केन्द्रों के बारे में जानकारी विवरण में दी गई है जो कि संलग्न है।

विवरण

अखिल भारतीय मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अब तक पांच क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्र तथा २०७ मुर्गीपालन विकास तथा विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है। वर्ष १९५९–६० में नस्ल सुधारने के कार्यक्रम के अधीन इन बच्चों की संख्या निम्न थी :—

	मुर्गियों के उत्पादित बच्चों की संख्या	नस्ल सुधार के बाद इधर उधर भेजे गये बच्चों की संख्या
क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्र . .	४१,९५७	२५,४२३
मुर्गीपालन विस्तार केन्द्र .	२६,०२८	२१,७९५
योग .	१,१७,९८५	४७,२१८

†मूल अंग्रेजी में

इस योजना के अधीन प्रत्येक विकास खण्ड से पांच चुने हुए व्यक्तियों को अपने मुर्गीपालन केन्द्रों को सुधारने के लिये प्रत्येक को ५० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। राज्यों के मुर्गीपालन केन्द्रों में इन व्यक्तियों को मुर्गीपालन सम्बन्धी छः सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके लिये उन्हें ३० प्रतिमास की वृत्ति भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें नस्ल सुधारने के लिये घटी दर पर पक्षी भी दिये जाते हैं। अबतक विकास केन्द्रों तथा उसके आसपास ६,८३६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है, ७५८ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई है, और किसानों को घटी दर पर ६२,१५९ पक्षी दिये गये हैं।

मुर्गी के बच्चों आदि का मूल्य

†६५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के अपने मुर्गीपालन केन्द्रों द्वारा जो मुर्गी के बच्चे तथा छोटे मुर्गे बेचे जाते हैं उनका मूल्य बहुत अधिक है ; और

(ख) निम्न के लिये क्या मूल्य लिया जाता है :

(१) सेने वाले अंडे

(२) मुर्गी के छोटे बच्चे

(३) मुर्गा अथवा आयातित नस्ल के छोटे मुर्गे।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो०वे० कृष्णप्पा)** : (क) तथा (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्रीय मुर्गीपालन केन्द्रों में उत्पादित सेने वाले अंडे ६ रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे जाते हैं और मुर्गी के बच्चे तथा छोटे मुर्गे उनकी आयु के अनुसार प्रति पक्षी ६ से ८ रुपये तक बेचे जाते हैं। जब कि राज्यों के मुर्गीपालन केन्द्रों में सेने वाले अंडों का मूल्य ४ रुपये से ६ रुपये प्रति दर्जन है और मुर्गी के बच्चे तथा छोटे मुर्गों का प्रति बच्चा मूल्य ६ रुपये से १५ रुपये है।

ये दरें काफी उचित समझी जाती हैं क्योंकि अच्छी नस्ल के ये पक्षी तथा सेने वाले अंडे काफ़ी छानबीन करने के बाद अच्छी नस्ल से तैयार किये जाते हैं।

सूअर पालने के स्थान

†६६. **श्री व० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आजकल सूअर पालने के केन्द्र चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इन केन्द्रों से बेचे जाने वाले सूअर के बच्चों की वार्षिक औसतन संख्या कितनी है तथा इन बच्चों के बेचने का औसत मूल्य (प्रति पौंड) क्या है ; और

(ग) सूअर पालने के सरकारी केन्द्रों में किस किस महत्वपूर्ण किस्म के बच्चे तैयार किये जाते हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे०कृष्णप्पा)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे ही उपलब्ध हो जायेगी तो सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९५९–६० में लगभग ७०० सूअर के बच्चे बचे गये थ। सूअर के जीवित बच्चों का मूल्य प्रति पाउंड १ रुपये से लेकर १।२५ रुपये था।

(ग) मझोले सफेद यार्कशायर तथा बड़े सफेद यार्कशायर तैयार किये जाते हैं।

घोंघे का उपभोग

†६७. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में खाद्य के रूप में घोंघे का उपयोग किया जाता है ; और

(ख) क्या १९५१ के बाद से उसका उपयोग प्रति व्यक्ति बढ़ा है अथवा घटा है, यदि हां, तो उसका प्रतिशत कितना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा):** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मसालेदार गोश्त का उत्पादन

†६८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसालेदार गोश्त, जंघा का गोश्त तथा सूअर के गोश्त के उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) (१) बकरी तथा (२) गाय की गोश्त की अपेक्षा उनका मूल्य कितना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा):** (क) मसालेदार, जंघा के गोश्त तथा सूअर के गोश्त के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सन् १९४९* में सूअर के उत्पादन भारत में लगभग २३,६३३.२ टन था। उसके बाद से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	मसालेदार गोश्त	जंघा गोश्त	सूअर का गोश्त
एसेक्स डेरीफार्म दिल्ली	१.९५ रुपये प्रति पौंड	५ रुपये प्रति पौंड	३ रुपये प्रति पौंड
सेन्द्रल डेरीफार्म अलीगढ़	२ रुपये प्रति पौंड	१० रुपये प्रति किलोग्राम (१ किलोग्राम–२.२ पौंड)	६.६० रुपये प्रति किलोग्राम

	गाय का गोश्त	बकरी का गोश्त
कलकत्ता	६० रुपये प्रति मन	११३.५४ प्रति मन
बम्बई	गाय का गोश्त ०.८५ से १.३३ प्रति सेर भैंस का गोश्त ०.८३ रुपये से १.१० प्रति सेर	२.४३ रुपये प्रति सेर

---

* भारत में मांस के विपणन का प्रतिवेदन (१९५५)

†मूल अंग्रेजी में

गाय के गोश्त का उपभोग

†६९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाय के गोश्त की खपत के बारे में वर्तमान स्थिति क्या हैं ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद से क्या इसकी खपत में वृद्धि हुई है अथवा कमी ;

(ग) क्या भारत में गाय के गोश्त की खपत को बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है ;

(घ) बकरी के गोश्त की अपेक्षा गाय के गोश्त की पौष्टिकता कितनी अधिक है ; और

(ङ) खपत वाले केन्द्रों में बकरी के गोश्त की अपेक्षा गाय के गोश्त का मूल्य क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)**: (क) तथा (ख)—भारत के गोश्त विपणन सम्बन्धी प्रतिवेदन (१९५५) के अनुसार भारत में १९४९ में गाय के गोश्त का अनुमानित उत्पादन ९५,८४७ टन था। उसके बाद से देश में गोश्त के उत्पादन में एवं उसकी खपत के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

पपीता

†७०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुमानतः कुल कितनी मात्रा में पपीता पैदा होता है ;

(ख) इन फलों की क्या पौष्टिकता है ;

(ग) क्या भारत इन फलों को ताज़ी अथवा रखे हुए रूप में भारत के बाहर निर्यात कर रहा है ; और

(घ) यदि हां तो किस मात्रा में ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)**: (क) पपीता फल का वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में उत्पादन निम्नलिखित था :—

१९५७–५८	१,५७,००० टन
१९५८–५९	१,६८,००० टन

(ख) स्वास्थ समाचार संख्या २३।१९५१ में पके हुए पपीता की पौष्टिकता निम्न दी गई हैं :—

१. प्रोटीन	०.१ ग्राम
२. फैट	०.१ ,,
३. कारबोहाइड्रेट	२.७ ,,
४. कलशियम	३.० मिलीग्राम
५. फासफोरस	३.० ,,

†मूल अंग्रेजी में

६. लोहा	०.१ मिलीग्राम
७. करोटीन (अन्तर्राष्ट्रीय विटेमिन ए एकक)	५७३
८. नाइकोटिनिक एसिड	०.१ मिलीग्राम
९. राइबोपलबिन	७१ ,,
१०. विटेमिन सी०	१३ ,,
११. कैलोरिफिक वेल्यू	११ ,,

(ग) तथा (घ). भारत के विदेशी व्यापार सम्बन्धी मासिक आंकड़ों में ताजी पपीता के निर्यात के आंकड़े नहीं दिये गये हैं। वर्ष १९६० में भारत से ६७२ पौंड तैयार किया हुआ पपीता बन्द टिनों में भर कर विदेशों को भेजा गया था जिसका मूल्य लगभग ७९० रुपये था।

अनार का उत्पादन

†**७१. श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनारों का अनुमानित उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या १९५१ के बाद से अनारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा कमी ; और

(ग) अनार के वृक्षों के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख):** (क) भारत में अनारों के कुल उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में वार्षिक औसत उत्पादन २०० टन गुजरात में ५,६०० टन है। महाराष्ट्र राज्य में यह उत्पादन १९५६–५७ में ६,६०० टन था।

(ख) १९५१ के बाद से आंध्र प्रदेश तथा गुजरात राज्य में थोड़ी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र राज्य में १९५५–५६ तक तो अनारों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी लेकिन १९५६–५७ से इसके उत्पादन में कमी होनी शुरू हो गई है।

(ग) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में अनारों की खेती बढ़ाने के लिये अच्छी किस्म के पौदों का चयन एवं उनका वितरण करके तथा फल उत्पादकों को आवश्यक परामर्श देकर प्रयत्न किया जा रहा है। महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में अनारों के पौदे उगाने के लिये प्रति एकड़ ३०० रुपये का दीर्घ कालीन ऋण भी दिया जा रहा है।

मुर्गी के बच्चों का आयात

†**७२. श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष १९६० में अमरीका से विशेष नस्ल के कुछ सौ मुर्गी के बच्चों का अयात पौष्टिक भोजन की दृष्टि से आयात किये थे ; और

(ख) इस नस्ल के प्रयोग के क्या परिणाम निकले ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) :** (क) संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय पौष्टिक भोजन की गुणिता सुधारने की दृष्टि से खोज एवं प्रयोग करने के हेतु अंडों तथा चूजों के आयात

†मूल अंग्रेजी में

करने से है। यदि उनका अभिप्राय यही है तो इसका उत्तर हां है। अन्तर केवल इतना ही है कि इसकी संख्या कुछ हजारों में थी।

(ख) अब तक जो परिणाम निकले हैं वे प्रेरणावर्धक एवं उत्साहजनक हैं। आयातित मुर्गी के बच्चों एवं उनकी संतति, जिनका उपयोग प्रयोगार्थ किया गया है, ने भारत में सामान्यतः विकसित नस्ल की अपेक्षा थोड़े समय में ही अधिक विकास किया है और उनका मूल्य भी कम ही रहा है।

टेपीओका का उत्पादन

†७३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आजकल टेपिओका का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों की अलग अलग पैदावार कितनी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) टेपीओका का वर्ष १९५८–५९ का अनुमानित वार्षिक उत्पादन जिसके कि आंकड़े उपलब्ध हैं, १,७४७,६६७ टन है।

(ख) राज्यवार उत्पादन विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष १९५८–५९ में टेपीओका का उत्पादन

राज्य	टनों में उत्पादन
आंध्र प्रदेश	११,६८६
आसाम . .	३,२५९
बम्बई . .	१,२७०
केरल .	१,५६९,०९४
मद्रास .	१६१,२५०
मैसूर . .	८७५
उड़ीसा .	४३
पश्चमी बंगाल . .	नगण्य
त्रिपुरा . .	८०
अंडमान और निकोबार टापू	११०
भारत का कुल योग	१,७४७,६६७

†मूल अंग्रेजी में

टेपीओका

†७४. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेपिओका का प्रति एकड़ वार्षिक उत्पादन कितना है तथा जिन देशों में टेपिओका की बड़े पैमाने पर खेती होती है उनकी तुलना में यह उत्पादन कैसा है ;

(ख) प्रतिएकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम, यदि कोई हों, उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) १९६० का प्रति एकड़ उत्पादन १९५१ की तुलना में कैसा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना संलग्न १ से ३ विवरणों में दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]** ।

सुपारी

†७५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में सुपारी का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा १९५१ और १९५६ की तुलना में यह उत्पादन कैसा है ;

(ख) सुपारी में लगने वाले रोगों से उत्पादन में कितनी क्षति होने का अनुमान है ; और

(ग) भारत सरकार ने रोगों की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये हैं और उनका क्या परिणाम हुआ ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) :

वर्ष	उत्पादन
१९५०–५१ . .	२२.०० लाख प्रतिमान मन
१९५५–५६ .	२३.१० ,,
१९५९–६० .	२४.०० ,,

(ख) रोगों के कारण होने वाली क्षति का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) 'कोलरोग' और 'महली' रोगों के लिये मानसून के पूर्व रोगरोधक मिक्श्चर में एक प्रतिशत बोर्डो मिलाकर छिड़का जाता है जिसके परिणामस्वरूप ५ से २५ प्रतिशत फसल बच जाती है ।

नारियल

†७६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियलों का वर्ष १९६० का अनुमानित उत्पादन कितना है तथा १९५१ और १९५६ की तुलना में यह उत्पादन कैसा है ;

(ख) विभिन्न राज्यों का अलग अलग उत्पादन कितना है ; और

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये उत्पादन का लक्ष्य, यदि कोई हो, क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) :

वर्ष	उत्पादन (००० में)
१९५०–५१	३३,३२,२३१
१९५५–५६	४२,२४,३८४
१९५९–६० .	उपलब्ध नहीं है ।

(ख) राज्य का नाम — उत्पादन (००० में)

	१९५०–५१	१९५५–५६	१९५९–६०
१. केरल .	पुनर्गठित राज्यों के	३०,९९,०००	अनुपलब्ध
२. मद्रास	बार में राज्यवार	४,१७,३२७	,,
३. मैसूर .	आंकड़े उपलब्ध	३,५५,२८६	,,
४. बम्बई .	नहीं हैं	४०,०७१	,,
५. आन्ध्र प्रदेश		२,३३,००७	,,
६. उड़ीसा		३२,५७६	,,
७. पश्चिम बंगाल		२२,२०५	,,
८. आसाम .		१२,७८७	,,
९. अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह		२,६००	,,
१०. लक्कदीव तथा अमीनदीव द्वीप-समूह .		९,६२५	,,
११. पांडिचरी . .		अनुपलब्ध	

(ग) अस्थायी तौर से ७७५० लाख अतिरिक्त नारियल ।

नारियल में लगने वाले रोग

†**७७. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नारियल के पेड़ों में लगने वाले रोगों का विस्तार कितना है; और

(ख) इन रोगों से नारियलों के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ता है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)**: (क) केलर राज्य के २२ तालुकों में लगभग एक लाख एकड़ क्षेत्र में नारियल के पेड़ जड़ तथा पत्तियों के रोगों से ग्रसित होते हैं। मैसूर और महाराष्ट्र में ये पेड़ क्रमशः 'अनाबेरोग' और 'बन्द' रोगों से ग्रसित होते हैं। चालू सर्वेक्षण से पूर्व गोदावरी जिले में "टाटीपाका" और "टपरिंग" रोगों के होने का पता लगा है । इस के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 'स्टैम ब्लीडिंग" (तन का रिसना) और 'बड रॉट' (कली का लाली रोग) भी लग जाते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केरल में १००० नारियल प्रति एकड़ अथवा कुल में लगभग १० करोड़ नारियलों की क्षति का अनुमान है। अन्य रोगों के कारण होने वाली क्षति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नारियल का उत्पादन

†७८. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में नारियल का एक वर्ष का प्रति एकड़ उत्पादन कितना है और लंका की तुलना में वह कैसा है ; और

(ख) अभी तक नारियलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनका क्या परिणाम हुआ ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)**: (क) भारत में नारियलों का प्रति एकड़ अनुमानित उत्पादन (नवीनतम उपलब्ध १९५७–५८ के आंकड़ों के अनुसार) लगभग २,७५० नारियल है जब कि लंका का वर्ष १९५९ का उत्पादन २४०० नारियल है और अन्य वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु लंका के नारियल भारत के नारियलों से बड़े आकार के होते हैं। एक टन गिरी के लिये लंका के ४५०० नारियलों की जरूरत होती है जब कि भारत के ६८०० नारियलों से उतनी गिरी प्राप्त होती है।

१. अच्छे किस्म की पौध के उत्पादन और वितरण के लिये नारियल उत्पादक राज्यों में नर्सरियां स्थापित की गई हैं।

२. उत्पादकों को खेती और रोगों को नियंत्रण के अच्छे तरीके सिखाने के लिये प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

३. राज्य सरकारों को उर्वरकों का संभरण किया गया था और उचित ढंग से खाद डालने के लिये प्रचार किया गया था।

४. केरल राज्य में पत्ती और जड़ के रोगों से ग्रस्त क्षेत्रों में समस्त नारियल के पेड़ों पर दवा छिड़कने की व्यापक योजना प्रारम्भ की गई थी।

५. केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र में रोगों की रोकथाम के लिये परजीवी पौधे उगाने के केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

६. मैसूर, मद्रास और उड़ीसा में उन क्षेत्रों की विशिष्ठ समस्याओं पर गवेषणा करने के लिये प्रादेशिक गवेषणा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

७. नारियल के सम्बन्ध में गवेषणा करने के लिये कासरगोड और कयंगुलम में केन्द्रीय नारियल गवेषणा केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

उपरोक्त उपायों के परिणाम स्वरूप उत्पादन में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है :

वर्ष	नारियल का उत्पादन लाख नारियलों में
१९५५–५६	४२,२४३
१९५६–५७	४४,५८०
१९५७–५८	४४,८२९
१९५८–५९	अनुपलब्ध
१९५९–६०	अनुपलब्ध

†मूल अंग्रेजी में

नारंगियों का उत्पादन

†७९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में नारंगियों का अनुमानित उत्पादन कितना है तथा १९५१ और १९५६ की तुलना में यह उत्पादन कैसा है;

(ख) क्या यह सच है कि मुख्य उत्पादक केन्द्रों में रोगों के कारण फलों की बहुत क्षति होती है; और

(ग) रोगों की रोक थाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा उनका क्या परिणाम हुआ ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : नारंगियों का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है :

	१९५१–५२	१९५५–५६	१९६०
	मन	मन	मन
मीठी नारंगियां	१३,१६,००४	३२,३०,३४६	आंकड़े अनुपलब्ध
फूले छिलके की नारंगियां	५९,७१,८२५	७४,०७,३६८	,,

(ख) यह सच है कि इनके पौधों में रोग लग जाने से फसल को भारी क्षति हो रही है।

(ग) 'क्विक-डिक्लाइन' तथा 'डाई-बैक' और अन्य रोगों के बारे में अनुसंधान किये गये हैं। रोग के साधनों और नियंत्रण उपायों का निर्णय किया जा चुका है।

उत्पादकों से उचित स्थान चुनने, नियमित रूप से खाद देने और कुछ रोगों के नियंत्रण के लिये पेड़ों पर रसायन छिड़कने के लिये कहा जाता है और उन्हें मिट्टी में कम पाये जाने वाले पोषक तत्वों, विशेषकर जिंक का संभरण किया जाता है।

केलों की पैदावार

†८०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष में अनुमानतः कितने केलों की पैदावार होती है ;

(ख) दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत में इस की प्रसिद्ध किस्में कौन-कौन सी हैं तथा अनुमानतः प्रत्येक किस्म के पैदावार के अनुमानित आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन में से कितने केलों का (१) परिरक्षण तथा (२) निर्यात किया जाता है ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)**: (क) भारत में १९५८-५९ में केलों की अनुमानित पैदावार १८,७३,००० टन थी। अनुमानित आंकड़े इसी वर्ष के उपलब्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). दक्षिण तथा उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्में निम्नलिखित है :—

उत्तर भारत

आसाम . .	(१) चम्पा (२) कुल पाइट
पश्चिम बंगाल . .	(१) चम्पा (२) अमृत सागर (३) मर्तमान (४) माल भोग
बिहार	(१) चम्पा (२) ऊल्पन (३) सिंगापुर (बस-राई—काबुली)

दक्षिण भारत

मद्रास . . .	(१) पूवन (२) रसयालो (३) नेय-पूवन (४) ग्रास माइकेयल
आन्ध्र . .	(१) पूवन (२) रसयाली (३) तेनकदली
केरल . .	(१) पचंदन (२) नेन्दुन
मैसूर . . .	(१) रसथली (२) इमरती (३) रसबाला

प्रत्येक किस्म के वार्षिक उत्पादन तथा परिरक्षण और निर्यात के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

आम की पैदावार

†८१. **श्री वें० प० नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अनुमानतः कितने (१) ताजे तथा (२) परिरक्षित आमो का निर्यात किया गया ;

(ख) १९६० में आमो की अनुमानित पैदावार क्या थी ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने पैदावार को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए ?

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख) :** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

परली-बजनाथ/विकाराबाद सेक्शन पर रेलवे की आय

†८२. **श्री नलदुर्गकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में दिसम्बर १९६० तक रेलवे विभाग के परली-विकाराबाद सेक्शन पर कुल आय कितनी हुई थी ;

(ख) पहले वर्ष १९५९ की तुलना में आय कम हुई अथवा अधिक हुई ; और

(ग) इस लाइन पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी):** (क) भारतीय रेलवे पर पाली-विकाराबाद के नाम से कोई सेक्शन नहीं है। संभवतया यह जानकारी मध्य रेल के परली बैजनाल–विकाराबाद सेक्शन के बारे में पूछी गई हैं।

१९६० में पुरली बैजनाथ–विकाराबाद सेक्शन पर कुल आय २२,३२,६७२ रुपये हुई थी।

(ख) पहले वर्ष की आय की तुलना में १९६० में आय अधिक हो गई है।

(ग) दिन प्रति दिन के सामान्य टिकट चैकिंग के अतिरिक्त अचानक विशष चैकिंग रेलवे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाती है। अगस्त १९६० में हैड क्वार्टर के फ्लाइंग स्क्वैड से सम्बद्ध टी० टी० ईज़० ने भी एक महीने तक विशेष चैकिंग की थी।

रेलगाड़ियों में धूम्रपान

८३. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ियों के नोटिस बोर्डों पर इस प्रकार की कोई हिदायतें नहीं लिखी गई हैं कि यदि अन्य यात्री आपत्ति करें तो कोई यात्री धूम्रपान नहीं कर सकता ;

(ख) क्या अन्य सभी रेलों की गाड़ियों में इस प्रकार की हिदायत छपी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) जी नहीं। आमतौर पर सवारी डिब्बों में यह नोटिस लगाया जाता है कि यदि साथ का कोई यात्री एतराज़ करे, तो बीड़ी, सिगरेट आदि पीना मना है।

(ख) जी हां।

(ग) सवाल नहीं उठता।

मनीपुर तथा त्रिपुरा में छोटे सिंचाई निर्माण-कार्य

†८४. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० तथा १९६०-६१ वर्षों में मनीपुर तथा त्रिपुरा में छोटे सिंचाई निर्माण-कार्यों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :**

	१९५९–६० रुपये	१९६०–६१ अबतक रुपये
मनीपुर	१,०४,७६९	३५,४१३
त्रिपुरा	२,६४,०००	७८,०००

मध्य प्रदेश में वन-विकास

†८५. **श्री पांगरकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० तथा १९६०-६१ में अब तक मध्य प्रदेश में वन-विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**कृषि मंत्री (डा० प० शा० देशमुख)** : (क) १९५९-६० तथा १९६०-६१ में अब तक मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित रूप में ६४.७८ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई हैं :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	ऋण	अनुदान
१९५९-६०	२०.१५	१५.३५
१९६०-६१ . .	९.४८	१९.८०
जोड़ .	२९.६३	३५.१५

उपरिलिखित धनराशियां वन तथा भूमि संरक्षण दोनों के लिये है क्योंकि पुनरीक्षित वित्तीय व्यवस्था के अधीन इन दोनों मदों के लिए एक साथ उपबन्ध कर दिया गया है ।

महाराष्ट्र में फलों की खेती

†८६. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६०-६१ में महाराष्ट्र में फलों की खेती के विकास के लिए ऋण अथवा अनुदानों के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) ऋण . . . ३,२४,००० रुपये
अनुदान . . ५०,३७६ रुपये

डाक तथा तार भवन

†८७. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में डाक घरों के भवन बनाने के लिये १९६०-६१ में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ; और

(ख) उपरिलिखित आवंटन में से किन डाकखानों को नये भवन बनाने के लिये धन दिया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० मुख्यरायन)**: (क) २,७५,९०० रुपये ।

(ख) उपरिलिखित आय-व्यय उपलब्ध में जिन डाकखानों के निर्माण कार्य आरम्भ होंगे वह नीचे दिये जाते हैं ;

(१) डाकखाना पूंढरपुर

(२) भिगवान (पूना) डाकखाना पुनर्निर्माण

†मूल अंग्रेजी में

(३) वई डाकखाना विस्तार

(४) जलगांव डाकखाना विस्तार

(५) धूलिया डाकखाना पुनर्निर्माण

(६) आमलनेर डाकखाना

(७) छिपलुन डाकखाना

तारघर

†८८. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ज़िले-वार कितने तारघर हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार १९६१-६२ में ज़िलेवार उन की संख्या बढ़ाने का हैं; और

(ग) यदि हां, तो वह तार घर किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) से (ग). संबद्ध विवरण में सभी बातें बताई गई हैं । **[परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]**

त्रिपुरा के सामुदायिक-विकास खण्ड में कर्मचारी

†८९. **श्री दशरथ देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के सामुदायिक विकास खण्ड में कितने अफसर तथा कर्मचारी किसान परिवारों के भरती किये गये हैं ;

(ख) त्रिपुरा में सामुदायिक विकास कार्यों में लगे हुए किसानों में से कर्मचारियों की भर्ती करने के बारे में क्या क़दम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या किसान परिवारों का कोई ग्रेजुएट सामुदायिक विकास खण्ड में है और यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (डा० ब० सू० मूर्ति)**: (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी मंगाई गई हैं और आ जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए रक्षण

†९०. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय रेलों में श्रेणीवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का रक्षित कोटा भर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ)**: (क) यद्यपि सभी श्रेणियों का रक्षित व्यौरा पूरा नहीं किया गया है, परन्तु अनुसूचित जातियों के मामले में पर्याप्त प्रगति की गई है । जिन पदों के लिए टैक्निकल अर्हता होना जरूरी है उनके लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विशेषतया टैक्निकल पदों के लिए तथा सामान्यतया सभी पदों के लिए अपेक्षित अर्हता वाले अभ्यर्थियों की कमी होना मुख्य कारण है। मितव्ययता तथा कर्मचारियों की भरती पर प्रतिबन्ध होने से भी रक्षित कोटा भरने में विलम्ब हुआ है।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†९१. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के काटाबांजी और टिटलागढ़ रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिए व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन पर बिजली कब तक लगा दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). कांटाबांजी तथा टिटलागढ़ रेलवे स्टेशनों पर इस समय भी बिजली लगी हुई है

रेलों में भ्रष्टाचार के मामले

†९२. { **श्री कुम्भार** : **श्री बामानी** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार १९६० में विभिन भारतीय रेलों में श्रणीवार कितन कर्मचारियों के तथा किस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं ;

(ख) ऐसे मामलों में किस प्रकार की सजा दी गई ;

(ग) जोनवार इस समय कितने मामले लम्बित है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मामलों की संख्या :

	गजटेड	नान-गजटेड
पूर्व	—	१०५
पश्चिम	—	१०१
पूर्वोत्तर	१	२९
उत्तर सीमान्त	—	१८
मध्य	—	३९
दक्षिण	४	१३४
उत्तर	४	११९
दक्षिण पूर्व	—	४१
जोड़	९	५८६

†मूल अंग्रेजी में

मामले किस प्रकार के होते हैं :

रिश्वत लेना, रेलवे मजदूरों का दुरुपयोग, धन की वसूली न होना, रेलवे सम्पत्ति की चोरी अथवा दुर्विनियोग, बिना टिकट यात्रियों को ले चलना, पास तथा पी० टी० ओ का दुरुपयोग, क्वाटरों के किराये पर देना, सेवा में आने के लिए पहला जीवन चरित्र छिपाना, चैकों पर जाली हस्ताक्षर, भूदान यात्रा भत्ता लेना, आय के साधनों से अधिक सम्पत्ति होना ।

(ख) पदच्युति, पद घटाना, वेतन से वसूली, वेतन वृद्धि रोकना, पास तथा पी० टी० ओ० को न देना ।

(ग)	पूर्व	७३
	पश्चिम	८३
	पूर्वोत्तर	२०
	उत्तर सीमान्त . .	८
	मध्य	१३८
	दक्षिण . . .	९४
	उत्तर	१११
	दक्षिण पूर्व	३३
	जोड़ . . .	५६०

(घ) विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहर के व्यक्तियों की भी गवाही ली जाती है । अनुशासन तथा अपील नियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों को, रिकार्ड का निरीक्षण, गवाहों की जांच करने आदि की सामान्य सुविधायें अन्तिम कार्यवाही करने से पूर्व दी जाती हैं । कुछ मामलों की जांच पुलिस कर रही है और कुछ अदालतों में लम्बित हैं ।

रेलवे क्वार्टर

†९३. **श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के टिटलागढ़ और कांटाबांजी स्टेशनों पर कितने कर्मचारियों को श्रेणी-वार विभागीय क्वार्टर दे दिये गए हैं;

(ख) १ जनवरी, १६६१ को कितने कर्मचारी श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची में थे ।

(ग) इनको कब तक विभागीय क्वार्टर दे जिये जायेंगे ;

(घ) क्या पद के अनुसार विभागीय क्वार्टर दिये जाते हैं ;

(ङ) क्या ऊंचे पद के अफसरों ने नीचे पद के अफसरों के क्वार्टरों पर कब्जा कर रखा है; और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) :

(क) टिटलागढ़ :–

तृतीय श्रेणी . .	९९
चतुर्थ श्रेणी . .	५३

कांटाबांजी :–

तृतीय श्रेणी	२६०
चतुर्थ श्रेणी	१८४

(ख) टिटलागढ़ :––

तृतीय श्रेणी	४०
चतुर्थ श्रेणी	४४

कांटाबांजी :––

तृतीय श्रेणी . . .	१४
चतुर्थ श्रेणी .	१७६

(ग) ज्यूं ज्यूं अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध होगा ।

(घ) विभिन्न श्रेणियों तथा वेतन दरों के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्वार्टर दिये जाते हैं । परन्तु अत्यावश्यक श्रेणी वाले कर्मचारियों को क्वार्टर पहले दिये जाते हैं ।

(ङ) साधारणतया जो कर्मचारी जिस क्वार्टर के लेने का अधिकारी होता है उसको उसी श्रेणी का क्वार्टर दिया जाता है । परन्तु तृतीय श्रेणी के कुछ कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में रह रहे हैं क्योंकि इनकी चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हो गई है ।

(च) जब भी उनका नम्बर आयेगा तभी इन कर्मचारियों को इनकी श्रेणी के क्वार्टर मिल जायेंगे ।

सम्बलपुर और बालनगीर में डाक तथा तार घरों के लिये इमारतें

†९४. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर और बालनगीर पोस्टल डिवीजनों में अलग अलग कितने डाकघर, उप-डाक घर तथा शाखा डाकघर विभागीय और किराये की इमारतों में हैं ;

(ख) किराये की इमारतों का कितना मासिक किराया दिया जाता है ।

(ग) वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में विभागीय इमारतों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) कितनी अवधि में शेष डाकखानों को भी विभागीय इमारतों में लाये जाने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) :

सम्बलपुर डिवीजन

विभागीय इमारतों में

मुख्य कार्यालय	१
उप-डाकघर	३
शाखा डाकघर	कोई नहीं

किराये की इमारतों में

मुख्य कार्यालय	१
उप-डाकघर	३०
शाखा-डाकघर	२

बालानगीर डिवीजन

विभागीय इमारतों में

मुख्य कार्यालय	कोई नहीं
उप-डाकघर	१
शाखा-डाकघर	कोई नहीं

किराये की इमारतों में

मुख्य कार्यालय	२
उप-डाकघर	२२
शाखा-डाकघर	कोई नहीं

(ख) सम्बलपुर डिवीजन . . . १६८७ रुपये
बालनगीर डिवीजन . . . १३६६ रुपये

(ग) ६०,००० रुपये

(घ) सभी डाकखानों को विभागीय इमारतों में रखने की सरकार की नीति नहीं है। यदि किराये का भवन नहीं मिल पाये तो धन की प्राप्यता पर विभाग डाकखानों के भवन बनाता है।

सम्बलपुर और बालनगीर में डाक कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†९५. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर और बालनगीर डाक डिवीजनों में कितने डाक कर्मचारियों (श्रेणीवार) को अब तक विभागीय क्वार्टर मिल गए हैं;

(ख) कितनी अवधि में सभी कर्मचारियों को विभागीय क्वार्टर दे दिये जायेंगे ;

(ग) १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में विभागीय क्वार्टर बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस समय कितने क्वार्टर बन चुके हैं और कितने बन रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क)

श्रेणी	सम्बलपुर डिवीजन	बालनगीर डिवीजन
रुपये ०—५४	५	—
रुपये ५५—१५० . . .	६	१

(ख) निकट भविष्य में नहीं।

(ग) और (घ). सम्बलपुर में २० मकान बनाने की तथा आरसुगुड़ा में ५ मकान बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। १९६०–६१ में इन कामों के लिए २३,००० रुपये की व्यवस्था की गई है।

परिवार नियोजन

†**९६. श्री कुम्भार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए कारखानों तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं की सहायता करने की योजना के बारे में १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे चुने चुने संगठन कौन कौन से हैं ;

(ख) १९६०–६१ में उनको धन तथा वस्तुओं की कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) उन्होंने अब तक क्या कार्य किये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). भारत सरकार गर्भ-निरोधक वस्तुओं के वितरण के लिए वार्षिक १००० रुपये का अनुदान देने के लिए वाणिज्यिक संगठनों का चुनाव नहीं करती है। अपितु इनको राज्य सरकार के प्रशासनिक चिकित्सा अफसरों की सिफारिश पर अनुदान देती है। १९६०–६१ में १०४ वाणिज्यिक स्थापनाओं में से प्रत्येक को १००० रुपये का अनुदान दिया गया। इनके नाम सम्बद्ध सूची में दिए गए हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]** इनको वस्तुएं नहीं दी गई हैं।

(ग) वाणिज्यिक स्थापनाओं ने क्या प्रगति की इसका निर्धारण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश के गांवों में पानी संभरण की योजना

†**९७. श्री रामी रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७९५ के उत्तर के सम्बन्ध में जो कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम जल संभरण तथा सफाई योजना के बारे में था यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के छुड्डापाट्ट जिले के पुलीवेन्डला ताल्लुक में क्रियान्वित की जाने वाली योजना उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित योजना से किसी प्रकार भिन्न है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम (ग्राम) की जो योजना आंध्र प्रदेश के कुछ चुने हुए एककों में चल रही है उसके अन्तर्गत प्रत्येक एकक में १०० गांव आते हैं। उस योजना के अनुसार प्रत्येक एकक के कुछ चुने हुए गांवों के समूह को सामान्य साधन द्वारा रक्षित पानी दिया

†मूल अंग्रेजी में

जाता है। प्रति एकक ३० रुपये की राशि निर्धारित की गई है। पुलीवेन्डला एकक में जो योजना चालू की जायेगी उसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में पानी का संभरण किया जायेगा और उसका मूल्य प्रति व्यक्ति ३० रुपये से अधिक भी होगा।

आंध्र प्रदेश में पुल

†९८. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वशिष्ठ नदी के आर पार कितने पुल बनाने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दी है।

(ख) उन विभिन्न स्थानों के नाम क्या हैं जहां कि ये पुल बनाये जायेंगे ; और

(ग) इन पुलों में से प्रत्येक पुल पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) वशिष्ठ नदी पर राजकीय मार्ग संख्या ५ पर एक पुल बनाने की स्वीकृति दी गई है।

(ख) सिद्दान्तम्।

(ग) ९४.१९ लाख रुपये।

बिहार में चीनी की मिलें

†९९. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य की चीनी मिलों द्वारा गत उत्पादन काल में ३१ जनवरी, १९६१ तक कुल कितनी मात्रा में गन्ने पेरे गये;

(ख) बिहार में चीनी के कारखानों द्वारा उक्त काल में कुल कितनी मात्रा में चीनी तैयार की गई ;

(ग) उक्त काल में औसतन कितने प्रतिशत चीनी प्राप्त की गई ;

(घ) पेरे गये गन्नों के आंकड़े, उत्पादित चीनी (टनों में), प्राप्त चीनी का प्रतिशत गत वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा में कैसा है ; और

(ङ) प्राप्त चीनी का उच्चतम प्रतिशत, तथा बिहार के किस कारखाने से प्राप्त हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (घ).

चीजें	३१ जनवरी तक	
	१९६०–६१	१९५९–६०
बिहार के कारखानों द्वारा पेरे गये गन्ने की कुल मात्रा (लाख टनों में)	१९.४४	१७.६१
बिहार के कारखानों द्वारा तैयार की गई चीनी की कुल मात्रा (लाख टनों में) .	१.७९	१.६४
चीनी की औसत प्राप्ति प्रतिशत	९.२१	९.३०

(ङ) वर्ष १९६०–६१ में ३१ जनवरी तक गया जिले में गुरारू चीनी मिल में ९.९० प्रतिशत।

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य अपमिश्रण निरोध नियम, १९५५

१००. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निरोध नियम, १९५५ के संशोधनों का प्रारूप तैयार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारूप की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ३७) की धारा २३ की उप-धारा (२) के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निरोध नियमों के संशोधन तैयार होते ही यथाशीघ्र संसद् की दोनों सभाओं में प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। १९६० के जी० एस० आर० सं० ४२५ में दिये गये खाद्य अपमिश्रण निरोध नियमों के संशोधन २६ अप्रैल, १९६० को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिये गये थे। अनुवर्ती संशोधनों को भी इसी प्रकार खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम १९५४ के प्रावधानों के अनुसार लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कपास उत्पादन की रूसी पद्धति का अध्ययन

†१०१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन दो पदाधिकारियों ने जिन्हें सरकार द्वारा कपास उत्पादन की पद्धति का अध्ययन करने के लिये रूस भेजा गया था, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या उन दो सोवियत विशेषज्ञों ने, जो भारत में कपास उत्पादकों तथा अनुसन्धान केन्द्रों को कपास की ऐसी किस्म तैयार करने के बारे में परामर्श देने के लिए आये थे, जो कि भारत के लिये उपयुक्त हो, अपने कोई सुझाव दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ङ) "सी आइलैंड" नामक लम्बे रेशे वाले कपास भारत में उत्पादन करने सम्बन्धी प्रयत्नों के क्या परिणाम हुए हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) वह प्रतिवेदन विचाराधीन है और जैसे ही उसकी जांच पूरी हो जायेगी तो मैं उसका एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

(ग) तथा (घ): केवल एक सोवियत विशेषज्ञ भारत आया था और उनके द्वारा जो सुझाव दिये गये थे उन पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन के साथ विचार किया जायेगा।

(ङ) "सी आइलैंड" नामक कपास के उत्पादन के लिये भारत में जो प्रयत्न किये गये थे उनसे प्रकट हुआ है कि इस किस्म की कपास केरल तथा मैसूर राज्य में उगाई जा सकती है बशर्ते कि इसका उत्पादन उपजाऊ भूमि पर हो तथा इसकी फसल को कीड़े मकोड़ों तथा बीमारियों से बचने के लिये समुचित प्रबन्ध किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

कम आय वालों के लिये विश्राम गृह

†१०२. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न नगरों में कम आय वालों के लिये विश्राम गृह बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) क्या इस योजना में जयपुर, वारानसी तथा कलकत्ता को भी सम्मिलित किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) वांछित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १८]**

महेन्द्रू घाट स्टेशन का स्थान परिवर्तन

१०३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री २५ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के महेन्द्रूघाट स्टेशन के स्थान परिवर्तन के लिए बिहार सरकार से प्राप्त की गई भूमि पर कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक समाप्त हो जायेगा और उक्त स्टेशन कब तक वहां चला जायेगा ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं । अभी तक राज्य सरकार द्वारा रेल - प्रशासन को ज़मीन नहीं दी गई है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जो ज़मीन रेल-प्रशासन को दी जानी है, वहां इस समय साउथ बिहार सर्किल के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का दफ्तर और निवास-स्थान हैं । अभी तक बिहार सरकार अपने उपरोक्त इंजीनियर के लिये कोई दूसरी जगह की व्यवस्था नहीं कर सकी है । लेकिन आशा है कि रेलवे को ज़मीन मिल जाने के बाद लगभग एक वर्ष में नया स्टेशन बन कर तैयार हो जायगा ।

आहार संबंधी गवेषणा

†१०४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान हमारे आहार के सुधार के लिये पौष्टिकता सम्बन्धी महत्वपूर्ण गवेषणा की ओर, और अच्छे प्रकार के खाद्य की काफी मात्रा में उपलब्धि की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) इन गवेषणाओं एवं उनके बारे में और जांच करने के सम्बन्ध में मंत्रालय का क्या विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार का विचार इन गवेषणाओं के बारे में और विचार करने के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में करने का है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य महोदय का अभिप्राय किस गवेषणा से है। अगर उनका अभिप्राय इस क्षेत्र में भारत में की गई गवेषणाओं से है जो सेंट्रल फूड टैक्नोलोजीकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट में की गई है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इनको क्रियान्वित किया जायेगा जैसा खाने योग्य मूंगफली के आटे का उत्पादन और उसका उपयोग जो कि प्रोटीन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, उबले हुए चावल के विकसित उपायों को प्रोत्साहन तथा वर्तमान उपायों के द्वारा फलों का परिरक्षण आदि।

पंजाब सरकार द्वारा चीनी का वितरण

†१०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ दिसम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न सख्या २०३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य सरकार अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेताओं, सहकारी समितियों तथा स्वीकृत खुदरा व्यापारियों के द्वारा नियंत्रित वितरण के आधार पर लाभ कमा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लागू होने से अब तक कुल कितना लाभ कमाया गया है ; और

(ग) क्या यह प्रणाली जारी रहेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां।

(ख) जुलाई १६५६ से नवम्बर १६६० तक ७६,३७,०१० रुपये।

(ग) पंजाब सरकार का विचार सारे राज्य में चीनी का वितरण समान खुदरा मूल्य के रूप में रखने सम्बन्धी योजना को जारी रखने का है। हालांकि उन्हों ने १२ जनवरी १६६१ से सामान्य अभ्यांश के अतिरिक्त अधिक चीनी को ऊंचे दाम पर बेचने की पहली प्रणाली को बन्द कर दिया है। राज्य सरकार का विचार है कि अब बचत काफी कम हो जायगी और सारे राज्य में एक समान मूल्य रखने में समर्थ होगी।

राजस्थान नहर

†१०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २२ दिसम्बर १६६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान नहर को कांडला पत्तन तक बढ़ाने सम्बन्धी विधिक सभावनाओं सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

परली--बैजनाथ--लातूर लाइन

†१०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री नलदुर्गकर :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे मंत्री** २२ दिसम्बर, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के बाद से परली बैजनाथ को लातूर से मिलाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मूंगफली की खली का आटा

†१०८. **श्री रामकृष्ण गप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २२ दिसम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मूंगफली की खली का सस्ता आटा वाणिज्यिक उत्पादन आधार पर अग्रिम परियोजनाओं के रूप में दो संयंत्र लगाने वाला प्रस्ताव किस स्थिति पर है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जैसाकि पहले भी बताया जा चुका है बम्बई की एक तेल मिल को यह संयंत्र लगाने के लिय चुन लिया गया है । यूनीकेफ से जो सयंत्र मिला है उसे प्राप्त करने तथा लगाने के लिय समवाय प्रबन्ध कर रहा है ।

मद्रास में लगाय जाने वाले दूसरे संयंत्र के लिय दूसरी मिल का चुनाव शीघ्र ही किया जाने वाला है जो भारत सरकार तथा यूनीकेफ के साथ सहयोग करेगी ।

दिल्ली आदि में ठंडे गोदाम (कोल्ड स्टोरेज)

†१०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २२ दिसम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, बंगलौर तथा हैदराबाद में ठंडे गोदामों (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : दिल्ली, बंगलौर तथा हैदराबाद में ठंडे गोदामों (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना करने सम्बन्धी जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रजी में

एकीकृत प्रशिक्षण संस्थाएं[1]

†११०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में एकीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं को चालू करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और उन से कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये प्रार्थना की गई है । राज्य सरकारें इस प्रस्ताव से सामान्यत: सहमत है । कुछ राज्य सरकारें, जैसे, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, एकीकृत प्रशिक्षण केन्द्र अब भी चला रही हैं ।

पुरी में गोविंद द्वादसी मेला के दौरान में जन स्वास्थ के लिये पूर्व-सावधानी

†१११. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अब तक उड़ीसा सरकार अथवा पुरी नगरपालिका की ओर से पुरी में गोविन्द द्वादसी के मेले के अवसर पर पीने के पानी के संभरण को सुधारने के लिये विशेष अनुदान देने के हेतु कोई प्रार्थनापत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कब और किस प्रकार की विशेष सहायता दी गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुरी में पीने के पानी का संभरण सुधारने के लिये प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं के दौरान में कोई ऋण दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) तथा (घ) पुरी जल संभरण पुनर्गठन योजना के लिये राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ३८.०२ लाख की अनुमानित लागत ३ दिसम्बर १९६० को स्वीकृत की गई है । उक्त कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा सरकार को उन की जल संभरण योजनाओं के लिये द्वितीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान में ३५.१९ लाख रुपये की सहायता दे दी गई है । राज्य सरकार को इस बात की छट है कि वह इस राशि को अपनी किसी भी स्वीकृत योजनाओं पर व्यय करे ।

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Cluster type training Institutions.

कटक में स्वचलित टेलीफोन लाइन

†११२. { श्री बै० च० मलिक :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के कटक नामक नगर में स्वचलित टेलीफोन की लाइनें लगा गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो वर्तमान स्थित क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) (क) नहीं ।

(ख) स्वचलित टेलीफोन एक्सचेंज भवन के लिये भूमि अर्जन का प्रश्न चल रहा है । भवन के प्राथमिक नकशे आदि अभी तैयार हो रहे हैं ।

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस

†११३. श्री वें० प० नायर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) को जिन विदेशी आयातित वस्तुओं की अत्यन्त आवश्यकता है उन के लिये संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति की प्रार्थना करने पर भी अनुज्ञप्तियां नहीं दी गई हैं अथवा उन में कमी कर दी गई है ; और

(ख) उन वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है जो वह संस्था आयात करेगी और जिस के लिये उस ने अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है, तथा वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दे दी गई है ।

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) स्थिति प्रश्न के भाग (ख) में स्पष्ट कर दी गई है ।

(ख) वर्ष	आयात करने की राशि जिस के लिय मांग की गई है	स्वीकृत राशि	वस्तुओं का मूल्य जिन के लिये प्रार्थना की गई	वस्तुओं का मूल्य जिस के आयात के लिय अनुमति दी गई है
१९५८–५९ .	२.९३	१.५०	..	..
१९५९–६० .	३४.८५	३०.४०	३०.३७	०.९२
१९६०–६१ .	१९.१७	९.६०	४.७६	*४.८६

*इस में से ३.१५ लाख रुपये के लिये १९५९-६० में आवदन किया गया था लेकिन नियतन एवं स्वीकृति १९६०-६१ में दी गई थी ।

टिप्पणी : स्वीकृत राशि को उपयोग न करने के मुख्य कारण उक्त संस्था से टेन्डरों की देर में प्राप्ति, आवेदन पत्र की समय पर अनुपलब्धि, और विकास खंड से निकासी की देरी, थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सड़क निधि

११४. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक केन्द्रीय सड़क निधि को दी गई राशि में से उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को कितनी राशि दी गई ; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को राजस्थान से मिलाने वाली अन्तर्राज्यीय सड़क सीर-मथुरा से राजखेड़ा, शमसाबाद, फतेहाबाद और फिरोजाबाद हो कर एटा तक के लिए कोई राशि मांगी गई थी और वह दे दी गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) इस सम्बवध में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रदेश	केन्द्रीय सड़क कोष की नियत राशि से दिया गया धन		विवरण
	१९५९–६०	१९६०–६१	
	लाख	लाख	
उत्तर प्रदेश . .	९.१७	१८.१४	
राजस्थान . .	–	–	जब कभी भी प्रदेश सरकार अनुमोदित निर्माण कार्यों में खर्च की पूर्ति के लिये धन मांगा करती है तब उसे सहायता दी जाती है । इन दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने न तो कोई सहायता मांगी और न कोई सहायता उसे दी ही गई, हालांकि इन निर्माण कार्यों पर रुपया खर्च किया गया ।

(ख) जी, नहीं ।

औषधि इतिहास संस्था

†११५. **श्री कोडियान** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी के निकट औषधि इतिहास संस्था स्थापित करने में सहायता के लिये दिल्ली के हमदर्द दवाखाने से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या सहायता करेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†११६. { श्री कोडियान :
श्री वारियर :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना के मुख्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उन पर कितनी लागत आयेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) से (ग) मंजूर किये जा चुके प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

स्टेशन का नाम	संख्या और श्रेणी	अनुमानित लागत
१. एर्णाकुलम् .	. द्वितीय ख श्रेणी के ४	५४,८०० रुपये
२. मटनचेरी .	. चतुर्थ श्रेणी के २	८८,७०० रुपये
३. मुवत्ताबुजहा	. द्वितीय क श्रेणी का १	१२,०९० रुपये

मसूलीपटनम--विजयवाड़ा लाइन

†११७. श्री उस्मानअली खां : क्या रेलवे मन्त्री १९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा और मसूलीपटनम पत्तनों के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की ओर कितनी प्रगति की गयी है; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार का कौनसी अन्य मीटर गेज लाइनों में बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अब तक मिट्टी सम्बन्धी १८ प्रतिशत और पुल पर १२ प्रतिशत कार्य किया जा चुका है।

(ख) तृतीय योजना में आरम्भ किए जाने वाले कार्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में नेत्रों का दान

†११८. **श्री नंजप्प** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नेत्रों के दान को वैध बताने वाला एक विधेयक पुर:स्थापित किया है ; और

(ख) क्या समूचे देश में लागू होने वाला एक विधेयक प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार का राज्य विधान सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर रेलवे के पंजाब जोन में रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†११९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे के पंजाब जोन में रेलवे कर्मचारियों के लिये रेलवे क्वार्टरों की कितनी कमी है; और

(ख) रेलवे कर्मचारियों को पूरी तौर पर आवास सुविधायें प्रदा करने का क्या लक्ष्य है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कर्मचारियों को लिये क्वार्टरों के बारे में जानकारी न रख कर रेलवे-बार रखी जाती है । ३१–३–६० को उत्तर रेलवे में १,००,९२५ क्वार्टरों की कमी थी ।

(ख) रेलवे का यह विचार है कि ऐसी बस्तियों में जहां मकान आसानी से नहीं मिलते हैं और कर्मचारियों को रात में और दिन में अल्प सूचना पर काम पर बुलाया जा सकता है, उन आवश्यक कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जायें । इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के लिये आवंटित निधि में से हर वर्ष क्वार्टर बनाये जाते हैं । गैर-जरूरी कर्मचारियों को क्वार्टर तभी दिये जाते हैं जब आवश्यक कर्मचारियों के लिये उनकी जरूरत न हो ।

पंजाब में डाक तथा तार भवन

†१२०. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष १९६०–६१ के लिये डाक तथा तार भवनों के लिये कितना आवंटन किया गया है ;

(ख) कितने डाकघरों की अपनी नयी इमारतें होंगी; और

(ग) वर्तमान डाकघरों की अपनी इमारतें किस तिथि तक हो जायेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ८,२९,१०० रुपये ।

(ख) आवंटन वर्ष भर में नयी इमारतों के बारे में है ।

(ग) निकट भविष्य में नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में संचित भूमि

१२१. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हिमाचल प्रदेश में कितनी भूमि में सिंचाई होने लगी;

(ख) इसमें से कितनी भूमि में अन्य तरीकों से सिंचाई होती थी ; और

(ग) कितनी नई भूमि में सिंचाई होने लगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी :

बालीमेला परियोजना

१२२. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री संगण्णा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बालीमेला परियोजना बनाने की जगह के बारे में कोई प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रार्थना मान ली गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

उड़ीसा में कृषि सहकारी समितियों को सहायता

†१२३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कृषि ऋण सहकारी समितियों और सहकारी विपणन समितियों को द्वितीय योजना काल में गोदाम बनाने में सहायता देने के लिये उड़ीसा सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास और भाण्डागार बोर्ड ने कितनी धनराशि का अनुदान दिया है ;

(ख) राज्य सरकार ने कितनी धन राशि का उपयोग किया है; और

(ग) राज्य में ये गोदाम किन स्थानों पर बनाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) कृषि सहकारी समितियों और सहकारी विपणन समितियों को द्वितीय योजना के प्रथम चार वर्षों में गोदाम बनाने के लिये सहायता देने के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास और भाण्डागार बोर्ड ने उड़ीसा सरकार को अनुदान के रूप में ३.१६ लाख रुपये मंजूर किये हैं। वर्ष १९६०–६१ के लिये कार्यक्रम के लिये ०.१९ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है और बोर्ड यह धनराशि त्रैमासिक किश्तों में दे रहा है। तीन किश्त दी जा चुकी हैं और अन्तिम किश्त मार्च, १९६१ में दी जावेगी।

(ख) वर्ष १९५९–६० तक दिये गये कुल ३.१६ लाख रुपये की पूरी रकम के खर्च किये जाने का पता चला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है और वह शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्यान्न का आवंटन

†१२४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१ के लिये विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न के आवंटन को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार आवंटन के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या किसी राज्य को कोई अग्रिम आवंटन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अग्रिम आवंटन किस राज्य को किया गया है और उसकी मात्रा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न के आवंटन अब वार्षिक नहीं किये जाते परन्तु किसी राज्य में मांग और सरकार के पास उपलब्ध भंडार को ध्यान में रखते हुए जो कुछ आवश्यक समझा जाता है समय समय पर उसका संभरण किया जाता है ।

(ग) और (घ). जनवरी, १९६१ में केन्द्रीय भण्डार से निम्नलिखित खाद्यान्न का आवंटन किया गया है :

('००० मीटरिक टनों में)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	कुल
आन्ध्र प्रदेश	३	४	२	९
आसाम	—	७	—	७
नेफा, नागा हिल्स आदि	१	—	—	१
बिहार	—	१४	—	१४
महाराष्ट्र	१०	४३	—	५३
गुजरात	८	१०	२	२०
केरल	१४	—	—	१४
मद्रास	४	१४	—	१८
मैसूर	—	५	—	५
उड़ीसा	—	२	—	२
राजस्थान	—	३	—	३
उत्तर प्रदेश	—	६१	—	६१
पश्चिमी बंगाल	१	४६	—	४७
जम्मू तथा काश्मीर	१	२	—	३
दिल्ली	—	१०	—	१०
अन्य		४	—	८
कुल	४६	२२५	४	२७५

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में क्षय-निरोधक कार्य

†१२५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना काल में उड़ीसा को राज्य में क्षय-निरोधक कार्यों के लिये कुल कितना धन दिया गया है ; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये उड़ीसा को कितना धन आवंटित किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वर्ष १९५६–५७ से १९५८–५९ तक के दौरान उड़ीसा में एक ऐच्छिक क्षय रोग संस्था को सहाय्य-अनुदान के रूप में २,५०,००० रुपये मंजूर किये गये ।

क्षय-निरोधक कार्यों के लिये उड़ीसा सरकार को वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ में कोई सहायता नहीं दी गयी । वर्ष १९५८–५९ से केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये अलग अलग योजनाओं को धन न देकर केन्द्रीय सहायता इकट्ठी की जाती है । राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पृथक् पृथक् योजनाओं पर धन खर्च कर सकते हैं ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये विभिन्न राज्यों को आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

उड़ीसा में पर्यटन

†१२६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पर्यटन के विकास के लिये उड़ीसा को कुल कितनी रकम की व्यवस्था की गयी है और कितनी रकम दी गयी है; और

(ख) क्या कोणाक में एक पृथक् विकास-गृह बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

(क) और (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पर्यटन के लिये उड़ीसा से सम्बन्धित योजना में सम्मिलित की गयी योजनाओं का ब्यौरा और उसकी कार्यान्विति में प्रगति सम्बन्धी जानकारी निम्न प्रकार है :—

योजना का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
भाग १—(केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त घोषित और क्रियान्वित की जाने वाली योजनायें)		
(१) कोणार्क में विश्राम गृह का निर्माण	२.२० लाख रुपये	कार्य प्रगति पर है ।
(२) भुवनेश्वर में विश्राम गृह का निर्माण	.२५० लाख रुपये	कार्य प्रगति पर है ।

†मूल अंग्रेजी में

योजना का नाम	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
भाग २—(केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बराबर बराबर हिस्सों में संयुक्त रूप से वित्त-घोषित और राज्य सरकार द्वारा कार्य-सम्पादन की जाने वाली योजनायें)		
	(लाख रुपये)	
(१) पुरी में निम्न आय वर्ग विश्राम-गृह।	१.५०	पूरी हो गयी और व्यय का केन्द्रीय सरकार का अंश राज्य सरकार को दिया गया। विश्राम-गृह पर्यटकों के लिये १-८-१९६० को खोल दिया गया।
(२) भुवनेश्वर में निम्न आय वर्ग विश्राम-गृह।	१.५०	
(३) चिल्का झील का विकास	२.००	यह योजना राज्य सरकार ने छोड़ दी। उनका विचार अब तृतीय-योजना-काल में बालूगांव में विश्राम-गृह बनाने का है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पुरी, भुवनेश्वर, राउरकेला और हीराकुद में पर्यटक ब्यूरो खोले हैं जिनकी लागत का आधा भाग केन्दीय सरकार देगी। वर्ष १९६०–६१ के लिये इन ब्यूरो को चलाने के लिये राज्य सरकार को १६,००२ रुपयों की राज-सहायता दी गयी है।

उड़ीसा में भू-संरक्षण

†**१२७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना काल में उड़ीसा में भू-संरक्षण के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ;

(ख) राज्य सरकार ने अभी तक कितनी धन राशि खर्च की है ; और

(ग) भू-संरक्षण योजनाओं के अधीन उड़ीसा में कौन कौन से कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमख):** (क) और (ख). उड़ीसा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में भू-संरक्षण योजनाओं के लिये आवंटित और खर्च की गयी धनराशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र का नाम	आवंटित धनराशि	वर्ष १९५९–६० के अन्त तक खर्च की गई धन राशि	वर्ष १९६०–६१ में खर्च की जाने वाली धन राशि	कुल
		(रुपये लाखों में)		
कृषि क्षेत्र कृषि विभाग	४१.८७	३४.०५	८.३९	४२.४४
वन विभाग	५.९५	४.३४	३.७१	८.०५
आदिम जातीय क्षेत्र	३६.९३	१२.३२	१५.३१	२७.६३
कुल . .	८४.७५	५०.७१	२७.४१	७८.१२

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बाह्य-सीमा बनाना, वृक्षारोपण, अमरीकी ऐलो जैसे पौधे लगाना, नाली द्वारा बहाव को नियंत्रण, चरागाहों का विकास, भू-संरक्षण प्रशिक्षण, भू-योग्यता सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम ।

चावल और धान का पश्चिम बंगाल भेजा जाना

†**१२८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल——इन दो राज्यों का एक जोन बनाये जाने के समय से १ फरवरी, १९६१ तक उड़ीसा से कुल कितनी मात्रा में चावल और धान पश्चिमी बंगाल ले जाया गया ;

(ख) इसी अवधि में केन्द्रीय रक्षित भंडार से पश्चिमी बंगाल को कुल कितना चावल दिया गया ;

(ग) इसी अवधि में अन्य राज्यों से पश्चिमी बंगाल को कुल कितना चावल और धान दिया गया ; और

(घ) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में पश्चिमी बंगाल में चावल की कितनी कमी रही?

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) उड़ीसा/पश्चिमी बंगाल चावल जोन बनाये जाने के समय से २ फरवरी, १९६१ तक उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को रेल द्वारा लगभग २.२ लाख मीटरिक टन चावल और २.६ लाख मीटरिक टन धान भेजा गया । सड़क, नदी और समुद्र के रास्ते भेजी गयी मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) चावल	. .	२,०१,२००	मीटरिक टन
धान	. .	६००	मीटरिक टन
(ग) चावल	. .	३८,७००	मीटरिक टन
धान	. .	४८,५००	मीटरिक टन

(घ) कन्ट्रोल न होने की परिस्थिति में किसी राज्य की कमी का वास्तविक अनुमान लगाना कठिन है । किसी राज्य की वितरण आवश्यकता का मूल्यांकन, राज्य में मूल्य को ध्यान में रखते हुये किया जाता है और उस राज्य की आवश्यकताओं, अन्य राज्यों की आवश्यकताओं और केन्द्र के पास उपलब्ध भंडार को ध्यान में रखते हुये खाद्यान्न की उपयुक्त मात्रा दी जाती है ।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

†**१२९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार की जिस १५ वर्षीय बाढ़ नियंत्रण योजना का उच्च स्तरीय समिति ने निरीक्षण किया था, क्या वह मंजूर कर ली गयी है ; और

(ख) राज्य सरकार के इस १५ वर्षीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गयी १५ वर्षीय बाढ़ नियंत्रण योजना का बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ने निरीक्षण किया और उसने वह योजना राज्य सरकार को बाढ नियंत्रण के लिये संतोष जनक दीर्घ-कालीन योजना बनाने के लिये समिति द्वारा सुझाई गयी बातों के अनुसार बनाने के लिये वापस भेज दी। अभी तक संशोधित योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कार्यक्रम में निम्नलिखित विशेषतायें हैं :—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग १७.६६ करोड़ रुपये की लागत से रंगती में ब्रह्मणी नदी पर और भीम कुंड में वैतरिणी नदी पर जलाशय बनाना, बारीपाड़ा से बालासोर अनुस्रोत तक बुद्धबलंग नदी पर दोहरे तट बन्ध बनाना।

(२) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल १९.६४ करोड़ रुपये की लागत से ब्रह्मणी बेसिन की मुख्य शाखाओं पर समुद्र तक दोहरे तटबन्ध के साथ महानदी पर टीकर पाड़ा बांध बनाना और वर्तमान तटबंधी कां स्तर ऊंचा उठानः।

(३) पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान ४.४३ करोड़ रुपये की लागत से डेल्टा क्षेत्र में कुल ८१० मील लम्बे वर्तमान तटबन्धों को मजबूत बनाना और उनका स्तर ऊंचा उठाना।

नेफा में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†**१३०. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा क्षेत्र में तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड बनाने के लिये कितनी राशि खर्च करने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) नेफा क्षेत्र में ऐसे कितने खण्ड खोले जायेंगे ;

(ग) क्या नेफा के सीमांत क्षेत्र में शीघ्र ही कोई सहकारी समितियां स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) नेफा क्षेत्र में तीसरी योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास खंडों पर ९३.१० लाख रुपये व्यय किये जाने की आशा है।

(ख) समस्त नेफा क्षेत्र में ३७ खण्ड बनाये जायेंगे जिनमें से १९ खण्ड (दो पूर्व-विस्तार खण्डों को छोड़ कर) चालू हो गये हैं और शेष तीसरी योजना अवधि में बनाये जायेंगे।

(ग) और (घ). नेफा के सीमांत क्षेत्रों में १० सहायक उपभोक्ता स्टोर बनाने का प्रस्ताव तीसरी योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये स्वीकार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल दुर्घटना

†१३१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटिहार-सिलीगुड़ी सेक्शन पर ६ जनवरी, १९६१ को अधिकारी स्टेशन पर २६ डाउन पार्सल पैसेंजर गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(ग) उस दुर्घटना में जन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) दुर्घटना का कारण, जैसा कि रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने अपने प्रारंभिक प्रतिवेदन में कहा है, रेलवे कर्मचारियों की चूक है ।

(ग) मरा कोई नहीं था । रेलवे सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगभग तीन हजार सात सौ रुपये लगाया गया है ।

कुष्ट-निरोध दिवस

†१३२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० जनवरी, १९६१ (महात्मा गांधीं का शहीद दिवस) को कुष्ट-निरोध दिवस मनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में वह दिवस किस प्रकार मनाया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वह दिवस निम्न प्रकार मनाया गया था :—

१. दिल्ली प्रशासन :

यह दिवस दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया था । आयोजन का उद्देश्य कुष्ट रोग की समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित करना और लोगों को इस रोग की व्यापकता और उसकी रोकथाम के उपाय बताना था । इस विषय पर पोस्टर लगाने और पर्चे बांटने के अतिरिक्त सायंकाल को टाउनहाल में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गयी थी । जमुना बाजार तथा अन्य क्षेत्रों में कुष्ट रोगियों से संबंधित चल चित्र का प्रदर्शन किया गया था । कुष्ट रोगियों के लिये एक नयी अस्थायी बस्ती का शिलान्यास भी किया गया था । इस के अतिरिक्त जमुना बाजार, शाहदरा की कुष्ट रोगियों की बस्ती और शिशु-गृह में कुष्ट रोगियों और उनके बच्चों को मिठाइयां वितरित की गई थीं ।

२.—हिमाचल प्रदेश :

समस्त हिमाचल प्रदेश में कुष्ट रोग के किलनिकों और सब क्लिनिकों में विभिन्न आयोजन किये गये थे जिन में प्रभात फेरिया, सभायें आयोजित करना, प्रदर्शनी, विभिन्न स्थानों में पोस्टरों, पर्चों और

†मूल अंग्रेज़ी में

चलचित्रों का दिखाया जाना और शिमला के आकाशवाणी केन्द्र से वार्ता एवं नाटक का प्रसारण सम्मिलित थे ।

३--लक्कदीव, मिनिकाय और अमीन दीव द्वीप समूह :

सार्वजनिक सभायें आयोजित की गयीं थी जिनमें जनता को इस रोग की व्यापकता तथा उसकी रोक थाम करने के विभिन्न उपाय बताये गये थे । उपयुक्त पोस्टर लगाये गये थे और भजन भी गाये गये थे ।

४--मैसूर :

सार्वजनिक सभायें आयोजित की गई थीं जिन में कुष्ट रोग सम्बन्धी चलचित्र दिखाये गये थे । पर्चे वितरित किये गये थे और पोस्टर भी लगाये गये थे ।

५--उड़ीसा :

राज्य के समस्त जिला मुख्यालय नगरों में स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा जलूस निकाले गये थे, सभायें आयोजित की गई थीं और चलचित्र दिखाये गये थे । कुष्टरोग अग्रिम परियोजना के मेडिकल आफिसरों ने अपने क्षेत्राधिकारों में समूह-वार्तायें और बैठकें आयोजित की थीं । कुष्टरोग के उन्मूलन के लिये सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों का व्यापक प्रचार भी साथ साथ किया गया था । राज्य में कुष्ट निरोध कार्य के लिये अभी तक उठाये गये कदमों के बारे में शाम को आकाशवाणी से प्रसारण किया गया था । अंग्रजी तथा उड़ीया भाषाओं में पोस्टर और पर्चे प्रदर्शित तथा वितरित किये गये थे ।

६--पंजाब :

समस्त जिला मुख्यालयों तथा अन्य प्रमुख नगरों में लोकस्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा सभाऐं आयोजित की गई थीं जिन में जनसाधारण को भी निमंत्रित किया गया था जिस से उन्हें कुष्टरोग और उस की रोकथाम की जानकारी हो सके । समस्त सार्वजनिक स्थानों में कुष्टरोग सम्बन्धी पोस्टर भी लगाये गये थे । चण्डीगढ़ की सभा का सभापतित्व मुख्य मंत्री ने किया था । स्वास्थ्य केन्द्र में, जहां वह सभा आयोजित की गई थी, एक प्रदर्शनी भी हुई थी ।

७--त्रिपुरा :

अस्पतालों और औषधालयों के प्रभारी मेडिकल आफिसरों ने अपने मुख्यालयों में सार्वजनिक सभायें आयोजित की थीं । उन्हों ने अपने भाषणों में कुष्टरोग की प्रकृति पर प्रकाश डाला और इस रोग के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया । पर्चे और पोस्टर भी वितरित किये गये थे ।

शेष राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

पोत निर्माण तथा मरम्मत

†१३३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत निर्माण और मरम्मत सम्बन्धी सहायक उद्योगों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये बम्बई और कलकत्ता में दो स्थानीय मंत्रणा समितियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समितियों द्वारा अभी तक इन उद्योगों के विकास के लिये कोई सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो व सिफारिशें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादर)** : (क) बम्बई तथा कलकत्ता में स्थानीय मंत्रणा समितियां स्थापित करने के लिय अवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

त्रिपुरा में खाद्यान्न के मूल्य

†१३४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में ग्रामीण क्षत्रों के विभिन्न भागों में खाद्यान्न के मूल्य उत्पादन लागत से भी कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार त्रिपुरा में खाद्यान्न के मूल्य स्थिर करने के लिय क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे कर्मचारी की हत्या

†१३५. **श्री मुरारका :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रेलवे कर्मचारी की एक बरात के कुछ व्यक्तियों द्वारा, जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, हत्या के सम्बन्ध में रेलवे पुलिस द्वारा ननवान स्टेशन पर की गई जांच में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या अपराधियों का पता लगाकर उन्हें चार्जशीट किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे पुलिस ने जांच पूरी कर के तीन अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया है और वह मामला इस समय न्यायाधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के परिवहन के लिये माल डिब्बे

†**१३६. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस समय आसाम में चीनी की कमी का कारण चीनी के मालडिब्बों को ठीक तरह काम में न लाया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हाल के महीनों में आसाम में चीनी पहुंचने में देर होने का कारण उच्च अग्रिमता प्राप्त माल के भेजे जाने के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में माल प्राप्ति के कारण लदान पर लगाई गई पाबंदियां और स्टीमर कम्पनियों की नदी की हालत खराब होने और संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के श्रमिकों द्वारा धीरे-धीरे काम करने की चाल अपनाने के कारण अपना सामान्य कोटा वहन करने की असमर्थता के कारण यातायात का नदी तथा रेल-एवं-नदी मार्ग से सम्पूर्ण मीटर लाइन के मार्ग की ओर व्यपवर्तन है । जहां तक सरकार की जानकारी है, इस समय आसाम में चीनी की कोई कमी नहीं है और चीनी के मालडिब्बों के आवागमन में भी कोई ढिलाई नहीं है ।

(ख) तुरन्त कदम उठाये गये थे और प्रतिबन्धों के बावजूद जनवरी, १९६१ के प्रारम्भ में पूर्वोत्तर रेलवे से आसाम के लिये चीनी की स्पेशल गाड़ियां भेजी गई थीं जिन से २३२ डिब्बे चीनी पहुंची । इस के अतिरिक्त ब्लाक स्पेशल गाड़ियों में भी चीनी के लदान की व्यवस्था की गई थी और जनवरी, १९६१ में कुल ५५४ डिब्बे चीनी का लदान किया गया था । यह मात्रा पिछले अनेक महीनों का उच्चतम रिकार्ड है । पूर्वोत्तर रेलवे ने आसाम के लिए चीनी की और स्पेशल गाड़ियों का कार्यक्रम बनाया है और फरवरी, १९६१ के पहले सप्ताह में चीनी की तीन स्पेशल गाड़ियों के लदान के आदेश जारी किये गये थे जिन में २७० डिब्बे होंगे ।

मिलों में चीनी की प्राप्ति

१३७. श्री विभूति मिश्र: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ से चम्पारन (बिहार) के मोतीहारी सबडिवीजन में सुगोली, मोतीहारी और भकेया की चीनी मिलों में चीनी की प्राप्ति बेतिया सबडिवीजन की मझौलियां, चम्पाटिया, नहरकटियांगंज, हरिनगर और बगाहा की मिलों की अपेक्षा कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन मिलों को अपनी चीनी की प्राप्ति बढ़ाने के लिये अब तक क्या सहायता दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) स्थिति इस प्रकार है :

	पूरा मौसम		३१ जनवरी तक	
	१९५८–५९	१९५९–६०	१९५९–६०	१९६०-६१
मोतीहारी सबडिवीजन में सुगौली, मोतीहारी और भकेया (चकेया) चीनी मिलों की औसत चीनी प्राप्ति . . .	९.६०	९.२१	९.०१	९.१५
बेतिया सबडिवीजन में मझौलिया, चम्पाटिया, नहरकटियागंज, हरिनगर और बगाह चीनी मिलों की औसत चीनी प्राप्ति .	९.७३	९.४३	९.४७	९.३९

(ख) चीनी की प्राप्ति मुख्यत: गन्ने की किस्म पर निर्भर होती है । बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक उच्च शक्तिवाली समिति इस क्षेत्र में चीनी की प्राप्ति में कमी की समस्या की जांच कर रही है । इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इंजन तथा डिब्बे

†**१३८. श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में छोटी लाइन के इंजनों, सवारी डिब्बों, माल डिब्बों और उन के पुर्जों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है और रुपयों में वह राशि कितनी है ;

(ख) उपरोक्त चीजों के आयात के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है और रुपयों में वह कितनी ; और

(ग) उपरोक्त चीजों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने का विचार है तथा रुपयों में वह राशि कितनी होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग २.९८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ।

(ख) लगभग १.१५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ।

(ग) लगभग १.७७ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा ।

रेल कर्मचारियों को निःशुल्क पास

१३९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में कितने रेल कर्मचारियों को पहले, दूसरे, तीसरे, वातानुकूलित दर्जे और सैलूनों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए पास दिये गये ; और

(ख) उन पर रेलवे का कितना खर्च हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रेलों से सूचना मंगाई जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) रेल-कर्मचारियों को जो पास दिये जाते हैं उन की लागत का हिसाब रेल-प्रशासन नहीं रखते । लगभग ११ लाख रेल कर्मचारी पास पाने के हकदार हैं । ये पास विभिन्न स्टेशनों के लिये जारी किये जाते हैं और इन पर कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी यात्रा कर सकते हैं । इन यात्राओं की लागत पता लगाने के लिये बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी कुल लागत का ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि:–

(१) जितने लोगों के लिये पास लिया गया है, वे सब लोग यात्रा न किये हों ।

(२) पास में निर्धारित गन्तव्य स्थान से पहले यात्रा समाप्त कर दी गयी हो ।

(३) कुछ ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जब पास ले कर यात्रा न की गयी हो ।

अगरतला में जल निस्सारण व्यवस्था

†१४०. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला में जलनिस्सारण व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस मामले में अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अगरतला जल निस्सारण व्यवस्था सम्बन्धी कार्य के लिये ईंटों का संभरण शुरू हो गया है और तली में रोड़ी डालने के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये हैं ।

(ख) अभी तक अगरतला नगरपालिका द्वारा केवल ७५० रुपये सर्वेक्षण कार्य पर व्यय किये गये हैं ।

(ग) इस प्रयोजन के लिये कोई अन्तिम तारीख नहीं निश्चित की गई है ।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कर्मचारी

†१४१. **श्री नाथ पाई :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कर्मचारियों के विवाद में मध्यस्थ समिति के सभापति द्वारा दिय गये पंचाट के क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) उनका क्या परिणाम हुआ ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)** (क) और (ख) विमान निगम अधिनियम की धारा ४५(२)(ख) के अन्तर्गत पंचाट के पूर्णरूपेण क्रियान्वयन के लिए, पैरा ७९४ में दिए गए निदेशों के अधीनस्थ, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । उस आधार पर निगम ने

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचाट में सम्मिलित समस्त कर्मचारियों को अलग अलग पत्र लिख कर पंचाट के आधार पर वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण और मजूरियों के पुनर्निर्धारण के बारे में सूचित कर दिया है। एसे समस्त कर्मचारियों को जनवरी १९६१ का वतन पंचाट में उल्लिखित पुनरीक्षित मजूरियों के आधार पर भुगतान किया गया है। निगम ने कहा है कि सम्बन्धित कर्मचारियों को देय बकाया राशि का आकलन करने के लिए अग्रतर कार्यवाही शुरू की जा चकी है और सम्बन्धित कर्मचारियों को बकाया का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाएगा।

खाद्यान्नों का उत्पादन

†१४२. **श्री हेम बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक देश के खाद्यान्नों के उत्पादन का कोई जिलेवार विश्लेषण इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किसी अवधि में किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) :** (क) जी, हां। यह विश्लेषण चावल और गेहूं के सम्बन्ध में १९५५–५८ की अवधि के लिए किया गया था।

(ख) विश्लेषण से पता लगा है कि भारत में चावल और गेहूं का उत्पादन कुछ स्थानों में केन्द्रित है क्योंकि १२ जिलों का चावल का उत्पादन समस्त भारत के उत्पादन का २३ प्रतिशत है जब कि उनमें केवल १७.५ प्रतिशत भूमि आती है और गेहूं के मामले में १२ जिलों का उत्पादन २२.७ प्रतिशत है जब कि उनमें केवल १६.६ प्रतिशत भूमि आती है।

पूर्व रेलवे में यात्रियों की शिकायतें

†१४३. **श्री नाथ पाई :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे में टाटानगर और डेरी ओनसोन के बीच यात्रा करने वाले रेलवे यात्रियों की ओर से यात्रा सम्बन्धी कठिनाइयों की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख) संभवत: टाटानगर और डेरी ओन सोन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की कठिनाइयों सम्बन्धी शिकायतों का तात्पर्य २२–१२–१९६० से यात्री यातायात के लिए बड़ी लाइन के मुरी-रांची और मुरी-कोटशिला-चन्द्रपुरा सेक्शनों के खोले जाने के परिणामस्वरूप रेलगाड़ी सेवाओं में परविर्तन से है। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

२२–१२–६० के पूर्व टाटानगर और डेरी ओनसोन के बीच बारकाकाना होकर यात्रा करने वाले यात्री ३०३ अप/३०४ डाउन हावड़ा-रांची-हजारीबाग एक्सप्रस और बखाडीह होकर जाने वाली १ जी० डी० अप/२ जी० डी० डाउन गोमो-डेरी ओनसोन पैसेंजर गाड़ियों का लाभ उठाया करते थे। २२–१२–६० से ३०३ अप/३०४ डाउन हावड़ा-रांची-हजारीबाग एक्सप्रेस गाड़ियों के नम्बर बदल कर ८३ अप/८४ डाउन कर दिए गए हैं और वे हावड़ा तथा रांची के बीच चलती है।

†मूल अंग्रेजी में

उसी तारीख से ८५ अप।८६ डाउन टाटा-बारकाकाना पैसेंजर गाड़ियां हावड़ा-रांची-हजारीबाग एक्सप्रेस गाड़ियों की सहायक सेवाओं के रूप में मुरी और बारकाकाना के बीच चलाई गई हैं।

२२-१२-६० से टाटानगर और डेरी ओनसोन के बीच बारकाकाना होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को दो स्टेशनों अर्थात् मुरी और बारकाकाना पर गाड़ी बदलनी पड़ती है जब कि २२-१२-६० के पूर्व उन्हें केवल एक बार बारकाकाना पर ही गाड़ी बदलनी पड़ती थी। इन रेल सेवाओं के कुल यात्रा समय में २२-१२-६० के पूर्व के समय से कोई वृद्धि नहीं हुई है। चूंकि मुरी और बारकाकाना में दिन के सुविधाजनक घण्टों में गाड़ी बदलनी होती है इसलिए टाटानगर और डेरी ओनसोन के बीच बारकाकाना होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

पत्रिकाओं की चोरी

†१४४. **श्री वै० च० मलिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक से पत्रिकाओं की चोरी के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो १९६० में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं ;

(ग) सरकार ने अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) सरकार द्वारा उन लोगों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है जिनकी चीज १९६० में चोरी चली गई थीं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) हां, श्रीमान।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सिलचर और इम्फाल के बीच रेलवे लाइन

†१४५. **श्री हेम बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सिलचर से इम्फाल (मनीपुर) तक रेलवे लाइन बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई परियोजना तैयार की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

परिवार नियोजन

†१४६. **श्री हेम बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही कलकत्ता में हुए धात्री विद्या सम्बन्धी तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्मेलन ने देश में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह सुझाव क्या हैं और क्या सम्मेलन में भाग लेने वालों ने इसके बारे में विपरीत विचार व्यक्त किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण योजना

†१४७. श्री रामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम्य जल संभरण योजना के बारे में १ दिसम्बर, १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अब पुलिवेण्डला यूनिट के लिये १९६०–६१ के उपबन्धों की जानकारी मिल गई है ;

(ख) क्या १९६०–६१ में इस योजना को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) योजना के लिये किये गये कुल उपबन्धों के आधार पर १९६०–६१ में कितना धन व्यय हो जाना चाहिये ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों को अभ्यावेदन मिले हैं कि योजना के लिये निश्चित समय तक योजना को चलाया जाये ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । १९६०–६१ के लिये २.९२ लाख रुपये के उपबन्ध हैं । जो राज्य के कोष से लिय जायेंगे ।

(ख) जी हां । क्योंकि पुलिवंण्डला यूनिट के लिये प्रस्तावित योजनायें एक-एक गांव के लिए हैं और प्रति व्यक्ति व्यय भी ३० रुपये से अधिक है इसलिये उनको राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया गया ।

(ग) ४.३२४ लाख रुपये (१९५९–६० में १.४०४ लाख रुपये और १९६०–६१ में २.९२ लाख रुपये) ।

(घ) जी नहीं ।

अपैन्डिसाइटीज़

†१४८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया, अमरीका और जापान में अपैन्डिसाटीज और अन्य आपरेशनों में तरल चिपकने वाला पदार्थ अधिक सफल सिद्ध हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रयोग भारतीय अस्पतालों में भी किया जायेगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हमें अभी तक किसी भी तरल चिपकने वाले पदार्थ का अनुभव नहीं है ।

(ख) इस समय नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन एक्सचेंज, बिजनबाड़ी

†१५०. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग के निकट बिजनवाड़ी में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन रखने वाले व्यक्तियों से एक्सचेंज के कर्मचारियों ने दो से तीन वर्ष पहले ही प्रतिभूति जमा करा ली है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आवश्यक यंत्र आदि स्थान पर बेकार पड़े हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) असामान्य विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं। अप्रैल—जून १९६० में कोई धन नहीं मिला।

(ग) १९–१२–१९६० को एक्सचेंज में काम आरम्भ हो गया है।

एन्ड्रयूज गंज, नई दिल्ली में चिकित्सा सुविधायें

†१५१. **श्री राम गरीब :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्ड्रज गंज, नई-दिल्ली, के निवासियों के लिये कोई चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं ; और

(ख) इस स्थान के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की डिस्पैंसरी कब तक चालू हो जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं। एन्ड्रयूज गंज, नई-दिल्ली के निवासियों के उपचार और चिकित्सा के लिय १० फरवरी, १९६१ से पहले अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन किदवई नगर की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा की डिस्पैंसरी में व्यवस्था थी।

(ख) १० फरवरी, १९६१ से एन्ड्रयूज गंज में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पैंसरी चालू है।

खरसुआ और बैतरणी नदियों पर पुल

†१५२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में खरसुआ और वैतरणी नदियों पर पुल बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या निर्माण के नक्शों पर चर्चा हो चुकी है और उन पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है तथा क्या इस कार्य के लिये इस वर्ष टैंडर के लिए कोई नोटिस जारी किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). धन की कमी के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन दोनों पुलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तथा पूरा करने की इस समय कोई आशा नहीं है । परन्तु नक्शे, प्राक्कलन तथा अन्य प्रविधिक ब्यौरों पर राज्य सरकार से चर्चा की जा चुकी है । जब तक इन पुलों के लिए अपेक्षित धनराशि नहीं मिल जाती तब नक इन नक्शों को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है और भारत सरकार की स्वीकृति मिल जाने पर ही परियोजनाओं के टेंडरों के नोटिस दिये जायेंगे ।

जोधपुर डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

१५३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने रेलवे कर्मचारी पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी में काम कर रहे हैं ;

(ख) जोधपुर डिवीजन में १९५८ और १९६० में पहिली, दूसरी और तीसरी श्रणी के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई ;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे;

(घ) क्या इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए रक्षित अभ्यंश को पूरा करने के लिए नये कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी जाये; और

(ङ) यदि हां, तो ये पदोन्नतियां कब तक की जायेंगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
पहली श्रेणी	कोई नहीं	कोई नहीं
दूसरी श्रेणी	कोई नहीं	कोई नहीं
तीसरी श्रेणी	११७	६

(ख)

	१९५८	१९६०
पहली श्रेणी	कोई नहीं	कोई नहीं
दूसरी श्रेणी	२	३
तीसरी श्रेणी	१५३	२४७

(ग)

	अनुसूचित जातियां		*अनुसूचित आदिम जातियां	
	१९५८	१९६०	१९५८	१९६०
पहली श्रेणी	—	—	—	—
दूसरी श्रेणी	—	—	—	—
तीसरी श्रेणी	२	८	—	—

*उत्तर रेलवे में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ) .पंजाब हाई कोर्ट द्वारा एक अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी है । उसे देखते हुए अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को आरक्षित कोटा के अनुसार तरक्की देने के सम्बन्ध में अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ।

पश्चिमी बंगाल में टेलीफोन के कनेक्शन

†१५४. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में टेलीफोन के नये कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ख) १९५९–६० में पश्चिम बंगाल में कितने नये कनेक्शन दिए गये थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ३५,६८६ (३१–१२–१९६० तक)

(ख) ८,४०० ।

खजुरिया–माल्दा लाइन पर रेल-दुर्घटना

†१५५. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ नवम्बर, १९६० को नई बनी खजुरिया-माल्दा लाइन पर कोई दुर्घटना हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा ब्योरे क्या हैं ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). १२ नवम्बर, १९६० को लगभग १५.२० बजे जब एक विभागीय सामान की गाड़ी–माल्दा स्टेशन यार्ड की ओर आ रही थी तभी यह गाड़ी एक लैवल-क्रासिंग पर एक मोटर ट्रक से टकरा गई। परिणामस्वरूप ट्रक के ड्राइवर तथा सह-ड्राइवर के चोटें आईं और वह बाद में अस्पताल में मर गये । दुर्घटना ट्रक के ड्राइवर की गलती से हुई क्योंकि उसने गाड़ी आते देख कर भी रेल की पटरी को पार करने की कोशिश की ।

रेलवे वैगनों के लिए इस्पात

†१५६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० तथा अब तक भारत में बैगनों के निर्माण के लिये कितनी मात्रा में तथा कितनी विदेशी मुद्रा के इस्पात का आयात किया गया ;

(ख) उसी अवधि में भारतीय इस्पात निर्माताओं से वैगनो के निर्माण के लिये कितनी मात्रा के तथा कितने मूल्य का इस्पात मिला ;

(ग) इस्पात के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में क्या अन्तर है और रेलवे अधिकारियों द्वारा दिये गये अधिक मूल्य के बारे में क्या स्पष्टीकरण है, और

(घ) वगन निर्माण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भविष्य में कितने इस्पात की उपलब्धता की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) भारत में वैगनों के निर्माण के लिये विदेशों से मंगाये गये इस्पात की मात्रा तथा विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :

(१) १९५९–६० में **अनुमानित मूल्य में मात्रा**

लांग टन	रुपये लाखों में
१,१२,७९०	६९१.८९ (समुद्री भाड़ा समेत)

(२) १–४–६० से ३१–१–६१ तक

६९,०००	४०४.३४ (समुद्री भाड़े से अतिरिक्त*)

(१) तथा (२) का जोड़

१,८१,७९०	१०९६.२३

*समुद्री भाड़ा भारतीय रुपयों में दिया जायेगा ।

(ख) वैगन निर्माताओं को भारतीय इस्पात निर्माताओं ने इस्पात की निम्नलिखित मात्रा दी है

	लांग टन
(१) १९५९–६० में . . .	३७,६३७
(२) १–४–६० से ३१–१२–६० तक . .	३०,६०८
	६८,२४५

इस्पात की श्रेणी तथा मात्रा के आधार पर लोहा तथा इस्पात निधेत्रक समय समय इस्पात के जो मूल्य निर्धारित करता है उसी मूल्य पर इस्पात का संभरण होता है ।

(ग) वैगन निर्माताओ को देशी इस्पात उसी मूल्य पर दिया जाता है जिस मूल्य पर उनको आयात किया गया इस्पात दिया जाता है । इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) वैगन निर्माताओं की मांग पूरी करने के लिये धीरे धीरे देसी इस्पात की उपलब्धता बढ़ाई जायेगी । केवल कुछ विशेष पुर्जों के निर्माण के लिये विशेष प्रकार का इस्पात थोड़ी मात्रा में आयात किया जायेगा ।

भारतीय जहाज

†**१५७. श्री कालिका सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीयन) नियम, १९६० के अधीन पंजी बद्ध भारतीय जहाजों की संख्या १९५८ तथा १९५९ की संख्या से बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह बढ़ोतरी कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सभी जहाज़ों का पंजीयन नियमो के अधीन हो गया है तथा यदि नहीं तो अभी तक कितने जहाजों का पंजीयन होना शेष है।

(घ) क्या सभी सरकारी जहाजों का पंजीयन नियमों के अधीन हो गया है और यदि हां तो उनकी क्या संख्या है; और

(ङ) क्या पाल वाले जहाजों का पंजीयन करने के नियम अलग हैं और यदि हां, तो इन नियमों के अधीन कितने पोत वाले जहाज़ पंजीवद्ध हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क)से (ग). वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम १९५८ में एक उपबन्ध है कि उस अधिनियम के लागू होने की तिथि को जो जहाज ऐसे किसी अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध हैं, जिसका इसके लागू होने पर निरसन होता हो उन जहाजों को इस अधिनियम के अधीन पंजीवद्ध माना जायेगा। इसीलिये यह आवश्यक नहीं था कि वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ के लागू होने से पहले पंजीबद्ध हुये जहाज दोबारा वाणिज्यिक नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीयन) नियम, १९६० के अधीन पंजीयन कराया जाये। इसलिए जहाज़ों के पंजीयन में और टन भार बढ़ाने में कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यदि १९५८, १९५९ तथा १९६० में टनभार बढ़ाने की जानकारी मालूम करनी हो तो वह नीचे बताई जाती है :—

३१–१२–५८ को टन भार	.	६३८,४८३ जी० आर० टी०
३१–१२–५९ को टन भार	.	७२३,८१० जी० आर० टी०
३१–१२–६० को टन भार	. .	८५१,८२२ जी० आर० टी०

वाणिज्यिक नौवहन (भारतीय जहाज़ों का पंजीयन) नियम १ जनवरी, १९६१ से लागू किये गये थे और उसके अधीन अब तक केवल चार जहाजों का पंजीयन हुआ है।

(घ) सरकार द्वारा बनाए गए निगम के दो जहाज़ों का पंजीयन अभी तक वाणिज्यिक नौवहन (भारतीय जहाजों का पंजीयन) नियम, १९६० के अधीन किया गया है।

(ङ) वाणिज्यिक नौवहन (पोत वाले जहाज़ों का पंजीयन) नियम, १९६० नामक नियमों के अधीन पोत वाले जहाजों का पंजीयन होता है। यह भी १ जनवरी, १९६१ से लागू किए गए थे। इन नियमों में पंजीबद्ध पोत वाले जहाजों के पुनः पंजीयन के लिए तीन माह की अवधि निश्चित कर दी गई है।

फूल बाग में कृषि विश्वविद्यालय

†**१५८. श्री कालिका सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फूलबाग (रुद्रपुर), उत्तर प्रदेश में कृषि श्विवविद्यालय की क्या क्षमता है ;

(ख) विश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों का विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है।

(ग) क्या भारत के इस प्रकार की कोई अन्य संस्था भी है और यदि हां, तो ऐसी अन्य संस्था कहां पर है और उसकी क्या क्षमता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) खाद्य तथा कृषि के योजना कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये संस्था से कितना लाभ होने की आशा है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अभी तक आरंभ किए गए दो कालिजों की वार्षिक प्रवेश-क्षमता नीचे दी जाती है :—

(क) कृषि कालिज	१५०	विद्यार्थी
(२) पशु औषधि कालिज	१००	विद्यार्थी

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस विश्वविद्यालय में कृषि इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी का कालिज, गृह-विज्ञान का कालिज तथा स्नातकोत्तर अध्ययन का कालिज स्थापित करने का विचार है। स्थापना के पश्चात् उनकी प्रवेश-क्षमता निश्चित हो जायेगी।

(ख) तीनों कालिजों में पाठ्यक्रमों की अवधि तथा दी जाने वाली डिग्रियों के ब्यौरे नीचे बताये जाते हैं :—

डिग्रियां	अवधि
१. बी० एस० सी० (आनर्स) कृषि और पशु-पालन . .	३ वर्ष
२. बी० वी० एस० सी० तथा पशु-पालन . . .	४ वर्ष
३. बी० एस० सी० कृषि इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी . .	४ वर्ष

इस विश्वविद्यालय के शिक्षा के ढांचे में पुरानी शिक्षा पद्धति में बहुत परिवर्तन कर दिये गये हैं। जैसे (१) प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचि के अनुसार कितने ही पाठ्यक्रमों का लागू किया जाना ; (२) सावधिक परीक्षणों का लागू किया जाना और अध्यापन के ऐसे तरीकों को अपनाना जिनके कारण रटने आदि की जरूरत न रहे और विद्यार्थियों को बाहर काम करने का अभ्यास पड़े ; (३) विश्वविद्यालय के अन्दर ही गवेषणा, अध्यापन तथा विस्तार एक साथ रखना।

(ग) इस समय भारत में इस प्रकार की अन्य कोई संस्था नहीं है यद्यपि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली और टैक्नालाजी की भारतीय संस्था, खड़गपुर में स्नातकोत्तर शिक्षा कुछ परिवर्तनों के साथ यही अपनाई गई है।

(घ) आशा है कि इस विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति के द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम में लाभ होगा क्योंकि एक तो अध्यापन और गवेषणा में निकट सम्बन्ध हो जायेगा और दूसरे इन दोनों का पर्याप्त विकास हो जायेगा।

रेलवे की सूचनाओं और विज्ञापन-पट्टों में हिन्दी की गलतियां

१५९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लेटफार्मों और गाड़ियों में लगी हिन्दी की अधिकांश सूचना और विज्ञापन-पट्टों में बहुत सी गलतियां होती हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गलत विज्ञापन-पट्टों और सूचनाओं को हटाने और भवष्यि में इन में भाषा की कोई गलती न हो इसके लिये क्या किया है ?

रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे स्टेशनों और सवारी डिब्बों में लगे हुए हिन्दी साइन बोर्डों और नोटिसों में कुछ अशुद्धियां देखने में आई हैं ।

(ख) रेल-प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों से स्टेशनों पर और गाड़ियों में लगे हुए साइन बोर्डों आदि की जांच कराके उनकी अशुद्धियों को दूर करायें ।

उड़ीसा में रेलवे आउट-एजेन्सी

†१६०. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री उड़ीसा में आउट-एजन्सियों के बारे में १८ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान २-८-१९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिसमें बताया गया है कि कटक की औद्योगिक बस्ती में आउट-एजेन्सी खोलने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है क्योंकि उड़ीसा सरकार वहां पर एक साइडिंग बनाने की इच्छुक थी और आउट-एजेन्सी नहीं बनाना चाहती थी। १०,००० से अधिक जनसंख्या वाले तथा ५ मील से दूर स्थित स्थानों पर, बरहामपुर गंजम स्टेशननों के द्वारा १-५-६० से अस्का और फूलबनी में आउट एजेन्सी खोली गई ह। यातायात न होने के कारण परनागढ़ में आउट-एजेंसी खोलने का विचार रद्द कर दिया गया है । १० अन्य स्थानों पर आउट-एजेन्सियां खोलने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

बीना में लोको शैड की दीवार

१६१. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीना में लोको शेड की बाहरी दीवार कितनी बार बनाई गई है ;

(ख) उसके निर्माण पर कितना खर्च हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि पहली बार जब यह दीवार बनाई गई तो हवा के एक साधारण झोंके से ही यह गिर गई थी ; और

(घ) क्या प्रशासन ने इस दीवार के निर्माण में प्रयुक्त की गई सामग्री के बारे में कोई जांच की ?

रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) केवल एक बार—सन् १९५६ में ।

(ख) १,१३,३०० रुपये ।

(ग) जी नहीं, लेकिन २९-५-५६ को तूफान के कारण दीवार के एक हिस्से को नुक्सान पहुंचा जिसकी मरम्मत पर १२,४०० रुपये खर्च हुए। यह हवा का एक मामूली

†मूल अंग्रेजी में

झोंका नहीं, बल्कि एक तेज़ आंधी थी जिसकी वजह से कई पेड़ उखड़ गये और उस इलाके के मकानों की छत उड़ गयी ।

(घ) जी हां, सीमेंट के गारे के बारे में जांच की गयी थी और वह ठीक पाया गया।

साधुओं द्वारा रेलगाड़ी को रोक लना

†१६२. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ जनवरी, १९६१ को पूर्व रेलवे के डायमण्ड हार्बर स्टेशन पर साधुओं के एक जत्थे ने रेलगाड़ी को रोक लिया ; और

(ख) यदि हां, तो घटना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) १६-१-६१ को ११.२० बजे डायमण्ड हार्बर स्टेशन से घूरेन वाली एक विशेष गाड़ी में बिना टिकट चढ़ने के लिये प्लेटफार्म पर जाने का साधुओं के एक जत्थे ने प्रयत्न किया। रोके जाने पर साधु पटरी पर लेट गये। उनको बाद में पुलिस की सहायता से हटाया गया। बाद में साधुओं ने टिकट खरीदें और दूसरी गाड़ी से यात्रा की।

दिल्ली का चिड़ियाघर

†१६३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राष्ट्रीय चिड़ियाघर, नई दिल्ली के लिये एक सलाहकार समिति नियुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो समिति कब तक बना ली जायेगी ; और

(ग) सभापति समेत किन किन व्यक्तियों को सदस्य बनाने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). "दिल्ली चिड़ियाघर परिषद्" नामक एक सलाहकार समिति बना ली गई है ।

(ग) परिषद् के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

१.	खाद्य तथा कृषि मंत्री	सभापति
२.	सचिव, कृषि विभाग	उप-सभापति
३.	सचिव, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि	सरकारी सदस्य
४.	सचिव, शिक्षा मंत्रालय अथवा उसका प्रतिनिधि	
५.	उप-प्रधान, कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद्	
६.	संयुक्त सचिव कृषि विभाग, परियोजना के प्रभारी	
७.	वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग से संबद्ध	

†मूल अंग्रेजी में

८. चीफ इंजीनियर, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली
९. वन महानिरीक्षक . . .
१०. मुख्यायुक्त, दिल्ली अथवा उनका प्रतिनिधि
११. आयुक्त, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन .
१२. श्री कमल सिंह, सदस्य लोक-सभा .
१३. श्री के० एस० रामस्वामी, सदस्य लोक-सभा
१४. श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य राज्य सभा .
१५. मेयर, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन अथवा उनका प्रतिनिधि
१६. श्री ए० के० चन्दा सेवा निवृत्त नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक
१७. श्री जी० जी० टकले, भूतपूर्व इमारती लकड़ी सलाहकार (रेलवे बोर्ड)
१८. श्री सी० डी० देशमुख, भूतपूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति
१९. कैप्टन एस० के० चटर्जी, बर्डस वाचिंग सोसायटी, नई दिल्ली
२०. श्री एफ० सी० वध्वार, रेलवे बोर्ड के सेवा निवृत सभापति
२१. श्री विक्रम लाल सोधी

} गैर-सरकारी सदस्य

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर की शुद्धि

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दिनांक २३-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के भाग (ख) के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये :

"जांच में विलम्ब हो गया था क्योंकि सहायक स्टेशन मास्टर ५-१०-१९५९ से २२-२-१९६० तक बीमार थे और उसके बाद भी बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित थे । इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।"

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार नियम में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४३४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की एस० ओ० संख्या ३०११ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—२६३६/६१]**

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं दक्षिण पूर्व एशिया के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के बांडुंग, इंडोनेशिया में २२ से ३० अगस्त, १९६० तक हुए १३वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति सभय पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी—२६२७/६१]**

मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के लेखा-परीक्षित लेखे

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ३ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या १२/५४/६०—ट्रांसपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २५४५/६१]** ।

मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) मोटर गाड़ी (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, १९४६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४४ ।

(ख) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/६९/५५—६० ट्रांसपोर्ट और एफ० १२/१०/५९—ट्रांसपोर्ट ।

(ग) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ दिसम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १२/१८/५३—५९/ट्रांसपोर्ट ।

(घ) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ दिसम्बर, १९६० के अन्दमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २४७/६०/एफ० ६८–७/५७–पब । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमश : एल० टी०—२६२८/६१,] एल० टी०–२६२९/६१, एल० टी०–२६३०/६१ और एल० टी०–२६३१/६१]**

मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वर्ष १९५६–५७ के परीक्षित लेखे की एक प्रति लेखापरीक्षा रिपोर्ट और तत्सम्बन्धी वित्तीय समीक्षा सहित सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६३२/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में]

प्राक्कलन समिति

सौवां प्रतिवदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं वित्त मंत्रालय—मादक-द्रव्य विभाग के बारे में प्राक्कलन समिति (द्वितीय लोक सभा) के चौवनवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का सौवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

†**श्री राज बहादुर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४ की उप-धारा (२) (क) तथा उक्त एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, १९६० के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, १ मार्च, १९६१ से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४ की उप-धारा (२) (क) तथा उक्त एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, १९६० के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, १ मार्च, १९६१ से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक को लेगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : आपने प्रश्न-काल में या कहा कि आपने कोयले की कमी के बारे में एक अनियत दिन वाले प्रस्ताव की अनुमति दे दी है । अच्छा हो कि उस पर अगले सप्ताह के शुरू में ही चर्चा हो जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके सम्बन्ध में कल वक्तव्य दे दिया जाय उसके बाद हम देखेंगे कि चर्चा की आवश्यकता है या नहीं ।

---

†मूल अंग्रजी में

द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक लेगी ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि द्वि-सदस्यीय संसदीय तथा विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को समाप्त करने और उनके स्थान पर एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों को बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा को मालूम ही है कि सरकार इस मामले पर काफी दिनों से विचार कर रही थी । अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये सीटें सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाने के समय से ही सरकार इस प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार कर रही है कि उनके लिये सीटें सुरक्षित रखने का आधार दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र हों, या एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र । अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्य बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि उनकी सीटें सुरक्षित करने की सब से अच्छी प्रणाली यही होगी कि उनको एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़ा होने दिया जाये, सामान्य निर्वाचन-क्षेत्रों के साथ उनको न मिलाया जाये ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

प्रशासकीय दृष्टि से भी, दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों को जारी रखने से काम बहुत बढ़ जाता है । दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग ८,००,००० मतदाता रहते हैं और उसका प्रादेशिक विस्तार काफी बड़ा होता है । अनुभव यही बताता है कि इन दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़े होने वाले उम्मीदवार ठीक तरह से अपने मतदाताओं तक भी नहीं पहुंच पाते । ऐसे लोग भी निर्वाचित हो जाते हैं, जिनको मतदाता जानते तक नहीं ।

इसीलिये उम्मीदवारों और मतदाताओं में अधिक नजदीकी सम्पर्क बनाने और प्रशासनिक दृष्टि से निर्वाचन को अधिक व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से, साथ ही अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों की मांग मानने के लिये ही, सरकार ने तय किया है कि उनके लिये एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर ही सीटें सुरक्षित की जायें । सरकार समझती है कि सारे देश की जनता यही चाहती है ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसका समर्थन इसी लिए किया है कि इस व्यवस्था से निर्वाचन की पूरी मशीन पर ज्यादा कारगर ढंग से नियंत्रण किया जा सकेगा, साथ ही मतों की गणना भी अधिक व्यावहारिक ढंग से की जा सकेगी ।

इन्हीं कारणों को देखते हुए, सरकार ने यह विधेयक तैयार किया है ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस विधेयक में निर्वाचन-क्षेत्रों को अलग-अलग बांटने का काम निर्वाचन आयोग, अर्थात् मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सौंपा गया है । खण्ड ३ के अनुसार, एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण का काम वही करेंगे, यह ध्यान रखते हुए कि ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से गठे हुए हों और उनके परिसीमन में प्रशासकीय इकाइयों की भौगोलिक विशेषताओं और संचार आदि की जन-सुविधाओं का ध्यान रखा जाये । अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये सीटों का सुरक्षण उन निर्वाचन-क्षेत्रों में ही किया जायेगा जहां अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण हो । दो-सदस्यों वाले निर्वाचन-

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र प्रादेशिक रूप से तो अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वे इतने फैले हुए और बड़े-बड़े हैं कि उनमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है यह पता लगाने के लिये कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये सब से उपयुक्त क्षेत्र कौन सा रहेगा। उसमें यह पता लगाना पड़ता है कि अनुसूचित जातियों का संकेन्द्रण किस क्षेत्र में अधिक है। इसीलिये मैं समझता हूं कि इस समस्या का यही सब से व्यावहारिक हल है। हर दृष्टि से यही अच्छा रहेगा कि वर्तमान दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों को उचित आधार पर एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाये।

कुछ संशोधन रखे गये हैं, जिनमें कहा गया है कि इस काम के लिये फिर से एक परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाये। सिद्धान्ततः तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। जन-गणना के बाद हर बार हम वैसे भी परिसीमन आयोग नियुक्त करते ही हैं। लेकिन अब तो १९६२ में आम चुनाव होने वाले हैं, और यदि हम एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र की प्रणाली को १९६२ के आम चुनावों में ही लागू करना चाहें, तो फिर परिसीमन आयोग की नियुक्ति करना अव्यावहारिक होगा। इसलिये कि परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अब परिसीमन आयोग की नियुक्ति के लायक समय नहीं रहा है। उसमें काफी समय लगेगा और उसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं। दूसरी चीज़ यह कि परिसीमन आयोग भी वही करेगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को करना है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी जनसंख्या के आंकड़े देखकर यही निश्चित करेंगे कि किन-किन वर्तमान दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का अधिक संकेन्द्रण है।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : क्या जनगणना के बाद भी परिसीमन आयोग की नियुक्ति नहीं होगी ? यदि होगी, तो अभी भी की जा सकती है।

†**श्री अ० कु० सेन** : जनगणना के बाद अवश्य होगी। लेकिन वह आयोग जनगणना के नये आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन करेगी, विधान सभा या संसद् के किसी एक खास निर्वाचन-क्षेत्र का नहीं। अभी तो काम केवल इतना ही होगा कि पता लगाया जाये कि किस दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र के किस भाग को एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र में बदला जाये। इतने काम के लिये परिसीमन आयोग नियुक्त करना और उसे सारे देश में घुमाना, इतने कम समय में सम्भव नहीं होगा। १९६२ के आम चुनावों तक वह काम पूरा नहीं होगा। और, हम चाहते हैं कि चुनाव १९६२ में ही हों और वह भी एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर ही हों। इसलिये इस काम के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही सब से उपयुक्त रहेंगे। उनको इसका यथेष्ट अनुभव भी है। अन्य कोई अधिकारी इसे उतनी अच्छी तरह नहीं कर पायेगा। अब यही एक मार्ग रह गया है।

खण्ड ६ में गुजरात के लिये एक विशेष व्यवस्था की गई है। वह इसलिये कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत गुजरात राज्य में विधान सभा के लिये निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पहले से चल रहा है। इसलिये खण्ड ३ की व्यवस्था गुजरात पर लागू नहीं होगी। इसका उसमें उल्लेख है।

बम्बई पुनर्गठन अधिनियम में इसके लिये अलग से एक व्यवस्था की गई है और हम उसे ज्यों की त्यों रखेंगे। वहां सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पहले से चल रहा है। पुनर्गठन के फलस्वरूप, वहां विधान सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। उन अतिरिक्त

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

निर्वाचन-क्षेत्रों को सारे गुजरात में फैलाकर बांटा जायेगा । इसीलिये खण्ड ६ में गुजरात राज्य के लिये पृथक से विशेष व्यवस्था की गई है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : क्या बम्बई पुनर्गठन अधिनियम की धारा १९ में यह व्यवस्था भी की गई है कि वहां एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जायेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** हमने खण्ड ६(१)(क) में यह व्यवस्था की है कि खण्ड (ख) की उपधारा (२) के स्थान पर नयी व्यवस्था की जाये । यह कि ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सीटें सुरक्षित की जायें । बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के उद्धरण अनुबन्ध में दिये गये हैं । माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

माननीय सदस्य स्वयं उसमें देख सकते हैं । बिना स्वयं देखे वह स्पष्टता से समझ में नहीं आयेगी । उस अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी, अब हम एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण की दृष्टि से तत्सम्बन्धी धाराओं को संशोधित कर रहे हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे अनिवार्य बनाया जा रहा है ।

वर्तमान विधेयक के खण्ड ६ से स्पष्ट है कि अब आगे से दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र नहीं रहेंगे । गुजरात में एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र बनाने, उनका परिसीमन करने का कार्य बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के अधीन की गई वर्तमान व्यवस्था पर ही छोड़ दिया गया है ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारासाट): इस विधेयक के खण्ड ३ में व्यवस्था है कि यह गुजरात पर लागू नहीं होगा । बम्बई पुनर्गठन अधिनियम की धारा १९ में यह नहीं कहा गया है कि केवल एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र रहेंगे ।

†**श्री अ० कु० सेन** : खण्ड ५ और ६ को एक साथ देखिये । खण्ड ५ में व्यवस्था है कि हर दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जायेगा । फिर खण्ड ६ की व्यवस्था देखिये—खण्ड ६ का उपखण्ड (ख) । इससे सब स्पष्ट हो जायेगा ।

इस विधेयक की संक्षेप में यही योजना है । इसकी व्यवस्थायें बड़ी सरल हैं । देश में रक्षित एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होंगे, और गुजरात के अतिरिक्त अन्य राज्यों में उनके परिसीमन का कार्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे । मैं इस विधेयक को सभा के सन्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इस पर तीन संशोधन आये हैं, लेकिन दो प्रस्तावकर्त्ता अनुपस्थित हैं । श्री त्यागी ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

यह कोई साधारण विधान नहीं है । इसका प्रभाव संसद् के अस्तित्व पर भी पड़ेगा । इसलिये सरकार को इसके बारे में ऐसे एकतरफा ढंग से निर्णय नहीं करना चाहिये । लोकतंत्र का यही तकाजा है कि इसके बारे में आम जनता को अपनी राय प्रकट करने का भी अवसर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानता हूं कि देश की जनता और राजनीतिज्ञ इसके बारे में एकमत नहीं हैं। इसलिये इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये।

इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन आदेश को संशोधित करना है। परिसीमन आदेश स्थायी नहीं है, न वह कोई अधिनियम है। अधिनियम तो वास्तव में रद्द किया जा चुका है।

संविधान के अनुच्छेद १७०(३) के अनुसार, जन-गणना का कार्य सम्पन्न होने के बाद, हर बार, सरकार को निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिये एक प्राधिकार, एक आयोग नियुक्त करना चाहिये। इस जन-गणना के बाद भी, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री परिसीमन आयोग नियुक्त करेंगे ही।

लेकिन उसकी नियुक्ति में विलम्ब हो सकता है। इसलिये कि हम अपने देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं का समुचित सम्मान नहीं करते। हम बीच का मार्ग निकालने, समझौता करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण, मैं चाहता हूं कि जनगणना के हाल ही बाद परिसीमन आयोग नियुक्त करने का स्पष्ट वचन दिया जाये, जिससे किसी भी बहाने उसमें विलम्ब न हो सके।

भय यह है कि जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने में विलम्ब न हो जाये। उस परिस्थिति में, अनुच्छेद ८१(३) के अन्तर्गत पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित किये जायेंगे। अच्छा तो यही होता कि जनगणना का कार्य एक-दो महीने पहले शुरू कर दिया जाता। आशा है कि सरकार जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने में विलम्ब नहीं होने देगी।

विधेयक को परिचालित करना इसलिये सब से ज्यादा जरूरी है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कई बड़े-बड़े नेता इससे सहमत नहीं हैं। विभिन्न विधान सभाओं और विधान परिषदों को ३१०२ सदस्यों की ओर से हम ५०० सदस्य कोई निर्णय नहीं कर सकते। मद्रास के कई राजनीतिज्ञ इससे सहमत नहीं हैं।

†**श्री अ० कु० सेन :** इस मामले में उनकी राय लेना जरूरी नहीं है।

†**श्री त्यागी** : मैं चाहता हूं कि उनकी राय भी ली जाये।

यह विधेयक अनुसूचित जातियों के हितों के भी विरुद्ध पड़ता है। इस विधेयक द्वारा उनको संविधान द्वारा दिये गये विशेषाधिकार से वंचित किया जा रहा है। अभी दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में २० प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की हो, तो उसे ४० प्रतिशत मान लिया जाता है। इससे उनको विशेषाधिकार मिल जाता है। लेकिन अब एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्रों में उनको यह सुविधा नहीं रहेगी।

यदि कोई सदस्य ऐसे चुनाव क्षेत्र से चुना जाता है जिस में अनुसूचित जाति लोगों की संख्या केवल २० प्रतिशत है तो आप उसे अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि नहीं कह सकते। यदि ऐसा किया जाये तो यह हास्यास्पद बात होगी। जो हालात चल रहे हैं यदि ये चलते रहे तो अनुसूचित जातियों के लोग पृथक निर्वाचन की मांग करने लगेंगे। सारी बातों को देखते हुए मेरा मत यह है कि एक-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से लाभ होने की कोई आशा नहीं। इसके अतिरिक्त एक यह भी कठिनाई है कि अनुसूचित जाति के लोगों की भी तो एक जाति नहीं। उन में भी तो सैकड़ों उपजातियां हैं। यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया तो उन में बहुत

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

से भेदभाव हो जायेंगे। और कुछ विशेष वर्ग के लोग इस से लाभ उठायेंगे । "फूट डालो और शासन करो" की नीति चलती दिखाई देने लगेगी। अतः मेरा यह मत है कि यह विधेयक अनुसूचित जाति लोगों के हितों के विरुद्ध है । सब से बड़े दुःख की बात यह होगी कि इस देश के ५$^{1}/_{2}$ करोड़ लोग ऐसे होंगे जो अपने चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से वंचित हो जायेंगे। यह भी बड़ा भारी अन्याय है । इस से नागरिकता के अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

ऐसी परिस्थिति में मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत प्राप्त करने के लिए परिचालित करना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संविधान सुविधा से अधिक सिद्धान्त का अधिक ध्यान रखता है। किसी सिद्धान्त को केवल इस लिए ही नहीं बदला जा सकता कि चुनाव आयोग को कुछ असुविधा हो रही है । हमें इस विषय को दलगत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपितु इस पर राष्ट्रीय दृष्टि-कोण से विचार किया जाना चाहिए । सरकार को इन मामलों में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिस से एकाधिकारवादी ढंग से हमारे संविधान का उल्लंघन हो । इस विधेयक का बहुत ही व्यापक प्रभाव होने वाला है। हमारी लोक सभा तथा हमारे राज्य विधान मंडलों के स्वरूप पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः यह उचित है कि इस पर जनता की राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाये। विधान सभाओं के सदस्यों तथा अन्य जिन राजनीतिज्ञों को इस विधान पर चर्चा करने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है उन्हें भी इस पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाये।

इस दिशा में एक बहुत ही आवश्यक शर्त यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद होगा। इस लिए चाहिए यह था कि जनगणना का कार्य कुछ मास पूर्व आरम्भ कर दिया जाता ताकि इस के परिणाम समय रहते ही प्राप्त हो जाते और आम चुनावों से पूर्व ही निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन किया जा सकता।

मेरा निवेदन है कि विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए और इस पर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का मत प्राप्त करना चाहिए। चाहे इस उद्देश्य के लिए थोड़ा ही समय रखा जाये और बजट सत्र में ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाये। मझे आशा है कि माननीय मंत्री को मेरी इस युक्तियुक्त प्रस्थापना को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (उन्मूलन) विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं उसका स्वागत करता हूं । हमारे मित्र श्री महावीर त्यागी, ने इस सम्बन्ध में जनता की राय जानने के लिए इस विधेयक को घुमाये जाने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं । इस विधेयक के प्रति त्यागी जी का विरोध विशेष रूप से इस कारण है कि एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों में जेनरल मत-दाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। । मैं आप के द्वारा केवल इतना ही कहना चाहता हूं

†मूल अंग्रेजी में

कि जब हम रिज़र्वेशन का सिद्धान्त मानते हैं, तो चाहे द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र हो, जिस में एक जेनरल उम्मीदवार रहेगा और एक हरिजन या रिज़र्व्ड उम्मीदवार रहेगा, और चाहे एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र हो, जिस के अन्तर्गत हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे, इस में कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ा है । निर्वाचन-क्षेत्र द्वि-सदस्यीय हो, या एक-सदस्यीय दोनों में हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाने का सिद्धान्त निहित है । त्यागी जी ने इस सिलसिले में जो दलीलें दी हैं, वे केवल बाल की खाल निकालने के समान हैं और उन के पीछे कोई अर्थ नहीं है । उन्होंने अपने प्रस्ताव में जनता की राय जानने के लिए जो तिथि निश्चित की है, उस का अर्थ यह है कि आने वाले जेनरल इलैक्शन के समय को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उस को यथासमय करना सम्भव नहीं होगा । इस लिए मैं उस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और सदन के सामने जो विधेयक है, उस का स्वागत करता हूं । उस का स्वागत करने के जो कारण हैं, अब मैं उन की ओर संकेत करना चाहता हूं ।

श्री त्यागी कहते हैं कि जब अलग अलग क्षेत्र हो जायेंगे, तो हरिजनों में एका नहीं रहेगा और हरिजनों में जो तमाम प्रकार की जातियां हैं, वे आपस में लड़ेंगी। अगर हम इस दलील को मान, तो इससे यह भी एक साफ़ नतीजा निकलता है कि सवर्णों में भी तमाम तरह की जातियां हैं और वे भी आपस में लड़ेंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आयेगी, बल्कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे । आज स्थिति यह है कि जब चुनाव होता है, तो द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विशेष रूप से यह देखा जाता है कि सवर्ण जाति का उम्मीदवार केवल सवर्ण जाति के लोगों से ही वोट मांगने जाता है और हरिजन उम्मीदवार केवल हरिजनों के पास जाता है इस प्रकार एक तरह का बंटवारा कर लिया जाता है। उम्मीदवारों में इस प्रकार की धारणा बन जाती है कि सवर्ण जाति के उम्मीदवार यह समझते हैं कि हरिजन उम्मीदवार हमारे बूते पर आ गया है, हमने उस पर कृपा की है, इसने न तो कोई काम किया है और न कोई प्रचार, यह तो हमारी शक्ति से आ गया है। इस कारण वे अपने एक साथी को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं और उस को अपने ही समकक्ष कभी नहीं समझते हैं। इस के विपरीत रिजन उम्मीदवार यह समझता है कि सवर्ण जाति का उम्मीदवार हमारे सहारे और हमारे कंधे पर सवार हो कर चला आया है, इस का कुछ नहीं था। इस सब का परिणाम यह होता है कि समाज में मनमुटाव पैदा होता है और दोनों उम्मीदवारों में वैमनस्य और मनमुटाव रहता है। अलग अलग क्षेत्र होने से सवर्ण जाति के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के हलिये अपने हरिजन बन्धुओं के दरवाजे पर भी जाना पड़ेगा। अगर उस को उन लोगों के वोट लेने हैं, तो उस के सामने इस के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। इसी प्रकार हरिजन उम्मीदवार को भी वोट लेने के लिये ऊंची जाति के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उन दोनों में मेल पैदा होगा। उस से कटुता और अलगाव नहीं पैदा होगा। आज हालत यह है कि सवर्ण जाति के उम्मीदवार में हरिजनों के प्रति और हरिजन उम्मीदवार में सवर्ण जातियों के प्रति कटुता पैदा होती है । इस विधेयक से, दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति जो कटुता है, उस का अन्त हो जायेगा और दोनों अपने पैरों पर खड़े हो कर यह अनुभव कर सकेंगे कि कौन किस स्थिति में है। इस से कटुता और एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण दूर होगा और हरिजन और सवर्ण एक होंगे और दोनों में अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता पैदा होगी ।

दूसरा कारण यह है कि आज द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि कम पैसे वाले उम्मीदवारों और खास तौर पर विरोधी दलों के उम्मीदवारों के लिये चुनाव लड़ना बहुत कठिन होता है। सत्तारूढ़ दल के पास तो धन की कमी नहीं है ; क्योंकि जब तक चीनी मिलों के मालिक जिन्दा रहेंगे, तब तब उन के पास धन की कमी नहीं रहेगी। किन्तु

[श्री राम सेवक यादव]

गरीब उम्मीदवारों के लिये बड़े-बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में आना जाना, चुनाव की पूरी तैयारी करना असंभव सा होता है। सत्तारूढ़ दल या अन्य साधन-सम्पन्न पार्टियों की बात छोड़ दीजिये। इस विषय में मेरी निजी जानकारी और अनुभव है कि जहां तक मेरी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, का सवाल है, जगह-जगह पर पोलिंग स्टेशन्ज पर एजेन्ट नहीं पहुंच पाते हैं, कार्यकर्ताओं की कमी और धनाभाव के कारण पूरा प्रचार नहीं हो पाता है। इसीलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं कि इस से निर्धन और साधनहीन व्यक्तियों को भी चुनाव में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा और वे विधान सभाओं और लोक सभा में आ कर अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, जो कि द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों में असम्भव था।

जहां इस विधेयक में अच्छी चीजें हैं, वहां कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन का विरोध करना चाहिये और मैं समझता हूं कि उन के रहते हुए इस विधेयक को सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इस की धारा ३ के अन्तर्गत चुनाव आयोग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये गये हैं लेकिन कब कांस्टीट्यूएन्सीज बनेंगी, कब निर्वाचन क्षेत्र बनेंगे, इस का कोई निश्चय नहीं है। उस के हाथ में पूरे अधिकार होंगे कि चाहे जो करे और चाहे जब करे। मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं। पिछले आम चुनावों में जो सन् १९५७ में हुए थे और मार्च महीने में हुए थे ऐसा भी हुआ कि चुनाव आयोग ने अन्तिम निर्णय २३ फरवरी, १९५७ को इन निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में दिया। जब २३ फरवरी को निर्णय हुआ तो उस के १०–१५ दिन के बाद नामजदगी हुई और इस का नतीजा यह हुआ कि उम्मीदवारों को अपना कार्य चलाने में, अपना काम करने में कोई सुविधा नहीं मिली। कोई मौका नहीं मिला। उस को पता नहीं चलता है कि उस का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है या कौन सा क्षेत्र पड़ने जा रहा है। एज सून एज मे बी प्रेक्टीकेबिल लिख कर इतने जबर्दस्त अधिकार चुनाव आयोग को दे दिये गये हैं कि इस चीज का दुरुपयोग हो सकता है और दुरुपयोग हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो खामियां हैं, इनको दूर किया जाये।

अब मैं क्लाज बी पर आता हूं। उस में लिखा है :—

"कि एक सदस्य—क्षेत्रों में वह क्षेत्र रक्षित कर दिये जायेंगे यहां पर आयोग के विचार में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या काफी अधिक होगी।"

इस में स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है जो इस तरह से है कि इसमें जनसंख्या का रूप वह जनसंख्या होगी जो कि १९५१ को हुई जनगणना के समय में थी इस का मतलब हुआ कि १९५१ में जो जनगणना हुई थी, उस में जहां पर हरिजनों की आबादी अधिक थी वही क्षेत्र हरिजनों के लिये निर्वाचन क्षेत्र पड़ेंगे। तब आवश्यकता हुई यह लिखने की कि "इन दी ओपिनियन आफ दी कमिशन"। कमीशन की राय का क्या मलतब हुआ। अगर आप यह लिखते हैं तो इस का मतलब यह हुआ कि राजकीय पदों पर जो लोग हैं उनको निर्वाचन क्षेत्रों को इधर से उधर करने में ज्यादा सुविधा होगी और जो असर वाले लोग हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं, वे इस का दुरुपयोग कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहियें।

अब मैं क्लाज ६(१)(बी) पर आता हूं। इस में ज्योग्रेफिकल कंडीशन या एडमिनिस्ट्रेटिव कनवीनियेंस का उल्लेख है, इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। पिछले आम चुनाव में मेरे जिले के साथ गोंडा को मिला दिया गया था और बीच में घाघरा नदी पड़ती है। अब आप बतायें कि इस से कितनी मुश्किल हो सकती थी। उससे पहले के इलैक्शन में लखनऊ मिला हुआ था। जिस में कोई इनकनवीनिएंस नहीं थी, नैचुरल बाउंडरी नहीं थी। जब गोंडा मिला दिया गया तो पता नहीं कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी मिली। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवस्था की गई है, इसके जरिये और भी निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह की चीजें की जायेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कनवीनिएंस

के नाम पर या ज्योग्रेफिकल कंडीशंस के नाम पर जो असर रखने वाले लोग हैं उन को जो फायदा पहुंच सकता है पहुंचाने की कोशिश की जायेगी। इस तरीके से अगर कांस्टीट्यूएंसीज का विभाजन किया जाये तो बड़ा अन्याय होगा। ये सब चीजें हैं जिन की ओर आप का ध्यान जाना जरूरी है।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। और अब इस पर विचार हो रहा है और यह पारित भी हो जायेगा। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, ये जो खामियां हैं, इनको दूर करना आवश्यक है ताकि चुनाव आयोग या उस के अन्तर्गत नीचे कार्य करने वाले अधिकारी जो कांस्टीट्यूएंसीज का विभाजन करेंगे, एक कांस्टिट्युएंसी का दो में विभाजन करेंगे, उन को ज्यादा अधिकार न मिल सकें और वे किसी प्रकार का अन्याय न कर सकें, किसी पक्ष को फायदा न पहुंचा सकें और न ही किसी पक्ष को नुकसान पहुंचा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन चीजों की तरफ ध्यान दें और जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें।

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट--रक्षित--अनुसूचित जातियां): मैं रिपब्लिकन दल की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारा निश्चित मत यह है अनुसूचित जातियों के लिये चुनाव में स्थान सुरक्षित रखने की प्रणाली लोकतन्त्र के विकास की दृष्टि से उचित बात नहीं है। यह तो लोकतन्त्र की प्रगति में बड़ी भारी रुकावट है, अतः इस दोष से जितनी शीघ्रता से दूर कर दिया जाय उतना ही अच्छा है। इस से देश में जातिगत उपनिवेशवाद का अभ्युदय हो रहा है। इस का परिणाम यह है कि राजनीतिक दृष्टि से हीन बना देता है। अनुसूचित लोग अब किसी रियायत पर जीवित रहना नहीं चाहते। मेरा मत है कि इस संरक्षण के उपबन्ध को हटा देना चाहिये। इस से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। हम देश में प्रत्येक प्रकार के संरक्षण के विरोधी हैं और चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समानाधिकार के आधार पर आगे बढ़े।

†**श्री जांगड़े** (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमने सन् १९३६ से लेकर सन् १९६० तक द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र के कटु और अच्छे अनुभव किये हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उससे हरिजनों और आदिवासियों को और देश को कितना लाभ पहुंचा है और कितनी हानि पहुंची है। अगर बैलेंस में तोला जाए तो आदिवासियों और हरिजनों को जितना लाभ पहुंचना चाहिए था उतना लाभ नहीं पहुंचा है और जब सन् १९३७ से लेकर आज तक हमने द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र का अनुभव कर लिया है तो कोई कारण नहीं है कि हम इस को सन् १९६१ के बाद भी प्रधानता दें।

हमने देखा है कि संसार में किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव क्षेत्र नहीं है जितना बड़ा कि हिन्दुस्तान में द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां कि १८ लाख या १६ लाख जनसंख्या का एक चुनाव क्षेत्र हो जिससे दो सदस्य चुन कर आते हों। एक हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी जनसंख्या के चुनाव क्षत्र हैं। इतने बड़े चुनाव क्षेत्र को घटाने की ओर ही हमें कदम उठाना चाहिए और शासन जो यह कार्य कर रहा है वह सराहना के योग्य ही है।

हमने देखा है कि चुनावों के पहले और पश्चात् भी हरिजन और आदिवासी हरिजन और आदिवासी मतदाताओं के ही पास आते जाते हैं और जनरल उम्मीदवार जनरल मतदाताओं के ही पास आते जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनरल उम्मीदवार जनरल मतदाताओं की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता है और हरिजन या आदिवासी उम्मीदवार हरिजन और आदिवासी मतदाताओं की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हरिजनों और आदिवासियों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जांगड़े]

में इनफीरियारिटी कमप्लेक्स पैदा हो गया है और दूसरों में सुपीरियारिटी कमप्लेक्स पैदा हो गया है। इस चीज को दूर करने के लिए जो विधेयक सदन के सामने लाया गया है वह हरिजनों और देश के लिए हितकर है।

हमने यह भी देखा है कि अक्सर चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी जहां-जहां हरिजन या आदिवासी उम्मीदवार होता है वह अधिकतर जनरल उम्मीदवार के सहारे रहता है और उसके आश्रित रहता है। इसलिए उसका व्यक्तित्व जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता। इसीलिए हमने देखा है कि इस प्रकार के हरिजन या आदिवासी सदस्यों का दृष्टिकोण विधान मण्डलों में और संसद् में भी हमेशा संकुचित रहता है, उनकी मनोवृत्ति संकुचित रहती है और उनके कार्य का दायरा भी संकुचित होता है और उनके सोचने का जो तरीका है वह ऊंचा नहीं होने पाता। इसीलिए हमको जितना बढ़ना चाहिए था हम नहीं बढ़ पाए और देश भी जितनी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए था उतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा दायरा और हमारी मनोवृत्ति संकुचित हो गयी है। इसलिए हमको जितनी जल्दी हो सके इन द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों को समाप्त करना चाहिए ताकि सन् १९७०-७१ तक यह संकुचितता समाप्त हो जाए। यह जो हरिजनों और आदिवासियों को संरक्षण मिला हुआ है इसको मैं तो चाहता हूं कि जल्द समाप्त कर दिया जाए। इसकी अब जरूरत नहीं है। इस संरक्षण का परिणाम यह होता है कि राजनीतिक दल अपने चुनाव क्षेत्र में डमी लोगों को खड़ा करते हैं और उनका खुद का व्यक्तित्व नहीं बढ़ पाता। आज देश में राजनीतिक दलों को सही उम्मीदवार को ढूंढ़ने में कठिनाई होती है। और आज तक संरक्षण की भावना से अलग होकर किसी राजनीतिक दल ने किसी हरिजन या आदिवासी सीट के लिए खड़े करने की कोशिश नहीं की। अगर हम चाहते हैं कि सन् १९७०-७१ तक हम इस अवस्था को समाप्त कर दें तो हमें आज से ही उसके लिए भूमिका तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और अपनी क्रीड़ा का मैदान तैयार नहीं करेंगे तो सन् १९७१ के बाद हम नहीं कह सकेंगे कि हरिजन और आदिवासी उम्मीदवार जनरल सीट से खड़े होने के योग्य हैं। और राजनीतिक दलों को भी चुनने में कठिनाई होगी कि कौनसउा हरिजन या आदिवासी उम्मीदवार है जिसको जनरल सीट से खड़ा किया जा सके। इसलिए हर राजनीतिक दल को सोचना चाहिए कि अभी से इसके लिए तैयारी की जाए और इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। यह हरिजनों और आदिवासियों के लिए बहुत ही हितकर सिद्ध होगा।

अकसर ऐसा होता है कि एक चुनाव क्षेत्र में हरिजन सदस्य का दृष्टिकोण अलग होता है और जनरल सीट वाले सदस्य का दृष्टिकोण अलग होता है। वे दोनों जिला अधिकारियों के पास अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। लेकिन उनके दृष्टिकोण में आपस में विरोध रहता है इसलिए जिला अधिकारी असमंजस में पड़ जाते हैं कि किस की बात मानें और वे लोगों को ठीक न्याय नहीं दे पाते।

त्यागी जी ने कहा कि इस विधेयक द्वारा हम ८० प्रतिशत लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र में हरिजन और आदिवासी उम्मीदवार केवल हरिजनों और आदिवासी मतदाताओं के पास जाता है और जनरल उम्मीदवार जनरल मतदाताओं के पास जाता है। जब यह चीज नहीं रहेगी तो हर उम्मीदवार सारे मतदाताओं के पास जाएगा और उसका दृष्टिकोण व्यापक बनेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण गलत है कि इस विधेयक द्वारा ८० प्रतिशत लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। आजकल संसद के और विधान मण्डलों के चुनावों के समय यह देखा जाता है कि सभाओं में पहले जनरल सदस्य बोलते हैं और हरिजन सदस्य के लिए कहा जाता है कि वह बाद में बोलेंगे। इसका

नतीजा यह होता है कि उसका प्रभाव नहीं बढ़ता और उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हमको उनकी अभिरुचि को बदलना है, उनके दृष्टिकोण को बदलना है, उनके दिमाग को बदलना है और ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि इन द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्रों को जितनी जल्दी हो सके समाप्त किया जाए। एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र हो जाने के बाद एक हरिजन को चुनाव क्षेत्र के दूसरे ८० प्रतिशत मतदाताओं के पास भी जाना होगा और उनकी समस्याओं से अपने को परिचित करना होगा और इस तरह उसका दृष्टिकोण विस्तृत होगा और उसका प्रभाव बढ़ेगा संसद् और विधान मण्डलों के भीतर और बाहर भी। इसी चीज को ध्यान में रख कर यह विधेयक लाया गया है।

आजकल आप देखेंगे कि चूंकि द्विसदस्यीय चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इस कारण उम्मीदवार को खर्च ज्यादा करना होता है और हरिजन उम्मीदवार इसलिए जनरल उम्मीदवार पर आश्रित हो जाता है, वह सोचता है कि हरड़ लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे और इसलिए स्वयं कुछ काम नहीं करता जिससे उसका प्रभाव संसद् और विधान सभाओं के भीतर और बाहर नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर हमें उसके प्रभाव को बढ़ाना है तो हमको एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र को प्रिफर करना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस देश के संसद् और विधान मण्डलों में जो डिबेट का लेबिल है उसको ऊपर उठायें। वहां पर होने वाले वाद-विवाद के लेबिल को ऊंचा करना है। जाहिर है कि जब देश की पार्लियामेंट और असेम्बलीज के स्टैन्डर्ड को ऊंचा करना है तो ऐसे सर्वमान्य प्रतिनिधियों को उनमें लायें जोकि इस देश का कल्याण कर सकें। संसद् और विधान मण्डलों में ऐसे ऐक्टिव और एनर्जिटिक लेजिलेस्टर्स भेजने हैं जो कि डिबेट का लेबिल और स्टैन्डर्ड ऊंचा कर सकें। हमें इसकी कतई पर्वाह नहीं करनी होगी कि वे किस दल के हैं। हमें देश की हालत पता नहीं कि क्या हो रहा है। आज मुझे बड़े दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐसे प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं जो कि बिना किसी हिचक अथवा किसी प्रकार से अधिकारियों के दबाव में आकर आजादी से अपनी डिमाण्ड नहीं रख पाते हैं। हमें ऐसे लेजिस्लेटर्स भेजने होंगे जो कि बगैर किसी के दबाव में आये जनता के हितार्थ वहां पर अपने कर्तव्य का पालन कर सकें और आवश्यकता इस बात की है कि इसके लिये हमें केवल यह ही नहीं देखना होगा कि अमुक उम्मीदवार हरिजन या आदिवासियों में एकांगी प्रिय है बल्कि हमें तो उनको सर्वप्रिय बनाना है।

सन् १९७१ के बाद से हरिजनों को जो आज विशेष संरक्षण मिल रहा है वह समाप्त हो जायगा और फिर सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों में कोई भेदभाव नहीं रह जायगा और जब इस भावना को लेकर हम आगे चल रहे हैं तब मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं।

पडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर, यह जो बिल हमारे सामने आया है मुझे अफसोस है कि मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता। असलियत तो यह है और जैसा कि इस हाउस को पहले से मालूम है कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन के बहुत बरखिलाफ हूं। शेड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया था उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि यह रिजर्वेशन न तो शेड्यूल्ड कास्ट्स को फायदा देगा और न इससे देश को फायदा होगा। अब जिस शख्स की यह राय हो अगर वह इस बिल को सपोर्ट न करे तो साफ जाहिर है कि जरूर इसमें कोई ऐसी खामी है जिसकी कि वजह से वह इसका स्वागत करने से मजबूर है।

मेरी अदब से गुजारिश है कि इस देश के अन्दर हम क्या चीज चाहते हैं? हम इस देश में डेमोक्रेटिक प्रजातन्त्र का राज्य चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शड्यूल्ड कास्ट्स के भाई अपनी मौजूदा

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

खस्ता हालत से ऊपर उठें और उनकी एकोनामिक और सोशल हालत बेहतर हो। पिछले दस वर्ष से हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम उसमें पूरे कामयाब नहीं हो सके हैं। सैकड़ों वर्षों से उन पर जुल्म होते चले आये हैं और यह हकीकत है कि बावजूद कोशिश के जोकि हमने इन दस वर्षों में की हम अभी तक उन सोशल और एकोनामिक ईविल्स को दूर नहीं कर पाये हैं और हरिजन भाइयों को कास्ट हिन्दूज के बराबर नहीं ला सके हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पोलिटिकल तरीके से उनका इलाज होना मुश्किल है। जब अभी तक हम इनको बराबर नहीं ला सके हैं तब अगले दस साल में क्या हम इनको इस तरीके से ऊपर ले आ पायेंगे ? दरअसल चाहिए तो यह था कि हम उनकी सोशल और एकोनामिक हालत बेहतर बनाने के लिए काफी सहायता देते। उनकी एजुकेशन पर जो खर्च होता था उसको डबल किया जाता और उनको राज्यों के अन्दर खेती बाड़ी आदि करने के लिए जमीन दी जातीं क्योंकि यह ज्यादातर लैंडलैस हैं। जो चीजें करनी चाहिएं थीं वह तो सरकार ने पूरी की नहीं खाली पोलिटिकल इलाज किया जो कि नाकाफी साबित हुआ। सरकार ने हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं में इंटरकास्ट मैरिजेज को प्रोत्साहन नहीं दिया। उनका सोशल स्टेटस बढ़ाने का सरकार ने विशेष रूप से यत्न नहीं किया। पोलिटिकल स्टेटस आपने उनको जरूर दिया है और जिस तरह से हमारे देश में डा० राजेन्द्र प्रसाद को वोट देने का हक है उसी तरह से एक हरिजन भाई को भी वोट देने का हक हासिल है और इस तरह से आप देखेंगे कि उनमें पोलिटिकली कोई छोटा नहीं है। इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो रिजर्वेशन का कायदा है इससे किसी तरीके से भी हम अपने उस मंजिले मकसूद पर न पहुंच पायेंगे जिस पर कि हम पहुंचना चाहते हैं और अगर हमने यह डबल मेम्बर्स कांस्टिटुएंसी को ऐबोलिश कर दिया तो दरअसल डेमोक्रेसी लंगड़ी रह जायगी। स्वराज्य में हर एक आदमी को वोट देने का हक हासिल है और स्वराज्य का मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति खुद मेम्बर बन सकता है और खुद अपने ऊपर राज्य में कर सकता है। पार्लियामेंट अथवा असेम्बलीज़ में वह अपनी पसन्द के आदमियों को चुन कर भेज सकता है और उनके जरिये राज्य कर सकता है। अब इस हक को थोड़े से आदमियों को देकर जैसे कि अभी त्यागी जी ने बतलाया और रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाया सिंगिल मेम्बर कांस्टिटुएंसी होने से और जब कि आम तौर से एक निर्वाचन क्षेत्र में १० परसेंट से ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी नहीं हैं तो उसमें सिर्फ १० परसेंट आदमियों को अपनी च्वाएस के प्रतिनिधि भेजने का मौका होगा और वह भी पूरी पसन्द के आदमी भेजने का मौका नहीं मिल पायेगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह मुफीद समझा जाय कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंत जी असेम्बली में जायं या पार्लियामेंट में जायं और इस वास्ते शेड्यूल्ड कास्ट्स के उम्मीदवार ही खड़े हो सकेंगे और वे भी अपनी पसन्द के आदमियों को वहां पर भेज न सकेंगे। इस तरह से अछूतों का जो यह अपनी पसन्द के आदमियों को लेजिस्लेचर्स वगैरह में भेजने का और उनके जरिये अपना राज्य खुद करने का फंडामेंटल राइट है वह राइट उनसे ले लिया जायेगा और वह अपनी च्वाएस के आदमियों को वहां पर नहीं भेज सकेंगे क्योंकि वह खड़ा नहीं हो सकेगा। अब डिमोक्रेसी के अन्दर हमारी यही मंशा है कि नान शेड्यूल्ड कास्ट्स के साथ-साथ हरिजन लोग भी ऊपर उठें लेकिन मैं नहीं समझता कि यह डबल मेम्बर कांस्टिटुएंसी एबोलिश करके आप इस मंशा को कैसे पूरी कर पायेंगे? मैं नहीं समझ सकता कि कैसे आप उनको गिरी हुई हालत से ऊपर उठायेंगे? मैं तो कहूंगा कि यह उनका फंडामेंटल राइट है कि वह अपनी च्वाएस के आदमियों को वहां पर भेजें और आप ऐसा बिल लाकर उनको इस हक से महरूम कर रहे हैं। राइट आफ स्टैंडिंग और टु बी चूजेन यह हर एक का फंडामेंटल राइट है। जब कांस्टीटुएंट असेम्बली चल रही थी तो मैं ने इस बारे में एक अमेंडमेंट भी दिया था कि यह लिख दिया जाय कि राइट आफ स्टैंडिंग और ट बी चूजेन एक

फंडामेंटल राइट है लेकिन वह अमेंडमेंट पेश नहीं किया जा सका और वह चीज दर्ज न की जा सकी। मैं फिर कहूंगा कि फंडामेंटल राइट के साथ खेलना जायज नहीं है। उन आदमियों का राइट लेना जो कि खड़े हो सकें और अन्दर जाकर देश की सर्विस कर सकें यह एक बड़ी भारी गलती है और पोलिटिकल गलती है और इससे सारे देश को नुकसान पहुंचता है जिसके कि अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट्स भी शामिल हैं।

यह कहा गया है कि बहुत से लोग डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी नहीं चाहते और इसकी बड़ी नुक्ताचीनी हुई है। जहां तक राय का सवाल है मेरी खुद यह राय है कि डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी दरअसल एक ऐसी चीज है जोकि नहीं होनी चाहिए क्योंकि डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में एक पोलिटिकल एनाक्रोनिज्म है। चुनांचे जब कांस्टीटुएंट असेम्बली चलती थी तो मैंने एक अमेंडमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी में जितनी भी कांस्टीटुएंसीज बनें सब सिंगिल मेम्बर बनें लेकिन मेरा वह अमेंडमेंट पास नहीं हो सका और वह नामंजूर हो गया। श्री निजिलप्पा जो कि मेम्बर थे उन्होंने एक अमेंडमेंट दिया था कि इस देश के अन्दर उस वक्त तक यह रिजर्वेशन का राइट रहे जब तक कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग नान-शेड्यूल्ड कास्ट्स के बराबर न हो जायं लेकिन वह भी नामंजूर हो गया। दस वर्ष के वास्ते रिजर्वेशन की जो रियायत थी वह एक फिजूल सी रियायत थी और वह लोगों को धोखे में डालने की बात है और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग समझते रहे कि उनके साथ एक भारी रियायत की गई है कि नान-शेड्यूल्ड काट्स ने हमको दस वर्ष के लिए रिजर्वेशन दे दिया है। हकीकत यह है कि इस रिजर्वेशन से न शेड्यूल्ड कास्ट्स को फायदा पहुंचता है और न देश को फायदा पहुंचता है बल्कि दरअसल यह धोखे की टट्टी है। पिछले दस साल का तजुर्बा हमें बतलाता है कि यह खास कारगर साबित नहीं हुआ। असलियत तो यह है कि देश के अन्दर ऐसी जागृति पैदा हो चुकी है कि सारे ही आदमी चाहे वह नान-शेड्यूल्ड कास्ट्स के हों अथवा शेड्यूल्ड कास्ट्स के बराबर उठें। जितने भी बिल पेश हुए उनको किसी मेम्बर ने जो कास्ट हिन्दूज के नुमायन्दे थे किसी बिल को अपोज नहीं किया और दूसरे मेम्बरों ने किसी बिल को आगे नहीं बढ़ाया। पिछले दस सालों में जो हरिजनों के प्रतिनिधि यहां पर चुन कर आये उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन इस हमारी पार्लियामेंट में नहीं हुआ। इस वास्ते यह तरीका नहीं है जिससे कि हमारे हरिजन भाई ऊपर उठेंगे। उनके थोड़े से आदमियों के असेम्बलीज और पार्लियामेंट का मेम्बर बन जाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। आज के हालात में यह जो डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी है यह वैस्ट डिवाइस है योंकि इसमें उनका यह वोट देने और अपनी पसन्द का आदमी भेजने का राइट बरकरार रहता है जब कि यह सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी करना एक तरह से उन करोड़ों आदमियों के हक के ऊपर छापा है। और इससे नान-हरिजन पोलिटिकल हरिजन बन जाते हैं।

महात्मा जी कहते थे कि आजाद हिन्दुस्तान में भारतवर्ष का प्रेसीडेंट एक अछूत होगा लेकिन आज हम क्या देखते हैं? किसी भी जगह किसी भी स्टेट में हम नहीं पाते कि वहां का चीफ मिनिस्टर अछूत हो अथवा जरूरी पोर्टफोलियो फाइनेंस या ला एंड आर्डर का विभाग अछूत को मिला हो।

पार्लियामेंट में आप देख लें। अब जहां तक श्री जगजीवन राम का सवाल है तो कौन शक्स ऐसा है जो उनको वोट न देगा और हमारी कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें ही सिक्योर्स दी बैस्ट नम्बर आफ वोट्स। । मुमकिन है कि थोड़े दिनों तक ऐसा हो कि कास्ट हिन्दूज इस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को वोट न दें जिस तरीके से कि देते थे और इसी वास्ते यह रिजर्वेशन किया गया था लेकिन कुछ अर्से के बाद जो आदमी काबिल होगा उसको सबके वोट्स मिलेंगे लेकिन अगर आपने सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी किया तो यह चीज परपीचुएट हो जायगी जो कि दरअसल में हमारी मंशा नहीं है। यह रिजर्वेशन दरअसल में सेप्रेट एलेक्टोरेट का बच्चा है और उसका डाइरेक्ट रेजल्ट यह होगा कि अछूत भाई यह कहेंगे कि हमें एक अलहिदा स्टेट दे दो। इसलिए

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

यह जो हमने रिजर्वेशन दिया है यह बड़ी सख्त गल्ती की है और मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि यह हरिजनों को रिजर्वेशन देना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको साइकालोजिकल सैटिसफैक्शन देने के लिए ऐसा किया गया था। आज भी अगर हमारे भाइयों को इससे कुछ साइकालोजिकल सैटिसफ़ैक्शन होता हो, तो सरकार बेशक यह कदम उठाये और मैं इसके बरखिलाफ वोट नहीं दूंगा। लेकिन अगर इसको ऐनेलाइज़ किया जाये, तो हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि रिजर्वेशन और सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ न सिर्फ़ शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बल्कि सारे देश के लिए नुक्सानदेह है। यह असली प्राबलम पर पूरे तौर पर पर्दा डालता है, उस को कवर करता है और इससे लोग धोखे में आ जाते हैं। दरअसल यह धोखे की टट्टी है। इसकी बदौलत लोग समझते हैं कि तरक्की होगी। वाकया यह है कि इससे तरक्की नहीं, नुक्सान होगा।

सिंगिल-मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ में बहुत लोगों के अपने चायस का उम्मीदवार चुनने के हकूक पर छापा मारा जायगा, जिसका नतीजा यह भी होगा कि बैस्ट एलिमेंट्स और बैस्ट इन्टलैक्ट इलैक्शन में खड़े नहीं हो सकेंगे, जो कि सारे देश के लिए एक नुक्सानदेह चीज़ है। आप किसी नुक्ता-ए-नज़र से देखें, आप पायेंगे कि यह देश के लिए हर तरीके से नुक्सानदेह है। या तो यह हुकूमत कह दे कि वह कास्ट्स को रखना चाहती है, तब तो वह बेशक यह कदम उठाये, लेकिन अगर वह कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहती है, तो आज वह कर यह रही है कि पत्तों और शाखों को तो काट कर रही है, और जड़ में खाद और पानी दे रही है। अगर कास्ट की बेसिस पर उम्मीदवार खड़ा होगा, तो वह आर्टिकल १४ के खिलाफ़ है और डिस्क्रिमिनेशन है। इस से कास्ट की बुनियाद पक्की हो जायगी, जिस का नतीजा यह होगा कि नैशनल इन्टैगरेशन होने के बजाये और सख्त डिस-इन्टेगरेशन होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार एक रिवोल्यूशन की बुनियाद डाल रही है। इससे देश को साइकालोजिकली नुक्सान होगा। दस बरस से यह सिस्टम चल रहा है, अब तक रिजर्वेशन था, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सोचा। कांस्टीटुएंट असेम्बली ने सिंगल मेम्बर कांस्टीटुएंसी की मेरी अमेंडमेंट खारिज कर दी थी। आज क्या वजह है कि सिर्फ चन्द आदमियों के कहने से उस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है और कांस्टीटुएंसीज़ को अलग किया जा रहा है? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह ख्याल ग़लत है। मैंने पार्लियामेंट के इलैक्शन लड़े हैं और मुझे इल्म है कि उम्मीदवार अपनी ग़र्ज़ से अछूतों के पास भी जाते हैं और दूसरे लोगों के पास भी जाते हैं। यह ग़लत है कि अछूत अछूतों के पास जाते हैं और ऊंची कास्ट्स वाले दूसरे लोगों के पास जाते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सारी उम्र अछूतों में काम किया है, ऐसा कह कर उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार ऐसी चीज़ें ला रही है, जिन की वजह से आज नहीं, तो कल अछूतों और दूसरे लोगों में इख्तलाफ़ात बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ अछूत मेम्बरों के लिए बड़ी मुसीबत होगी। बहुत से जेनरल क्वेस्चन हमारे सामने आते हैं, जिनके मुताल्लिक उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आइन्दा आपस में कान्फ्लिक्ट शुरू हो जायगा। इस तरह एक ऐसी सिचूएशन पैदा हो जायगी कि अछूतों की एक अलग क्लास बन जायगी।

†**श्री यादव नारायण जाधव** (मालेगांव): 'अछूत' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि 'शब्द' अछूत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे अफसोस है कि मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, जोकि नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि शिड्यूलड कास्ट्स और शिड्यूलड ट्राइब्ज़ क्या चीज़ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यादव नारायण जाधव : शिड्यूल्ड कास्ट्स के मायने अछूत नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शन्ति, शान्ति, कोई मतभेद की बात नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : 'इट इज़ ए कान्गलोमरेशन आफ कास्ट्स'——यह बहुत कास्ट्स का मजमूआ है। कांस्टीट्युएन्ट असेम्बली में श्री निजलिंगप्पा ने कहा था कि शिड्रियूल्ड कास्ट में चमार और महार, ये दो जातियां ही सब कुछ ले जाती हैं और बाकी कम्यूनिटीज़ को शिकायत रहती है कि हम को कुछ नहीं मिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वह झगड़ा इस वक्त छोड़ दें ।

पंडित कुठार दास भार्गव : मैं अर्ज़ कर रहा था कि दरअसल जो रिज़र्वेशन दिया गया है, वह सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स को नहीं मिलता है । उन को कोई फायदा नहीं होता है । कास्ट्स को हटाने के बजाये हम उस को बढ़वा दे रहे हैं । जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक कोई इम्परूवमेंट नहीं होगी । बल्कि इस का नतीजा यह होगा कि देश में कास्ट कान्शेसनेस बढ़ेगी और उस से देश को बड़ा नुक्सान होगा ।

यह सही है कि बड़ी कांस्टीटुएन्सीज़ होने से खर्च और ट्रवल ज्यादा होती है, लेकिन वह भी सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट्स को नहीं होती, सब को होती है, लेकिन उस को दूर करने का कोई तरीका नहीं है । उस को दूर करने का यह तरीका नहीं है कि लोगों के हुकूक को खत्म किया जाये और उन्हें अपने चायस का उम्मीदवार चुनने से रोका जाये । उन के उस हक को कायम रखने के लिये डबल-मेम्बर कांस्टीच्युएन्सी के अलावा कोई दूसरा डिवाइस नहीं है । उस में हर शख्श को अख्तियार है कि वह जिस रिप्रजेन्टेटिव को चाहे, वोट दे । अब रिप्रेजेन्टेटिव या दस परसेंट के होंगे, या सौ परसेंट के होंगे । उन में ही तमीज़ हो जायेगी कि यह सब का रिप्रेज़ेन्टेटिव नहीं है । उस को खुद तक्लीफ़ होगी कि वह किस को रिप्रेज़ेन्ट करता है ।

इस लिये मेरी अदना राय है कि इस बिल में इतनी खराबीयां हैं कि इस को पास न किया जाये । पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब की राय यह थी कि डीलिमिटेशन का काम किसी जुडिशल बाडी से होना चाहिये, वह काम किसी एक शख्स को नहीं मिलना चाहिये । आज डीलिमिट करने के सारे हुकूक एक आदमी को दिये जा रहे हैं । यह जायज़ नहीं है । मैं चाहता हूं कि कम से कम तीन आदमी उस में होने चाहिये——एक हाई कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज और तीसरा इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिये । ये तीनों आदमी सारे आंवजेक्शनज़ सुन कर फ़ैसला करें । यह बिल्कुल जस्टिफ़ाइड नहीं है कि एक आदमी अपने चेम्बर में बैठ कर फ़लां तारीख़ तक जो आवजेक्शन्ज़ आयें, उन का फ़ैसला कर दे ।

सारे देश में जितने भी कानून होते हैं, उन पर अमल क्यों नहीं होता है ? इसलिये कि वे लोगों की कनसेन्ट से नहीं बनते हैं । अब मौका है कि इस बारे में लोगों की कनसेन्ट हासिल की जाये । इस सिलसिले में असेम्बलीज़ के मेम्बरों की राय ली जानी चाहिये । यह बिल वाइडली सर्कुलेट किया जाये और इस के बारे में हर एक आदमी की राय पूछी जाये । इस बिल के ज़रिये सरकार जिन पांच करोड़ लोगों को डिसफ्रेंचाइज़ करना चाहती है, उन की राय भी वह नहीं जानना चाहती है । जिन आदमियों के हुकूक पर इस का असर होगा, सब से पहले उनकी राय ली जानी चाहिये । मुझे पूरा यकीन है कि सर्कुलेट करने पर सिर्फ़ वही लोग नहीं, बल्कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के भाई भी इस को पसन्द नहीं करेंगे, क्योंकि यह उन के अपने और साथ ही देश के इन्ट्रेस्ट के खिलाफ़ है । जो बिल इस तरह देश के इन्ट्रेस्ट्स के खिलाफ़ है, उस के मुताल्लिक

†मूल अंग्रेजी में

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

लोगों की राय लिये बगैर उस को पास कर देना ठीक नहीं है। जहां तक सर्कुलेशन की तारीख का सवाल है, १५ अप्रैल, बहुत नज़दीक है। उस अरसे में पूरी राय नहीं आ सकेगी। अगर सिर्फ़ असेम्बलीज़ और प्राविंशियल गवर्नमेंटस को पूछना है, तब तो अलग बात है, लेकिन मुनासिब यही है कि इस को आम तौर पर सुर्कलेट किया जाये और मुझे पूरा यकीन है कि इस के बरखिलाफ़ ज़बर्दस्त राय आयेगी और इस को छोड़ देना पड़ेगा।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बल पुज़) : सामान्यतः हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। संविधान में दिये गये संरक्षण को जब हम दस वर्ष और बढ़ा रहे हैं तो अब इस बात पर और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु द्विसदस्यीय प्रणाली को समाप्त करने से पूर्व हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की राय ले लेनी चाहिये।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुए]

क्योंकि मैं श्री त्यागी की इस बात से सहमत हूं कि इसका विरोध है, परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि श्री जगजीवन राम जो कि इस देश के प्रमुख नेता हैं और अनुसूचित जाति लोगों के प्रतिनिधि हैं, इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। मेरा मत यह है कि इस प्रश्न का निर्णय इस आधार पर किया जाना चाहिये कि यह कानून अनुसूचित जातियों के हित में है अथवा नहीं। यदि यह उनके हित में न हो तो मनमाने ढंग से यह कानून बनाने का कुछ भी औचित्य नहीं है। परिसीमन-कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपना बड़ी गम्भीर बात है। मेरा मत यह है कि इस विधान का काफी व्यापक प्रभाव होने वाला है अतः यह कार्य किसी परिसीमन आयोग को सपुर्द करना अधिक उचित रहेगा। इस दिशा में समय के अभाव वाली युक्ति निराधार है। चुनाव आयोग को पता था कि निश्चित रूप में १९६२ में आम चुनाव हो रहे हैं तो इस मामले में देर क्यों की गई। वैसे यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने अपना कार्य ठीक ढंग से किया है और उस पर कोई आरोप नहीं है।

मैं तो सब से पहले इस बात पर जोर दूंगा कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन ऐसे ढंग से किया जाना चाहिये जिससे अनुसूचित जातियों का हित साधन हो सके। इस प्रयोजन के लिये जन-गणना के आंकड़ों को भी काम में लाना चाहिये। इस महत्वपूर्ण कार्य को अधिकारियों की पसन्द अथवा नापसन्द पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। चुनाव आयोग में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सहायक सदस्य होने चाहिये जो परिसीमन कार्य में उसकी सहायता कर सकते हों। जन प्रतिनिधियों को विचारों की सूनवाई के लिए कम से कम एक अवसर तो दिया ही जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि परिवर्तन आप कर रहे हैं और यह निश्चित है कि परिवर्तन तो होगा ही, परन्तु इसे ऐसे ढंग से नहीं किया जाना चाहिये कि लोक तंत्र के मान्य सिद्धान्तों को ही कुचल दिया जाय। अतः मेरी मांग है कि परिसीमन आयोग का सिद्धान्त स्वीकार किया जाना चाहिये, १९५१ की जन-संख्या को आधार बनाया जाना चाहिये और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाना चाहिये। और इसके बाद हमें इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय करना चाहिये।

†**श्री अ० प्र० जैन** (सहारनपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वयं अनुसूचित जाति लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं। यद्यपि इस का भी

---

†मूल अंग्रेजी में

विरोध हो रहा है परन्तु काफी बड़ी मात्रा में बहुमत इसके पक्ष में है। मेरा मत है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों में नेतृत्व का निर्माण करने में इससे बड़ी सहायता मिलेगी। दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र कायम रखने से यह कार्य सम्भव नहीं हो सकता। यह सिद्धान्त की बात है जिसके आधार पर मैं इस विधेयक का समर्थक हूं चुनाव आयुक्त का भी निश्चित मत है कि दो सदस्यों वाले चुनाव क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से असुविधाजनक होते हैं। यह समझना नितान्त भूल है कि यदि दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों को दो टुकड़ों में बांट दिया गया तो अनुसूचित जातियों के लोग अपनी जाति के प्रतिनिधि न बन पायेंगे। मेरा मत है कि आरक्षित चुनाव क्षेत्रों से चुने जाने वाले अनुसूचित जाति लोगों की प्रतिशत संख्या कहीं अधिक हो जायेगी।

श्री त्यागी का यह कथन था कि जिस चुनाव आयुक्त ने यह प्रतिवेदन बनाया है, वह स्वयं द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के पक्ष में थे, तथापि उनको यह ज्ञात होना चाहिये कि वर्तमान चुनाव आयुक्त इन निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन पक्ष में है। श्री त्यागी ने जनगणना का कार्य तेजी से करने का सुझाव दिया है उनको यह ज्ञात होना चाहिये कि जनगणना का एतिहासिक महत्व होता है, अतः यह कार्य अधिक तेजी से करना संभव नहीं है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि यदि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जायेगा तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार केवल २० प्रतिशत अनुसूचित जाति के और ८० प्रतिशत अन्य जातियों के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे इसका यह फल होगा कि वे सही मानो में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि नहीं रह जायेंगे। मेरे विचार से यह तर्क गलत है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के पश्चात् रक्षित निर्वाचन क्षेत्र में स्वभावतः ही अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या बढ़ जायेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि विभाजन करते समय अन्तरकालीन कठिनाइयां सामने आयेंगी, मेरे विचार से ऐसी किसी कठिनाइयों की संभावना नहीं है।

श्री पुन्नूस ने यह सुझाव दिया है कि एक परिसीमन आयोग बनाया जाय जिसमें न्यायाधीश हों तथापि उन्होंने आगे यह कहा है कि उसमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाये, यदि उनके सुझाव को स्वीकार किया गया तो यह आयोग का रूप अव्यवस्थित हो जायेगा हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यदि यह आयोग इस कार्य को शीघ्रता से नहीं कर सकता है तो अन्य कोई आयोग इसका स्थान नहीं ले सकता है।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम): सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह कहना गलत है कि किसी व्यक्ति विशेष की मर्जी के चलते चाहे किसी समुदाय की मर्जी के चलते इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि अभी श्री पुन्नूस ने कहा मैं समझता था कि कम्युनिस्ट पार्टी कुछ बातों का विशेष अध्ययन करती है लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उससे मालूम होता है कि इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। यह एक मांग बराबर रही है इस चीज की मांग से अज कम उन निर्वाचन क्षेत्रों में थी जहां पर कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे वहां के सभी लोग वैसे सभी तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आम धारणा थी कि निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होना चाहिये और सरकार ने चौथ वर्ष में यदि इस मांग को माना तो इसके लिय भी सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अन्त में ही सही लेकिन उसे स्वीकार तो किया और इस बिल को यहां लाकर हम लोगों को मौका दिया कि इसे जल्दी पास करें ताकि निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होवे और इसके आधार पर एक सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र बनाये जांयें।

[डा० राम सुभग सिंह]

इस बिल के बारे में मैं यह नहीं कहना चाहता कि कहां तक इसका औचित्य है या कहां तक अनौचित्य है क्योंकि सभी चीजों के देखने पर मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित हुआ है और इसलिये उसका मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता ।

अब एक बात केवल शेष है कि जो निर्वाचन क्षेत्र बने वे जो भी सिद्धान्त निश्चित किये जायें उन सिद्धान्तों को पूरे तरीके से कार्यान्वित करके बनायें जायें ।

श्री अजित प्रसाद जैन ने कहा है और जैसाँ कि इस बिल के क्लाज़ ३ में लिखा है : जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों के बांटने का सम्बन्ध है यह देखना चाहिये कि किसी जिले की यदि दो तहसीलें या सबडिवीजन मिला कर एक डबल मेम्बर कांस्टीच्युएंसी है तो ऐसा करना चाहिये कि एक तहसील ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक क्षेत्र हो और दूसरा दूसरा क्षेत्र हो । यदि तीन सबडिवीजन मिला कर एक सेप्रेट कांस्टीटुएंसी है तो बड़ी को मान लेना चाहिये कि कांस्टीटुएंसी और दोनों जो छोटी हैं उनको मिला कर एक करना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि तोनों सबडिवीजनों को काट कर बनाये क्योंकि जो पोलिटिकल पार्टीज की एसोसियेशन से जिस वक्त कांस्टीटुएंसीज़ बनाई गई थीं उस वक्त मैं जानता हूं कि कितना प्रेशर डाल कर और किस तरीके से कुछ लोगों ने निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण कराया था और यह सही नहीं है कि पोलिटिकल पार्टीज के रिप्रजेंटेटिव्स् अगर एसोशिएट मेम्बरर्स बना लिये जायें तो वे पूरे तरीके से न्याय करेंगे । यदि पुन्नूस साहब चाहें तो मैं उदाहरण दे सकता हूं कि कहां पर न्याय हुआ और कहां पर न्याय नहीं हुआ है। यह भी है कि बी० डी० ओज०, एस० डी० ओज० डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सेक्रेटरीज और एलेक्शन आफिसर्स औफ दी स्टेट पर दबाव डाल कर किस तरीके से सचमुच कांस्टीटुएंसीज बनाई गई हैं। कुछ जगहों में अपने ढंग की बनाई गई हैं। निर्वाचन क्षेत्र बनाने के वास्ते चार सिद्धान्त निर्धारित किय हैं जो कि इस प्रकार हैं :— प्रशासन एककों की वर्तमान सीमायें, संचार सुविधायें और जनता की सुविधा अर्थात् वहां के मतदाताओं को सुविधा हो कि वे आसानी से वहां पर पहुंच जायें। सुविधाजनक स्थानों का लिहाज कर के यह निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाये । अगर कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर बना दें ताकि लोगों को आसानी रहे । इसी तरह अगर कहीं मैदानी क्षेत्र है तो वहीं पर उनको इसकी सुविधा दी जाये । इन चारों चीजों का लिहाज कर के यह निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाने चाहिए। अगर इलेक्शन कमिशन जो प्रेशर उस पर पड़ता है उस के दबाव में आकर इन चीजों का लिहाज नहीं करता है तो वह अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टीफाई नहीं करता है । आज मुझे यह कहना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन निर्वाचन क्षेत्रों को नाजायज तौर पर विभाजित करने के लिए एनफलुएंस कराई जा रही हैं और वहां तक पुन्नूस जी का कहना सही है ।

वस्तुतः जिला मजिस्ट्रेटों और सब डिवीजनल अधिकारियों ने बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन की सिफारिश की है, और ये सिफारिशें राज्य सरकार के पास हैं, दुःख की बात यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन विधेयक के उपबन्ध के अनुसार नहीं हो रहा है । मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार ही कार्य किया जाये । मैं आशा करता हूं कि चुनाव आयोग इस संबंध में कोई धांधली नहीं होने देगा।

†**श्री बें० च० मलिक (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)** : यह विधेयक बहुत विलम्ब से रखा गया है । द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के समापन के प्रश्न पर बहुत सी बैठकों में विचार कर लिया गया है । इन बैठकों में सभी राजनैतिक दलों के सदस्य उपस्थित थे । मेरा विचार है कि सभी दलों के अनुसूचित जातियों के सदस्यों ने भी इस विषय में अपनी राय बता दी है अतः अब इस विषय में जनता की राय जानने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जहां सरकार के लिये असुविधाजनक होते हैं वहीं वे उम्मीदवारों के लिये भी कठिनाई पैदा करते हैं। उम्मीदवार को दुगुने बड़े निर्वाचन क्षेत्र का व्यय वहन करना होता है, जो विशेषतः अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये बहुत कठिन होता है । इस के अतिरिक्त द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति का सदस्य अपने प्रति वह नेतृत्व की भावना भी नहीं पैदा कर सकता है जबकि सरकार भी सामान्य सदस्य को अधिक मान्यता देती है । द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का एक परिणाम यह भी होगा कि उन के प्रति जनता में नेतृत्व की भावना पैदा होगी। सरकार भी वहां अनुसूचित जाति के सदस्यों की उपेक्षा नहीं कर सकती है।

यद्यपि श्री त्यागी ने यह कहा है कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में कभी कभी दोनों ही स्थान अनुसूचित जाति के सदस्य को प्राप्त हो जाते हैं तथापि इस में कोई तर्क नहीं है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय आज हम दो सदस्यों के निर्वाचन के समापन के सम्बन्ध में रखे गये बिल पर विचार कर रहे हैं। त्यागी जी ने बड़े ज़ोर से इस का विरोध किया है और बड़े बड़े तर्क उपस्थित किये हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि इस देश में यह लोक सभा ही नहीं है, राज्य भी हैं और उन में विधायक लोग हैं। मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि लोक-सभा के सदस्य, हम लोग, उन्हीं मतदाताओं के द्वारा चुन कर आये हैं, जिन्होंने राज्य विधान सभाओं के लिये सदस्य चुने हैं इस लिये मैं इस तर्क को बिल्कुल उपयुक्त नहीं समझता हूं कि उन की राय जानना आवश्यक है । एक ही मतदाताओं ने हम को और राज्य विधान सभाओं को चुना है । इसलिये मैं इस दलील को उपयुक्त और न्यायसंगत नहीं समझता हूं कि उन की राय जानने के लिये इस विधेयक को प्रचारित किया जाय ।

श्री त्यागी : हम पार्लियामेंट और असेम्बलियों, दोनों की कांस्टीट्युएन्सीज़ को बाइफरकेट कर रहे हैं। इस लिये यह मुनासिब है कि असेम्बली वालों से भी पूछ लिया जाये।

श्री नवल प्रभाकर : मैं इसी का उत्तर दे रहा हूं । जिन मतदाताओं ने इस सदन के सदस्यों को चुना है, उन्होंने ही एम० एल० एज़० को भी चुना है। जो हमारी राय है, जो इस लोक सभा की राय है, वह सारे देश की राय है ।

श्री नरसिंहन् (कृष्णगिरी) : इसी ख्याल से वे भी कानून बनाना शुरू कर दें, तो क्या होगा ?

श्री नवल प्रभाकर : त्यागी जी ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों के दो सदस्य चुने जा सकते हैं। मैं मानता हू कि अनुसूचित जातियों के लोग या हरिजन, या गिरिजन दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में दोनों स्थानों से चुने जा सकते हैं। मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नवल प्रभाकर]

उस निर्वाचन क्षेत्र की सेवा की दृष्टि से यह कहना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि व ां पर दो सदस्य दो विभिन्न दलों के निर्वाचित हो जायें—क्योंकि एक दल के तो अनुसूचित जाति के लोग निर्वाचित नहीं होंगे—तो उस निर्वाचन-क्षेत्र की क्या अवस्था होगी । आप कल्पना कीजिये कि जब एक सदस्य एक ओर खींचेगा और दूसरा दूसरी ओर और उन के बीच में रस्साकशी होगी, तो उस रस्साकशी में जो मतदाता हैं, जो यह सोच कर के मत देते हैं कि वह उनकी भलाई के काम करेगा, उनको लाभ पहुंचायेगा, उनकी क्या दशा होगी । मैं समझता हूं कि ऐसी अवस्था में जो लाभ है वह हानि में परिवर्तित हो जाएगा । और उन की आपसी रस्साकशी के अन्दर जो निर्वाचन क्षेत्र है वह पिस जाएगा । एक राजनैतिक दल का जो सदस्य है वह एक बात कहेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और दूसरे राजनीतिक दल का जो सदस्य होगा वह उसको जा कर दूसरी ही बात कहेगा और इस तरह से दोनों एक दूसरे के मुकाबले में आ जायेंग और तब क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं ।

आज दो सदस्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन का क्षत्र इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि अगर हम चाहे भी तो भी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं मतदाताओं के प्रति उन को निभा नहीं सकते हैं । अभी जैन साहब ने कहा कि उनका जो निर्वाचन क्षत्र है वह ७५ मील लम्बा है और ३० मील चौड़ा है । उस में हजारों गांव हैं और शहर का हिस्सा भी है । इतना विशाल क्षेत्र होने पर यदि हम कहें कि एक दिन में दो दो गांवों में घूम लिया जाए तो भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पांच वर्षों में हम एक बार भी उन के पास नहीं जा सकते हैं । छोटे निर्वाचन क्षेत्र अगर हों तो यह सही है कि लोगों—की अधिक अच्छी तरह से सेवा की जा सकती है । साथ ही साथ यह भी सही है कि एक एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षत्र होने से लोगों की अच्छी सेवा हो सकती है । इस वास्ते ये जो सिंगल मैम्बर कास्टिट्युएंसीज़ हैं, ये परम आवश्यक हैं ।

यहां पर यह भी कहा गया है कि हरिजन ८० प्रतिशत जहां पर दूसरों की आबादी हैं, उन के हक मार लेंगे, । मैं इस से सहमत नहीं हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह हक वाली बात कहां से आ गई है ? हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के रहने वाले हैं, हम सब एक हैं, इसको हम क्यों भूल जाते हैं। फिर हम हरिजन अगर—

श्री त्यागी : मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं । मैंने यह नहीं कहा कि हक मार लेंगे । मैं ने यह कहा कि हर एक आदमी अपने घर से कम से कम खड़ा हो सकता है लेकिन अब ऐसा करने से ८० फीसदी जहां ये लोग हैं, वहां से हरिजन के लिए सीट रिजर्व कर के इनको वंचित कर देने के बराबर होगा ।

श्री नवल प्रभाकर : आपका जो तात्पर्य था उस को मैं समझ गया हूं । अब आपने जो प्रश्न उठाया है उसका भी मैं उत्तर दे दूंगा ।

आज भी देश के अन्दर एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो कि सुरक्षित हैं । उन के सम्बन्ध में अगर कोई कानूनी जारी अड़चन नहीं है तो अब आने वाले एक सदस्यीय निर्वाचन क्षत्रों के सम्बन्ध में क्या हो सकती है .....

श्री त्यागी : उसमें ५१ प्रतिशत शैड्यूल्ड कास्ट हैं।

श्री नवल प्रभाकर : इस पर भी मैं आ जाऊंगा, आप चिन्ता न करें।

आपने कहा है कि ८० प्रतिशत लोग जो हैं वे एक विचार धारा के हैं और २० प्रतिशत जो हैं, वे दूसरी विचारधारा के हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उन २० प्रतिशत में भी जातियां हैं, उप-जातियां हैं और उन सब के विचार अलग-अलग हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ८० प्रतिशत जो लोग हैं, उन में भी अलग-अलग विचारों के, अलग-अलग दलों के लोग हैं। ऐसी अवस्था में सब कुछ जाति-पांति के हिसाब से ही चलता है। ऐसी हालत में जो एक सदस्य वाले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो रिजर्वड कंस्टिट्युएंसीज़ हैं, उन्हीं पर यह बात क्यों लागू करते हैं। आप खयाल करें कि आज तक सीटें रिजर्व थीं। पहला चरण समाप्त हो गया। उस में एक लम्बी कंस्टिट्युएंसी थी और आप ने एक-एक हरिजन को या गिरिजन को, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब को जनरल सीट के साथ लगा दिया और वह एक लम्बी चौड़ी कंस्टिट्युएंसी में घूमा। आम लोगों की धारणा है मेरी नहीं है, कि हरिजनों की अपेक्षा जो जनरल सीट से आते हैं, अधिक सेवा करते हैं, अपने कार्य में अधिक तत्पर रहते हैं और वे ज्यादा अपने को सुपीरियर समझते हैं। मेरी धारणा यह है कि जो रिजर्व कंस्टिट्युएंसी से चुन कर आते हैं वे लोगों की ज्यादा सेवा करते हैं और जो लोग जनरल सीट से चुन कर आते हैं वे अपने को नेता समझते हैं। जो रिजर्व कंस्टिट्युएंसी से चुन कर आता है वह अपने आपको सेवक समझता है और सेवक समझ कर के अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना चाहता है और दूसरे जो हैं वे सिवाय इसके कि यहां भाषण करें, वहां भाषण करें, बाज़ार में भाषण करें, उनका और कोई दूसरा काम नहीं है और वे नेतागिरी के अन्दर फंसे रहते हैं।

श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना) : वे भी तो सेवक हैं।

श्री च० ला० चौधरी (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : ऐसा कह कर आप खाई पैदा कर रहे हैं।

श्री नवल प्रभाकर : मैं वास्तविकता बता रहा हूं, सत्यता बता रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धारणा कि ८० प्रतिशत लोग दुखी होंगे और दूसरे ढंग से निर्वाचन होंगे सही नहीं है। ८० प्रतिशत जो लोग हैं वे उनकी सेवाओं से प्रभावित होंगे तभी तो उनको वोट देंगे और त्यागी जी के मन में जो धारणा है कि हम अपने कुछ चमचे भेज देंगे या अपने पुछल्ले भेज देंगे, वैसी बात नहीं है। वे देखेंगे कि जो रिजर्वड निर्वाचन क्षेत्र हैं, उसमें हमारी कौन अधिक सेवा कर सकता है या किसने अधिक सेवा की है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति दवा लेने के लिए जाएगा तो वह विषपान कर लेगा और समझेगा कि ऐसा करने से उसका रोग खत्म हो जाएगा। हर आदमी चाहता है कि मैं अगर बीमार हूं तो दवा लूं और दवा लेकर मैं अपने को निरोग करूं। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति विषपान करके आत्म-हत्या कर लेगा और न ही कोई ऐसा करना चाहेगा। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में लोग जानते हैं कि कौन उन की सेवा कर सकता है और वे उसी को अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और कामयाब बनायेंगे।

मैं चाहता हूं कि आप जनता पर छोड़ दें कि वह अपने प्रतिनिधियों को चुन ले। हरिजनों की आज जो अवस्था है वह उस जवान हिन्दु कन्या के समान है जिसका विवाह होना है और उस के लिए दहेज में देने के लिए चूंकि धन नहीं है, इस वास्ते उसका विवाह नहीं होता

[श्री नबल प्रभाकर]

है। आज यह कहा जाता है कि हरिजनों के लिए दस साल तक स्थान सुरक्षित रखे गए और इस अवधि को दस बरस के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब ये रिजर्वड कंस्टिट्युएंसीज़ मांगते हैं श्रीमान् मेरा बहुत ही नम्र शब्दों में यह निवेदन है कि हम दस बरस तक डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ में चुन कर आए हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि दस बरस तक डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ के साथ लगे रह कर क्या अब हम अकेले भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हम लोगों की सेवा स्वयं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनको तुष्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनका सन्तोष हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें हम अगले दस बरसों में देखना चाहते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि उन लोगों की भांति जो कि जनरल कंस्टिट्युएंसीज़ से जीत कर आते हैं, उनके समान लोगों की हम भी सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन के समान हम लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं हम लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं और उन को यह दिखाना चाहते हैं कि हम उन जैसी सेवा कर सकते हैं। हमें दिखाना है कि हम अपने परों पर खड़े हो सकते हैं और इसका पता आने वाले दस बरसों में लग जाएगा। हम उस हिन्दु कन्या के समान हैं जो जवान है और जिस के साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता हैं लेकिन जब वह योग्यता प्राप्त कर लेती है या मान लीजिये आइ० ए० एस० हो जाती है तो बहुत से लोग उसके चाहने वाले हो जाते हैं, उसी तरह से हम योग्य बनना चाहते हैं और वही योग्यता हमें आने वाले दस बरसों में प्राप्त करनी है। (*Interruptions*)

मैं अन्त में त्यागी जी से कहना चाहता हूं कि वह सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ से चुन कर आए हैं और अगर वह डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ से चुन कर आए होते तो उनको पता होता कि कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। अगर वह डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ से चुन कर आते तो वह पीर पराई जान सकते हैं। जिन को बिवाई नहीं फटी होती है, वे दूसरों की पीर नहीं समझ पाते हैं।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : मैं नीति तथा सिद्धान्त के आधार पर इस विधेयक का समर्थन करता हूं, मेरा विचार है कि इससे राष्ट्र में एकीकरण की भावना पैदा होगी। संविधान में केवल रक्षित स्थानों का उपबंध है उसमें रक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का उपबन्ध नहीं है। इस प्रकार यद्यपि यह विधेयक संविधान के उपबंधों के प्रति हस्तक्षेप करता है तथापि इस से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त अगले दस वर्षों के पश्चात् अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को ही सामान्य जनता का भी प्रतिनिधित्व करना होगा, इस दिशा में यह एक आवश्यक कदम है। उस समय जनता देखेगी कि क्या अनुसूचित जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के हित के लिये ही संसद् या विधान सभाओं में कार्य करता है या सभी वर्गों की जनता के लिये चैतन्य है, यदि वह केवल अपने वर्ग के हित के लिये ही प्रयत्नशील है तो ऐसा सदस्य पुनः दोबारा नहीं चुना जा सकता है।

जहां तक इस विधेयक की संवैधानिकता का प्रश्न है इसके उपबन्ध संविधान के प्रतिकूल हैं। मैंने इस संबंध में विधि मंत्री को भी एक याचिका प्रस्तुत की थी। अभी-अभी श्री त्यागी ने भी इस संबंध में यह कहा है कि इससे पांच करोड़ व्यक्ति अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होने से वंचित हो जायेंगे, क्योंकि उन पर प्रतिबंध लग जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान के अनुच्छेद ३३० और ३३२ में यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये लोक-सभा और विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित रहेंगे यह नहीं कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे ।

कल बाहर चले जाने के कारण मैं अपने संशोधन रखने में समर्थ नहीं होऊंगा । तथापि मेरे संशोधनों का प्रयोजन यह है कि यद्यपि यह कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जायेगा तथापि यह नहीं कहा गया है कि उन का निर्वाचन जहां तक संभव हो क्षेत्र, आबादी इत्यादि का विचार करते हुए समानता के आधार पर किया जायेगा । यह कहा गया है, कि रक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निश्चय करने का आधार यह होना चाहिये कि उन स्थानों में अनुसूचित जाति के लोगों का टेक्नीकल बहुमत हो, मेरे विचार से टैक्नीकल बहुमत के स्थान पर वास्तविक बहुमत होना चाहिये ।

†**श्री बा० च० कामले** (कोपरगांव) : मैं इस विधेयक क तीन कारणों से विरोध करता हूं । पहिला यह कि यह विधेयक विभेदात्मक है, दूसरे इसके पक्ष में कांग्रेसी सदस्यों ने जो भी तर्क दिये हैं वे आधारहीन हैं। तीसरे मुझे विश्वास है कि इससे देश या अनुसूचित जाति के सदस्यों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा ।

इसके सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि इस विधेयक का जन्म कांग्रेस की एक गुप्त बैठक में हुआ था । यह भी आश्चर्य की बात है कि यह विधेयक गुजरात राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है । यह बात भी समझ में नहीं आती कि इसके लिये १९६१ की जनगणना के आंकड़ों के स्थान पर १९५१ की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में यह आपत्ति की गयी है कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अत्याधिक बड़े हो जाते हैं, उम्मीदवार के लिये इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ना संभव नहीं होता है । इसमें द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को दोष देना व्यर्थ है इसका वास्तविक कारण यह है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और इस कारण हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार भी बहुत अधिक है । सच्चाई यह है कि हमारे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ही इतने बड़े हैं कि एक सदस्य के लिये अपने सारे निर्वाचन क्षेत्र की जनता तक पांच वर्षों में भी पहुंचना असंभव है । अतः यह दोष द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों पर लादना ठीक नहीं है ।

दूसरे यह भी कहा गया है कि कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य भी अरक्षित स्थानों में चुन लिये गये । आंकड़ों से यह ज्ञात होगा कि ऐसे स्थानों की संख्या बहुत कम है पिछले चुनावों में लोक-सभा के लिये ऐसे सदस्य ५ और इस चुनाव में लोक-सभा के लिए ऐसे नौ सदस्य चुने गये । वस्तुतः यह उचित नहीं होगा कि अनुसूचित जाति के सदस्य अपनी संख्या के अनुपात से लोक-सभा या विधान सभाओं में स्थान मांगें । इस आधार पर उनकी संख्या कुल सदस्यों का पांचवां भाग होती है । अतः वस्तुतः कांग्रेस सरकार को अनुसूचित जाति के सदस्यों का कृतज्ञ होना चाहिये कि वे इस की मांग नहीं कर रहे हैं ।

यह तर्क भी दिया गया है कि इससे अनुसूचित जाति के सदस्य अधिक स्वतंत्र प्रमाणित होंगे, यह तर्क भी निरर्थक प्रतीत होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बा० च० कामले]

अब मैं देश के हितों को लेता हूं। गांधी जी ने इस संबंध में उपवास किया था फलस्वरूप पूना करार हुआ । ऐसा करना पूना करार के एकदम विरुद्ध है, क्योंकि इससे आगे जाकर पृथक मतदाताओं की मांग पैदा होगी। मेरे विचार से द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के और भी भयानक परिणाम हो सकते हैं। संभवतः है इस के फलस्वरूप कांग्रेसी मंत्रालयों की जड़ें हिल जांये और अनुसूचित सदस्यों में चरित्रहीनता आ जायेगी। मैं कांग्रेसी सदस्यों को भी यह बता देना चाहता हूं कि यदि एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें ५० प्रतिशत मत मिले हैं तो द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में उन्हें ८० प्रतिशत मत मिले हैं ।

मुझे यह भी आशंका है कि जहां विरोधी पक्ष प्रबल है उन्हें रक्षित निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जायेगा और जहां कांग्रेस दल का पक्ष मजबूत है उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जायेगा ।

राजनीति का एक सामान्य सिद्धान्त जिससे सभी सदस्य परिचित होंगे यह है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में अल्पमत के सदस्य के भी निर्वाचित होने की सम्भावना रहती है जब कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रोंमें बहुमत वाले सदस्य ही अधिकांश चुने जाते हैं। मैं अम्बेडकर-पंथी अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी यह बता देना चाहता हूं कि पिछले दो चुनावों में वे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में एक भी स्थान न ले पाये जब कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में उन्होंने कुछ स्थान प्राप्त कर लिये ।

वास्तविक समस्या बिल्कुल भिन्न है वह है संसदीय एवं चुनाव सम्बन्धी सुधारों की। हमें इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। हम चाहते हैं संरक्षण समाप्त किया जाये और चुनाव पद्धति पर पुनर्विचार किया जाये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : सभापति जी, मैं मिनिस्टर साहब को धन्यवाद और मुबारकबाद देती हूं कि वह इस हाउस में इस बिल को लाये । अगर आप इस बिल को देखें, तो यह एक छोटा सा बिल है और इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बिल ऐसा है कि हर एक माननीय सदस्य अपने-अपने नुक्ता-ए-नज़र से इसको देखता है और अपने-अपने रंग रूप में डिबेट कर रहा है और अपने तरीके समझ रहा है और उसी के मुताबिक इसके मायने लगा रहा है। यह बिल ऐसा है, जो देखने में सादा है, लेकिन इसने हाउस में कनफ्यूज़न और केऑस पैदा किया हुआ है ।

दरअस्ल सवाल यह है कि आजादी हासिल करने के बाद हम किस-किस रूप में और किस-किस ढंग से यहां के लोगों का कल्याण कर सकते हैं। आज यह प्रश्न उठा है कि हम हरिजनों को अपने आप से अलग करें। मेरे जैसे आदमी के लिये यह बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। मेरे हरिजन भाई गुस्से में जो कुछ कहते हैं, वह हमारी समझ में आता है,लेकिन जब से मैं यहां बैठी हूं, मुझे महात्मा गांधी की याद आ रही है। जब वह पूना में फास्ट कर रहे थे, तो मैं खुद वहां गई थी। उनका कहना था कि हिन्दू एक बॉडी है, एक शरीर है और हरिजन उस शरीर का हिस्सा है और वह हिस्सा बेकार हो गया है, कमजोर हो गया है, उस हिस्से को हमको मजबूत बनाना है। उन्होंने देश को यह शिक्षा दी थी। इसके बाद उन्होंने अपने गले में और देश के गले में हरिजनों को पहनाया, लेकिन इसलिए नहीं कि वह इस तरीके से कुछ पोलीटिकल फायदा हासिल करना चाहते थे, बल्कि सिर्फ़ इसलिए कि हिन्दू बॉडी का जो एक हिस्सा फालेज में मुबतिला है, जो आगे नहीं जा सकता है, उसको मजबूत बनाया

†मूल अंग्रेजी में

जाये। मैं भी हरिजनों को अपने जिस्म का हिस्सा समझती हूं। मैं यह नहीं समझ सकती हूं कि मैं हरिजनों से अलग रहूं। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि मैं डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसी से चुन कर आई और मेरा एक हरिजन भाई मेरे साथ खड़ा हुआ। मुझे हाउस को यह बताते हुए खुशी होती है कि मुझमें और मेरे हरिजन भाई में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों ने इलेक्शन रन किया है और हम जीते हैं। हम एक बार नहीं दो बार जीते हैं। इसके पहले भी अपनी जिन्दगी में मैं इलेक्शन जीत चुकी हूं कई बार और हरिजनों को साथ लेकर ही जीती हूं। हरिजनों के प्रति हमने देश में जो सद्भावना पैदा की वह उस गुरु की शिक्षा का ही फल है जिसको कि हमने अपना गुरु माना है और उस जनरल की ही कोशिशों का नतीजा है जिसको कि हमने फालो किया। उसके कारण ही हमको आजादी मिली। अपने भाइयों को अपने से अलग करना कम से कम मुझ जैसी के लिए बहुत ही तकलीफदेह है।

त्यागी जी ने बहुत सी बातें कहीं। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने भी बहुत कुछ कहा। लेकिन हमें देखना है कि हम लोगों ने क्या-क्या किया है। हुकूमत की बागडोर हमारे हाथों में है और हमने क्या किया है। हमारे जिस्म का यह कमजोर अंग था, और उस कमजोर अंग का हमने क्या इलाज किया है। अगर हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है तो दोषी हम हैं। दोषी होने के बाद भी आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम सिंगिल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ बनाने जा रहे हैं। मुझे दिखाई देता है, मैं नहीं जानती कि दूसरों को भी दिखाई देता है या नहीं, और मुम्किन है न दिखाई देता हो, कि सिंगिल मैंबर कंस्टिट्युएंसीज़ बना कर हम हरिजनों का कोई लाभ या तरक्की नहीं करने जा रहे हैं। समझ लीजिये ऐसा करके जो कुछ भी हमने इनके लिए पिछले दस वर्षों में किया है, इनको बढ़ाया है और अब और दस वर्षों के लिए हमने इनको कुछ संरक्षण दिये हैं, वह सब कुछ एक हाथ से दिया है और दूसरे हाथ से ले लेंगे। इससे इनका कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मैं हाउस से अपील करती हूं कि यह भावना कि हरिजन अलग हैं नहीं फैलनी चाहिये और अगर यह है तो यह दूर होनी चाहिये। हरिजनों का जो यह खयाल है कि वे अलग हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे अलग हैं। मैं नहीं जानती कि कौन हिन्दू आज ऐसा है जो कि हरिजनों को संग नहीं रखना चाहता है। कौन कहता है कि सवर्ण हिन्दू लीडर हैं और तुम सेवक हो। मैं तो यह जानती हूं कि हम सब देश के सेवक हैं, अपने देश के दास हैं। हम हर्गिज़ लीडर होना नहीं चाहते। मुझसे अगर कोई कहता है कि तुम लीडर हो, तो मैं समझती हूं कि मुझे किसी ने गाली दे दी है। लीडर कहना मैं समझती हूं गाली देना है। हम सब देश के सेवक हैं, देश के दास हैं और हमें सेवक और दास ही बने रहना है। जिन हरिजनों को हमने अपने कलेजे से लगाया है वे अगर कहते हैं कि तुम लीडर हो और हम दास हैं तो कम से कम मुझ जैसी औरत इसको बरदाश्त नहीं कर सकती है। हम और तुम जुदा-जुदा नहीं हैं, सभी एक हैं।

हम अपने देश को काफी ऊंचा उठा चुके हैं और काफ़ी आगे बढ चुके हैं। आज कई लोग खुश हैं कि सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ होने जा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे क्यों खुश हैं। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ से १९६२ में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनमें कनफ्यूजन होगा, केऑस होगा।

आज हरिजनों और कास्ट हिन्दूज़ का सवाल पैदा हुआ है। लेकिन हमें देखना है कि क्या कास्ट हिन्दूज़ में ही कास्ट्स कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं और अगर ज्यादा हुई हैं तो हम हरिजनों को क्या कहें। मैं खुद इलेक्शन में जब खड़ी होती हूं तो देखती हूं कि ठाकुर ठाकुर को वोट करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट करता है, कायस्थ कायस्थ को वोट करता है,। ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम खत्म नहीं कर पाये हैं और ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। इस वास्ते हमको हरिजनों से कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका हमें समाप्त करना है।

[श्रीमती उमा नेहरू]

जो बिल आपने पेश किया है, इसको तीन चार बार समझने की कोशिश की है लेकिन मैं समझ नहीं पाई हूं। यह तीन चार सफ़े का बिल है कानून मैं नहीं जानती लेकिन मैं यह जानती हूं कि मारल्ज़ कैसे होने चाहियें, आदमी को क्या करना चाहिये, समाज को क्या-क्या चीज़ चाहिये जिससे कि हम आगे जा सकें। मेरा निवेदन है कि पालिटिक्स का ख्याल आप न करें। मैं माननीय मंत्री जी और हाउस से कहना चाहती हूं कि वे सोचें कि अगर यह गलती हम से हो गई तो इसका जो नतीजा है उसे हमें १९६२ के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। हमें चाहिये था कि हम हरिजनों को यकीन दिलाते कि उनका यह ख्याल गलत है कि महात्मा गांधी ने जो हमें बताया, जो आदर्श हमारे सामने रखा उसे हम भूले नहीं। वह आदर्श आज भी हमारे सामने है और उसको हम अमली रूप देना चाहते हैं, उसी पर हम चलना चाहते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करती हूं कि वह इस बिल को और सुलझा कर हमारे सामने लायें।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदाबाद) : मुझे दुःख है कि यह विधान बिना उस ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि पर विचार किये ही बनाया जा रहा हैं जिसके परिणामस्वरूप संरक्षण और प्राथक्य की भावना का जन्म हुआ। वस्तुतः हमें इस समस्या पर निरपेक्ष भाव से विचार करना चाहिये। क्या शासक दल ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से कोई हरिजन उम्मीदवार खड़ा किया है, वस्तुतः ऐसे दृष्टांत बहुत कम मिलेंगे। मेरा अपना अनुभव १९४६ के पश्चात् यह है कि भारत में जातिगत भावना काफी अंशों में तिरोहित हो गई है, तब क्या पुनः यह विधान पारित करना उचित होगा। वस्तुतः ऐसा करना लोकतंत्रात्मक भावना के प्रतिकूल है, मेरे विचार से यह उस भावना के भी प्रतिकूल है, जिससे *गांधी* जी स्वतंत्रता संग्राम के सारे वर्षों में जूझते रहे। इस विभाजन का यह परिणाम हो सकता है कि अनुसूचित जाति के लोग पृथक मतदान की मांग करने लगेंगे और फलस्वरूप लोकतंत्र को देश में खतरा पैदा हो जायेगा। यदि आप द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप संरक्षण भी समाप्त कर देवें किन्तु क्या हम संरक्षण को समाप्त करने की स्थिति मे हैं, स्थिति यह है कि हममें अभी जातीय भावना इतनी प्रबल है कि हम जाति के आधार पर अपने मतों की गणना करने लगते हैं।

अतः हमें इस पहलू पर इस दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि क्या इससे विभिन्न जातियों में एकता की भावना का प्रसार होगा, क्या इससे लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में मदद मिलेगी, अतः हमें इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये अन्यथा भविष्य यह कहेगा कि गांधी जी के सिद्धान्तों से हमारा विश्वास उठ गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : यह विधेयक समाज और राजनीति दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी इस विधेयक के महत्व का सूचक हैं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में सरकार को एक वर्ष लग गया और अब भी श्री त्यागी तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे ज्येष्ठ सदस्य इस विधेयक पर जनमत जानने की मांग कर रहे हैं। इन सभी बातों से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि इस विधेयक का बहुत व्यापक प्रभाव होगा।

हमें प्रत्येक बात को थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिये। सम्बद्ध विधेयक राजनीतिक और सामाजिक, दोनों ही दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। काफी काल से इस विषय पर विचार हो रहा है। इससे सम्बन्धित सभी प्रश्नों का निर्णय एक दम कर लेना असंगत होगा। मेरा मत तो यह हैं कि इस मामले में केवल जनता को निर्देशित करना ही काफी नहीं होता। हमें यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि इस विधेयक द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जांच भी स्वतंत्र आयोग द्वारा कराई जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित किया जाना केवल हमारे राजनीतिक जीवन की एक कमजोरी को ही व्यक्त करता है। ऐसा करने से किसी भी जाति अथवा वर्ग का भला नहीं हो सकता ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों की स्थापना के पीछे जो विचार काम कर रहा हैं वह गलत नहीं हैं। फिर भी यह तो होना ही चाहिये कि किसी परिणाम पर पहुंचने से पूर्व इस समस्या की पूरी पूरी जांच कर ली जाये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का बहुमत इस प्रकार के कानून के पक्ष में है। आशा करनी चाहिये कि भविष्य में इन जातियों के लोग निर्वाचित होने के पश्चात् केवल अनुसूचित जातियों का ही नहीं प्रत्युत सामान्य जनता का आम तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार के स्वास्थ्यप्रद वातावरण के निर्माण करने का कार्य राजनीतिक दलों का और उन्हें इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये । इस दिशा में कांग्रेस दल भी बधाई का पात्र है, उसके प्रयत्नों से ही यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है।

यह बात कहना गलत ही नहीं, प्रत्युत शासन के साथ अन्याय करना होगा कि इस कानून के पालन करने से चुनाव क्षेत्रों का जो परिसीमन होगा उसमें प्रशासन कार्य में ईमानदारी से काम नहीं हो सकेगा। यह आशा करनी चाहिये कि चुनाव आयोग इस मामले की पूरी छाननबीन करेगा और इस दिशा में कोई अनियमितता नहीं आने पायेगी। कार्य को पूरी ईमानदारी से किया जायेगा।

श्री आसर (रत्नागिरि) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं । इस बिल को एक वर्ष पहले आना चाहिये था लेकिन इस बारे में कांग्रेस पार्टी द्वारा जल्दी निर्णय न लेने के कारण यह बिल इतनी देर से आज हमारे सामने आ रहा है। यह बिल एक महत्वपूर्ण बिल है इसलिए मैंने संशोधन दिया था कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में विचारार्थ भेजा जाय क्योंकि इस में कई ऐसे क्लाजेज हैं जिन पर कि काफी मतभेद होने की गुंजाइश है और इस नाते मैं समझता हू कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाता तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि वहां पर खूब अच्छी तरह से धारा वार इस बिल पर विचार विमर्श हो सकता था।

हमारे कुछ एक माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है। एक बात हमें अवश्य माननी है कि हमारे बहुत से भाइयों ने विशेष रूप से हरिजन भाइयों ने जो यह कहा है कि जो यह उनके लिये रजिर्वेशन रखा गया है वे उसके खिलाफ हैं क्योंकि अब वे चाहते हैं कि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें, यह उन्होंने बहुत ही स्वागत योग्य बात कही है।

हम भी चाहते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़े हों। हमारे कुछ भाइयों ने कहा है कि डबल मैम्बर कांस्टीट्युएंसीज़ में उन लोगों को चुनाव जीतने में बहुत सुविधा होती है, लेकिन मैं इस बात पर बल देता हूं कि सिंगल-मैम्बर कांस्टीट्युएंसीज़ होने पर हम लोगों की परीक्षा होगी कि हम अपने हरिजन भाइयों के लिये कितने प्रयत्न करते हैं और उनको सफल बनाते हैं। मेरे विचार में तो इस विधेयक से हरिजन भाइयों को किसी भी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है। इसमें उनको अपने से अलग करने का भाव नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में व्याप्त अलगपने की भावना—सैपेरेटिज्म की भावना को दूर करने के लिये यह बिल बहुत आवश्यक है और मुझे आशा है कि इस से देश में एकता और एकात्मभाव स्थापित करने में बहुत सहायता मिलेगी।

डा० राम सुभग सिंह ने कहा है कि जब इस बिल को क्रियान्वित करने के लिये बाइफ़रकेशन किया जायेगा, तो इसका लाभ उठा कर अन्य कांस्टीट्युएंसीज़ में भी गड़बड़ होने की आशंका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आसर]

कहा जाता है कि यह काम इलैक्शन कमीशन करता है, लेकिन गत आम चुनाव का अनुभव यह है कि जब कांस्टीट्युऐंसीज़ फार्म की जाती हैं, तो वहां के किसी लीडर, प्रमुख कार्यकर्ता अपने आदमियों, अपनी पार्टी के आदमियों के लिये किसी भाग को जोड़ने या अलग करने में अपने प्रैस्टीज़ का प्रयोग करते हैं। डा० राम सुभग सिंह ने ठीक कहा है कि देश भर में बाइफ़रकेशन का काम इस प्रकार होना चाहिये कि अन्य कांस्टीट्युऐंसीज़ को कोई हाथ न लगाये, उनके और टुकड़े न किये जायें।

श्री कामले और श्री खाडिलकर ने इस बिल का विरोध किया है। मुझे पता नहीं लगा कि उसका कारण क्या है। इस बिल से देश में फैली अलगपने की भावना दूर करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही अपने हरिजन भाइयों के लिये प्रयत्न करने का अवसर भी हम लोगों को प्राप्त होगा। इस दृष्टि से मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, एक काफ़ी लम्बी बहस इस बिल पर चल चुकी है और जैसा कि हमारे मित्रों ने भी कहा है, तरह-तरह की विचार-धारायें इसमें प्रकट की गई हैं। जब से यह विषय हमारे सामने आया है, प्रायः देश भर में हर प्रदेश में जहां कहीं लोग राजनीति से थोड़े भी सम्बन्धित हैं, वे इसपर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुये वे अपनी अपनी राय भी रखते हैं। यहां तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि इस विषय में राय देना बहुत कठिन है, मुश्किल है और इसमें बड़ी दिक्कत पड़ती है, दोनों तरफ़ अच्छी दलीलें हैं, दोनों तरफ खराबियां और अच्छाइयां मिलती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि प्रायः प्रदेशों में, जहां कहीं यह विषय लोगों के सामने उपस्थित हुआ है, लोग बड़ी साफ़ राय रखते हैं। उसमें यह जरूर है कि वे रायें भिन्न-भिन्न हैं। यह भी हो सकता है कि प्रायः लोग परिवर्तन नहीं चाहते, इसलिये जो मौजूदा स्थिति है, उसका प्रायः समर्थन करते हैं। यह भी हो सकता है कि पूरे तौर पर इसके महत्व को न समझने के कारण वे ऐसा करते हों। लेकिन यह तथ्य है कि जो रायें हैं, वे साफ़ हैं।

इस सम्बन्ध में एक बात पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारे माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस विधेयक का जन्म हुआ है कांग्रेस पार्टी में बन्द दरवाज़े के अन्दर और इससे यह जान पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि इस बिल को सामने लाकर कोई ऐसा वातावरण बनाया जाये, जिससे कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कांग्रेस पार्टी इस देश में बलवान हो जाये। किसी पार्टी का उद्देश्य यही हो सकता है, जब बन्द दरवाज़े में कोई विधेयक बने और उसी का प्रयोग सारे देश में हो। लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि कांग्रेस पार्टी यह जो विधेयक लाई है, इस से सब से बड़ा नुक्सान कांग्रेस पार्टी को ही होने वाला है। मैं नहीं जानता कि यह बात कहने के बाद कि यह विधेयक बन्द दरवाज़े के अन्दर किसी ऐसे उद्देश्य से बना है तो फिर यह कहने का क्या अर्थ है कि इससे सब से बड़ा नुक्सान उसी को होने वाला है। क्या वह कांग्रेस पार्टी को और उसके सदस्यों को इतना नासमझ समझते हैं? मैं उनकी बातों को दरअसल समझ नहीं सका। मैं तो समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति यह बात खूबी से समझ सकता है कि यदि इस विधेयक से दूसरी पार्टियों के मुकाबिले में हमारा फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, तो उसके पीछे हमारा कोई बड़ा ऊंचा उद्देश्य है।

अगर हम इस विषय में दी गई तरह-तरह की दलीलों को एक किनारे करते हुए इस विधेयक के मुख्य उद्देश्य को देखने का प्रयत्न करें, तो, जैसा कि माथुर साहब ने कहा है, वह यह है कि हम कोई रिज़र्वेशन नहीं चाहते, हम समझते हैं कि स्थानों को सुरक्षित रखना कभी भी मुनासिब नहीं है, उचित

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है, क्योंकि इससे हमारी कमजोरी का इज़हार होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर हमने रिज़र्वेशन को रखा है, सुरक्षित क्षेत्र रखे हैं, तो उसका उद्देश्य यह है कि हम अपने समाज के एक पिछड़े हुये अंग को विकसित होने का और अवसर देना चाहते हैं। उस अंग का विकास करने के लिए, उसका डेवेलपमेंट करने के लिए, उसमें जो कमी महसूस होती थी, उसको दूर करने के लिए हमने दस बरस का समय रखा। अब हमने यह पाया कि इस दस बरस के अरसे में जिस रास्ते पर हम चलते रहे हैं, उस पर चल कर हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाये हैं। दस बरस के बाद हमने महसूस किया और विशेषकर उस अंग ने—हमारे हरिजन भाइयों ने—महसूस किया कि दरअस्ल उस रास्ते पर चल कर हमको दस बरस के बाद जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए था, वहां हम नहीं पहुच पाये, इसलिए हमको उस रास्ते को बदलना है, हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है, सब कामों को खुद अपनी ज़िम्मेदारी से करना है, तभी हमारा बेहतर विकास हो सकता है। ऐसी हालत में इस राय का कोई महत्व नहीं है कि हरिजन भाई गांवों में क्या समझते होंगे। मैं समझता हूं कि यहां पर उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं और वे इस बात को ज्यादा खूबी से समझते हैं। बहुत से साथियों ने अपनी कांस्टीट्युएंसी के लिहाज़ से, अपने वोट्सके लिहाज़ से, अपने इलेक्शन के लिहाज़ से, बहुत सी बातें कहीं। ये बहुत से लिहाज़ होते हैं दिमाग़ में, इन्सान उनसे बरी नहीं है, यह मैं मानता हूं। लेकिन इस लिहाज़ के होते हुये भी अगर हमारा अंग यह समझता है, हमारे हरिजन भाई यह समझते हैं कि हमारा विकास पुराने रास्ते को बदलने से हो सकता है, यानी सिंगल मेम्बर कांस्टीट्युएंसी से हो सकता है, एक-सदस्यीय क्षेत्र से हो सकता है, तो मेरी समझ में वे सही समझते हैं और अगर इस रास्ते से यह विकास हो सकता है, तो मेरी समझ में यह उचित है और इस लिए जो विधेयक हमारे सामने है, वह एक सही और उचित कदम है। अगर इस तरह से हमारे उस अंग का विकास, जो कि हम दस बरस से करना चाहते थे, बीस बरस में भी हो सके, तो ग़नीमत है। अगर बीस बरसों में भी हम उस अंग का पूरा विकास न कर सके, तो कब तक हम उसके लिए स्थान सुरक्षित रखेंगे—चूंकि हमारा एक अंग कमजोर है, दुर्बल है, उसका विकास नहीं हो रहा है, इसलिए कब तक हम अपने संविधान में इस सम्बन्ध में एक साफ़ विधान नहीं बना सकेंगे? कब तक हम यह कलंक बनाये रखेंगे? मैं समझता हूं कि जितनी बातें कही गई हैं, जो दलीलें दी गई हैं कि इसमें कास्ट फीलिंग ज्यादा होती है, कम होती है, हरिजन फीलिंग आती है या उसमें उदारता नहीं आती है, ये सारी जितनी बातें हैं ये सब एक तरफ हैं लेकिन जो असली सवाल है वह यह है कि हमें अपने अंग का विकास करना है और यही हमारा मुख्य ध्येय भी हैं और इस दिशा में उनका विकास तभी हो सकता है जब कि हम उनको अलग अलग क्षेत्रों में लड़ने का अवसर दें। उस हालत में जैसा कि कहा गया है कि यह महसूस करना कि हम केवल हरिजनों के प्रतिनिधि ह यह भावना भी कम होगी। यही हमारा उद्देश्य है और होना भी चाहिये।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक जैसा कि आपके सामने आया है असल में एक कल्याणकारी विधेयक है और यह सहायता करेगा हमारी, उस उद्देश्य को हल करने में जिस उद्देश्य को लेकर कि हम इस विधेयक को लाये हैं।

त्यागी जी ने कहा कि इसको लोगों की राय जानने के लिए प्रचारित किया जाये। यह भी किया जा सकता है जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है। रायें बहुत भिन्न-भिन्न हैं, तरह-तरह की हैं और बड़ी सैट रायें हैं, बड़ी बंधी हुई रायें हैं, एकतरफा रायें हैं और उनके पीछे जो दलीलें दी जाती हैं उनमें वज़न है। अगर इस तरह की राय जानने की व्यवस्था हो सकती हो तो वे रायें ली जा सकती हैं। अगर ये रायें ली जायें तो आपको और भी सहायता मिल सकती है। अगर ये रायें न ली जा सकती हों तो मौजूदा हालत में जितनी रायें भी आपके सामने हैं, उन्हीं में से ही अगर आपको फैसला लेना है तो जो विधेयक रखा गया है, उसी का मैं समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सके तो राय लेने का आप प्रयास करें और उससे आपको फायदा हो सकता है।

श्री उइके (मंडला—रक्षित—अनसूचित जातियां) : सभापति महोदय, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। इस बिल पर बोलते हुए ऊंच नीच, साम्प्रदायिकता, कुछ लोगों का फायदा यानी खुदगर्ज़ीपन इत्यादि बहुत सी बातें कही गई हैं। गरीब आदमियों को कोई कुछ भी कह सकता है, उसको कहने का हक है और हमारा काम सुनने का है। जहां तक सिंगल मैम्बर कांस्टिट्युएंसियां बनाने का सम्बन्ध है, यह सवाल प्राय: मिनिस्टर्ज़ के सामने हरिजन एडवाइज़री बोर्ड के सामने ट्राइबल एडवाइज़री बोर्ड के सामने और आपकी कांग्रेस पार्टी की जो एक कमेटी मुकर्रर हुई उसके सामने पेश हुआ है और सभी ने सिंगल मैम्बर कांस्टिट्युएंसीज़ के हक में राय दी है।

यह कहा जाता है कि यह चीज़ न देश के लाभ की है, न हरिजनों के लाभ की है और न ही आदिवासियों के लाभ की है। इस तरह का ख्याल मैं समझता हूं गलत खयाल है। आदिवासियों के बारे में तो कोई खास सवाल मैं समझता हूं उठता नहीं है क्योंकि आदिसवासियों की हमारे देश में लोक सभा की १६ सीटें सिंगल मैम्बर और १५ सीटें डबल मैम्बर हैं यानी आधी से अधिक सीटें सिंगल मैम्बर हैं और उनमें कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। असैम्बलियों में १०४ सीटें सिंगल हैं और ११७ सीटें डबल हैं। इन १०४ सीटों में कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। शेष जो आधी बचती हैं उनको अगर सिंगल मैम्बर कांस्टिट्युएंसीज़ कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं कोई खास झगड़ा होने वाला नहीं है।

सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ किस तरह से देश के, हरिजनों के और आदिवासियों के लाभ के लिये हो सकती हैं, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इससे साम्प्रदायिकता का भी नाश हो सकता है। पहले मैं आदिवासी चुनाव क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। शायद यहां पर अधिकतर माननीय सदस्यों को पता नहीं है कि आदिवासी क्षेत्र बहुत बिरले लोगों से बसे हुये हैं यानी बहुत दूर-दूर के स्थानों पर लोग बसे हुए हैं। मेरा चुनाव क्षेत्र पहले १९५२ के चुनाव में डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसी था। उसकी लम्बाई पौने तीन सौ मील और चौड़ाई ढाई सौ मील थी और चार जिलों में वह क्षेत्र फैला हुआ था। पहाड़ों के बीच में लोगों की संख्या पतली होती है। पहाड़ों के बीच में मोटर नहीं चल सकती है, जीप नहीं चल सकती है और न ही आदिवासी उम्मीदवार के पास और कोई साधन होता है उन दूर-दूर के इलाकों में जाने का सिवाय पगडंडियों के। पहाड़ों के बीच में वोटरों के पास किस तरह मुसीबत से पहुंचा जा सकता है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वोटरों की संख्या लगभग आठ लाख होती है। पहले चुनाव में मैं पौने तीन महीने तक अपनी डबल मैम्बर कंस्टिट्टुएंसी में घूमता रहा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खून का पानी बहाना पड़ा होगा मुझे इलैकशन लड़ने के लिये। आप जानते ही है कि आदिवासियों के पास पैसा नहीं होता है। वे जनरल उम्मीदवार के ऊपर या पार्टी के ऊपर ही पैसे के लिये भरोसा करते हैं। अगर वे कोई ताकत खर्च कर सकते हैं तो वह शारीरिक ताकत ही हो सकती है। अब जब चुनाव हो चुकता है तो इतनी बड़ी कंस्टिट्युएंसी में न जनरल कैंडिडेट ही घूमता है, जन-सम्पर्क स्थापित करता है पांच बरस तक और न ही आदिवासी कैंडिडेट की यह हिम्मत होती है कि वह घूम कर जिन्होंने उसे वोट दिया है, उनके साथ सम्पर्क स्थापित करे, उनकी समस्याओं को समझे और समझ करके अधिकारियों के पास हल के लिये जाए या असैम्बलियों में या पार्लियामेंट में पेश करे। ये सब चीजें उसकी शक्ति के बाहर होती हैं। जिसको अपने चुनाव क्षेत्र का कुछ ज्ञान होता है वह तो पार्लियामेंट में या असैम्बलियों में सवाल उठा लेता है लेकिन हर एक के लिये यह सम्भव नहीं है, हर एक पर यह बात लागू नहीं हो सकती है। इसका नतीजा यह होता है कि वह सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, नाममात्र के लिये आदिवासियों का प्रतिनिधि एम० एल० ए० या एम० पी० वह जरूर बन जाता है। वह न आदिवासियों का न

हरिजनों का और न ही सवर्ण लोग जो कहे जाते हैं, उनका सही प्रतिनिधित्व कर सकता है और न ही जनरल उम्मीदवार कर सकता है। प्रजातंत्र में हर एक वोट देने वाले का अगर खयाल रखना है और उसका सही प्रतिनिधित्व आप करवाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि चुनाव क्षेत्र छोटे किये जायें। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

सिंगल मैम्बर कांस्टट्युऐंसीज़ इसलिये आवश्यक हैं कि डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ में चुनाव लड़ने और जनसम्पर्क करने में लोग पैसे से भी लाचार होते हैं और क्षेत्र इतना विशाल होता है कि वे घूम फिर नहीं पाते हैं, घूमने फिरने के साधन नहीं होते हैं और अगर छोटी कांस्टिट्युएंसीज़ हो जाती हैं तो वे लड़ सकते हैं और पांच साल तक वोटरों से अपना सम्पर्क बनाये रख सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो प्रजातंत्र की जो शैली मानी है वह बराबर चलती रह सकती है। और कामयाबी के साथ चलती रह सकती है नहीं तो यह केवल मात्र शो बन कर रह जाएगी। कहने को तो लोग एम० एल० ए० और एम० पी० बन जायेंगे लेकिन कर कुछ भी नहीं पायेंगे। जो हमारा उद्देश्य है वह सिद्ध नहीं होता है फिर चाहे भले ही हम लोग यहां पर अपने लोगों के लिये कुछ बक जायें।

[श्री मूलचन्द दूबे पीठ सीन हुए]

जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है अगर यह समझा जाता है कि चूंकि हम लोग नीच हैं, इस वास्ते हमको यह रिजर्वेशन दिया गया है तो यह हमारे अभिमान को चोट पहुंचायेगा। मैं समझता था कि चूंकि हम लोग गरीब हैं, चुनाव लखपतियों के मुकाबले में लड़ नहीं सकते हैं, उनके बराबर खर्च कर नहीं सकते हैं, इसलिये हमारे लिए सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। फिर भले ही हम योग्य क्यों न हों जीतने के ऐसी हालत में हमारे लिये चुनाव लड़ कर यहां आना या असैम्बलियों में जाना संभव नहीं हो सकता था। आदिवासियों या हरिजनों के पास न धर्म सत्ता है, न अर्थ सत्ता है और न ही समाज सत्ता। गांधी जी की कृपा से स्वराज्य मिला और आज हमें राज सत्ता मिली हुई है। दस साल के लिये हमारे लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये थे और अब इस अवधि को दस साल के लिये और बढ़ा दिया गया है। पिछले दस बरसों में देश को हमारे लिये स्थान सुरक्षित करके कोई हानि नहीं हुई है। अब अगर जनता का सही प्रतिनिधित्व करने के लिये हम चाहते हैं कि सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसींज़ हों तो इस में भी कोई वाद-विवाद की बात नहीं है, कोई विरोध की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे माननीय सदस्यों के बीच में ऊंच नीच की भावना बनी हुई है। आदिवासी और हरिजनों को लोग वैसे ही दबा कर रखना चाहते हैं। यह सब मैं अपनी अल्पबुद्धि से कहता हूं, किसी को दोष नहीं देता हूं। और न ही इसमें कोई बुरा मानने की बात है। मैं समझता हूं कि आदिवासियों को तो लोग चाहते हैं कि वे पहाड़ों में ही रहें और जहां तक अछूतों का सम्बन्ध है, वे चाहते हैं कि ये अछत ही बने रहें। अगर यह बात न होती तो सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ से जो सबका लाभ होने वाला है, उसको मान लिया गया होता। आखिर मैम्बर तो चुन कर आने ही वाले हैं, वोट भी सभी लोग देने ही वाले हैं तो फिर विरोध क्यों किया जाता है। असल में मैं समझता हूं कि जो सवर्ण लोग अपने आप को कहते हैं या जो पैसे वाले हैं उनकी सत्व-परीक्षा होगी। चार पांच लाख की कंस्टिट्युएंसी में अगर कोई हरिजन खड़ा होगा और अगर उसको हरिजन ही वोट देंगे और दूसरे लोग वोट देने के लिये नहीं जाएंगे या पांच सौ या हजार जाएंगे तो उनकी सत्व-परीक्षा हो जाएंगी। हरिजनों को लोग अछूत समझते हैं, उनकी ओर हकारत की नज़र से देखते हैं और ऐसी बात नहीं है तो जब वोट देने का सवाल होगा तो पता चल जाएगा कि कितने सवर्ण हिन्दू उनको वोट देने के लिये जाते हैं। इनके प्रति जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करें।

[श्री उइके]

हम देखते हैं कि आदिवासियों को जो समर्थ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, दिन रात लूटते रहते हैं और यह उनका धंधा हर रोज़ का है। इस कारण से वे जंगलों की ओर भागते चले गए। लोग कहते हैं कि कुछ थोड़े से हरिजनों का और आदिवासियों का फायदा हो गया, वे एम० पी० और एम० एल० ए० बन गए और उनके लिये स्थान सुरक्षित कर दिए गए लेकिन इससे आम हरिजनों और आदिवासियों को लाभ नहीं पहुंच सकता है। मैं कहता हूं कि जब शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट यहां पेश होती है और उस पर वहस होती हैं तो कितने माननीय सदस्य हैं जो उस समय यहां उपस्थित रहते हैं आदिवासी हरिजनों के अलावा और वहस में भाग लेते हैं, इस पर आप ज़रा विचार करें। सिर्फ यहां आदिवासी और हरिजन सदस्य रहते हैं, थोड़े बहुत दूसरे लोग बीच बीच में बोलते हैं और यहां उपस्थित रहते हैं, जो कि अंगुली पर गिनने लायक हैं। तो हरिजन और आदिवासियों को जो दुःख है वह वही लोग बताते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई दुःख नहीं है। अगर सवर्णों को यह दुःख नहीं होता तो वह हमको रिजरवेशन ही क्यों देते क्योंकि उस वक्त आदिवासियों और हरिजनों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह यह रिजरवेशन ले सकते। तो जब आपने इसको दिया है तो और पांच साल चलने दीजिये। इस बीच में आपकी सद्भावना की परीक्षा हो जाएगी और इसके बाद यह सम्भव है कि संरक्षण की कोई बात ही न उठायी जाए। तो वहां चुनाव क्षेत्रों में साम्प्रदायिका फैलेगी या नहीं, आप यहां क्यों साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। अगर इस पार्लियामेंट में साम्प्रदायिकता की बात कही जाएगी तो वह देश और विदेश में फैलेगी। तो इस छोटे से मामले को लेकर इस प्रकार बातें करके तो हम देश को नुकसान कर रहे हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है अगर आप समझते हैं कि इससे साम्प्रदायिकता बढ़ती और देश का नुकसान होता है तो मैं अपनी सीट को तो छोड़ने के लिये तैयार हूं औरों के लिये तो मैं कह नहीं सकता। मैं समझता हूं कि मेरे सीट रखने या न रखने से क्या फर्क पड़ता है। हम तो जो कह रहे हैं वह इसलिये कि कुछ सदस्यों ने हमारे लिए एसी बातें कहीं हैं जो कि हमारे दिल को बुरी लगती हैं। हमको उतना ज्ञान नहीं है, वे चाहे कुछ कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी बातें न कही जाएं। आगे के दस साल में जहां जहां सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी होंगी वहां आपका जो कि गांधी जी को मानने वाले हैं, यह कर्त्तव्य होगा कि आप हरिजनों और आदिवासियों को अधिक से अधिक वोट दें। एसा होगा तो हरिजन और आदिवासी स्वयं कहेंगे कि हमारा रिजरवेशन समाप्त कर दिया जाए।

यह कहते हुये मैं हृदय से इस बिल का समर्थन करता हूं।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। जब मैं ने त्यागी जी का भाषण सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इससे क्या उनका कुछ नुक्सान होता है, जब सिंगिल मैम्बर कांस्टीट्यूएंसी होगी तो कई कई जगह ऐसा होने की सम्भावना है।

अगर यह सही बात है कि हम हरिजनों को अलग नहीं रखना चाहते हैं तो हमें सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी को लाना चाहिये। जब से हमने मुसलमानों का रिजरवशन निकाल दिया है, तब से हम अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि मुसलमानों की बस्ती में से अधिक से अधिक मुसलमानों को लाएं, इसी तरह से जब सिंगिल मेंम्बर कांस्टीट्यूएंसी होजायगी और डबल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी नहीं रहेगी तो उनके साथ हमारा ज्यादा सम्पर्क रहेगा और वे भी हमारे सम्पर्क में ज्यादा आयेंगे। इसलिये मैं तो समझती हूं कि यह बहुत ही जरूरी है कि सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी की जाय। दस साल हमने

डबल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी रखी। जब संविधान बना उस समय यही खयाल था कि इसको दस साल के लिये रखना है और दस साल ही रिजरवेशन देना है। उसके बाद अगर कोई और कानून न लाया जाय तो रिजरवेशन अपने आप खत्म हो जायगा। यह मेरा खयाल है। तो उस समय हमने जनरल सीट में से हरिजनों को रिजरवेशन दिया। अब हम सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी करके हरिजन को जनरल सीट से लाना चाहते हैं तो किसी को डर नहीं रहना चाहिये कि हरिजनों को इस प्रकार नहीं लाया जा सकेगा और उनको कोई मदद नहीं देगा। यह तो हमारा कर्तव्य है, जो हरिजन नहीं हैं, कि हरिजनों के लिये अधिक से अधिक मतदान किया जाये उस क्षेत्र में।

अभी एक भाई ने कहा कि आदिम जाति और हरिजनों के बारे में जब श्रीकान्त जी की रिपोर्ट रखी जाती है तब कितने लोग यहां रहते हैं और कितने लोग उस विषय पर बहस करते हैं। मुझे तो इस बारे में आपसे शिकायत रही है कि हमको इस पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता और हम कहते हैं तो कहा जाता है कि आज हरिजनों और आदिम जातियों को बोलने का दिन है, उनको बोलने देना चाहिये। इसलिये जो उन भाई के मन में खयाल है वह सही नहीं है। हम इसलिये नहीं बोल पाते कि हमको मौका नहीं दिया जाता और बार बार विनती करना हमको अच्छा नहीं लगता कि हमको बोलने का मौका दिया जाये। इसी लिये काफी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता।

इधर एक भाई ने इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला कि एस० डी० ओ० और कलक्टर वगैरह कुछ कर रहे हैं। वे कुछ भी करें लेकिन मुझे डिलिमिटेशन कमेटी का अनुभव है और मैं ने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के आगे कोई बात नहीं चलती। वह पहले विधान देखते हैं, जो बढ़ती होती वह देखते हैं और फिर देखते हैं कि किस सिद्धान्त पर यह काम करना है और अपने आप कांस्टीट्यूएंसी बनाकर डिलिमिटेशन कमेटी के पास लाते हैं और जब हमको उसमें बदलना होता है तो उनको कनविंस करना होता है, उनको दिखाना पड़ता है कि क्यों बदलना चाहिये, क्या गलती है। कहीं कम्युनिकेशन वगैरह के कारण कोई गलती हो तभी वह बदलने को राजी होते हैं। लेकिन अगर मेरी कांस्टीट्यूएंसी सफर करती है, मेरी सीट सेफ हो जाये या किसी और आदमी की सीट सेफ हो जाये, या किसी मिनिस्टर की सीट आसान हो जाये, इस तरह की कोई चीज बनाकर ले जाने से इलेक्शन कमीशन नहीं मानता और यह बहुत अच्छा है।

अभी जब यह सिंगिल कांस्टीट्यूएंसी का मामला चला तो कुछ भाई मेरे पास आए और अपनी कांस्टीट्यूएंसी बनाकर ले आये और बहुत पीछे पड़े। मैं ने कहा कि आप कहो तो कि क्या बात है, पहले मुझे समझाओ फिर मैं उनको समझाऊंगी। मैंने पूछा कि आप किस सिद्धान्त पर यह बात कहते हो, अगर किसी जगह हरिजन को हटाना चाहते हैं तो वैसा करें, लेकिन अगर आप सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी करते हैं तो जो हरिजन नहीं हैं, उनका कर्तव्य है, उनकी जवाबदारी है कि जो ज्यादा हैं हनको हरिजनों को वोट देना चाहिये, हमको जाति पांत और कौम वाद को निकालना होगा। सारी जगह सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी करनी चाहिये और जो अलग अलग रिजरवेशन है उसको भी निकाल देना चाहिये। लेकिन अगर एक दम इस चीज को नहीं कर सकते हैं तो पहला कदम यह उठायें और दस साल तक जब तक नया कानून न बने रिजरवशन रहे।

इसलिय मैं इस कानून को पूरा समर्थन देने के लिये खड़ी हुई हूं।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : श्री उइके का यह कहना गलत है कि जो लोग इस विधेयक का समर्थन नहीं करते उनके हृदय में हरिजनों के लिये सहानुभूति नहीं। अनुसूचित जातियों के प्रति जनता की सहानुभूति के विषय में किसी प्रकार की आशका नहीं की जानी चाहिये। जनता

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

की सहानुभूति उनके साथ है और उनके साथ रहेगी। अतः इस दिशा में इस विधेयक को परीक्षण का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये।

मैं दो तीन कारणों से इस विधान का विरोधी हूं। यह विधेयक प्रगतिशील विधि निर्माण की भावना के प्रतिकूल है। स्थान सुरक्षित करने का भी इतिहास है। साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा करते हुए अंग्रेज सरकार ने इसे आरम्भ किया था। इसे रोकने के लिये ही गांधी जी ने उपवास रखा था और डा० अम्बेदकर से समझौता करना पड़ा था। आश्चर्य की बात यह है कि अब इसे समाप्त करने के स्थान पर इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। संविधान में इसके लिये १० वर्ष की अवधि रखी गयी थी, वह समाप्त हुई तो हमने इस अवधि को १० वर्ष के लिये और बढ़ा दिया। मेरा मत यह है कि अब इसे और आगे नहीं ले जाना चाहिये ऐसा न हो कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक स्थायी रोग बन जाये। जब किसी को रियायत दी जाय तो फिर उसे वापिस लेना कठिन हो जाता है। ऐसा न हो कि एक सदस्यीय चुनाव क्षत्रों का निर्माण कर देने से अनुसूचित जाति के लोग केवल अपनी जाति के हित का ध्यान रखने के ही अभ्यस्त हो जायें और उनके प्रतिनिधि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लग जायें। ससद् के सदस्य बनने पर हमें अपना प्रत्यक कार्य राष्ट्र के सामूहिक हित को दृष्टि में रख कर करना चाहिये। हमें अपने भीतर अखिल भारतीय दृष्टिकोण का विकास करना चाहिये और देश भर में इस भावना को बढ़ाना चाहिये।

एक बात मैंने और कहनी है। हम महात्मा गांधी के अनुयायी होने का दावा करते हैं। महात्मा गांधी ने देश के सभी सम्प्रदायों को एक सूत्र में परोये रखा। यह उनकी सब से बड़ी सफलता थी। हमारी इस संसद् के सभी सदस्यों को यह बात हमेशा अपने समक्ष रखनी चाहिये। इस पवित्र सिद्धान्त का त्याग कर देना बहुत भयंकर भूल होगी। महात्मा जी अपने जीवन में इस बात का जीवन और मृत्यु का प्रश्न बनाया था। हमें ससार को यह नहीं दिखाना चाहिये कि महात्मा गांधी के मरते ही भारत ने उनके पवित्र सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया है। कोई भी दल पदारूढ़ हो महात्मा गांधी हमेशा हमारा आदर्श रहना चाहिये।

अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक को पारित करने से पूर्व हमें सभी सम्बन्धित प्रश्नों पर भली भांति विचार कर लेना चाहिये। इस दिशा में उन लोगों का परामर्श भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो कि इस सदन के सदस्य नहीं है।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : जनाब चयरमैन, मुझ खुशी है कि मैं इस बिल की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मुझे यह भी खुशी है कि हाउस के तमाम सेक्शन्ज की तरफ से इस बिल की ताईद हुई है।

एक दलील, जो बड़ी शिद्दत के साथ दी गई इस बिल के खिलाफ, यह है कि यह इख्तलाफी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और मैं इस बिल की हिमायत इसी लिये करता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है। जब समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, कांस्टीट्यूशन ने उस को एकनालेज किया है और उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिये डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है, क्योंकि समाज में डिस्क्रिमिनेशन आबादी के एक तबके के खिलाफ है, कांस्टीट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन उस तबके के हक में की है और यह उसी की मसलसल कड़ी है।

जहां तक इन दलीलों का ताल्लुक है कि डबल मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सी बहुत बड़ी होती है, जिस की वजह से इन्तजामिया तौर पर तक्लीफ होती है, या यह कि वह किसी भी मेम्बर की नहीं होती है—जब कांस्टीट्युएन्ट्स हल्के के एक मेम्बर के पास जाते हैं, तो तो वह उन्हें दूसरे के पास जाने के लिये कह

देता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता है, वगैरह, वे सब कवर हो चुकी हैं। मैं इस बिल की ताईद इसलिये करता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी एक कानूनी बिल लाते हुए एक बहुत बड़ा समाजी बिल ला रहे हैं। हिन्दुस्तान बहुत लम्बा चौड़ा मुल्क है। मुझे पता नहीं कि मद्रास, बंगाल या बिहार में इस का क्या असर है, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूं कि पंजाब, दिल्ली, यू० पी० के इधर के हिस्से और राजस्थान में जो कानून का यह मंशा है कि पिछड़े हुए लोगों को राज्य में ज्यादा हिस्सा मिले, वह मंशा तेजी के साथ पूरा होने जा रहा है। मैं पंजाब के इलैक्शन्ज और देहात के बारे में कुछ इल्म रखता हूं। मैं कोई पार्टी की स्ट्रैंथ पर यहां नहीं आया हूं। मैं खवे रगड़ कर यहां पार्लियामेंट तक पहुंचा हूं।

एक माननीय सदस्य : आप ने तो अपनी पार्टी को रगड़ दिया है।

श्री प्र० सिं० दौलता : मैं वहां की हकीकत से वाकिफ हूं। कुछ हल्के हरिजनों के लिये रिजर्व करने से कास्ट-सिस्टम पर बड़ी भारी चोट आई है। कास्ट-सिस्टम को बढ़ाने की बात नहीं है। इस बिल के जरिये सत्तर फीसदी कास्ट-हिन्दूज को इस बात के लिये मजबूर किया जायेगा कि तुम को अपनी बिरादरी के आदमियों को वोट न दे कर ऐसे लोगों को वोट देना पड़ेगा, जिन को तुम समाजी तौर पर अपने से घटिया समझते हो। हमारी बुजुर्ग बहन, आरेबल मेम्बर, श्रीमती उमा नेहरू, ने फरमाया कि लोग कास्ट-सिस्टम के बेसिस पर वोट देते हैं। हां, देते हैं। लेकिन यह कानून है, जो पहली दफा सत्तर फीसदी लोगों को मजबूर करेगा कि वे अपनी कास्ट के कैंडीडेट को तलाश नहीं कर सकते, बल्कि उन को वोट देना पड़ेगा अपनी कास्ट के खिलाफ और उन लोगों को, जिन को वे गैर-शऊरी तौर पर और शऊरी तौर पर भी अपने से माड़ा और घटिया समझते हैं। यह कानून उन लोगों को मजबूर करेगा कि अपनी बिरादरी वालों को वोट न दे कर उन लोगों को वोट दो, जिन को तुम समाजी तौर पर छोटा समझते हो। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ा भारी समाज-सुधारक कदम है और मैं उस को हमेशा वैलकम करता हूं।

जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, तमाम पंजाब में ३३ फीसदी आबादी खेती-मजदूरों और हरिजनों की है। जब से यह तजवीज आई है, तब से उन की खुशामद होने लगी है। कुछ हल्के ऐसे होंगे हर हर जिले में, जिन के रिप्रेजन्टटिव हरिजन होंगे। चूंकि हरिजन उन हल्कों को रिप्रेजन्ट करेंगे और अपनी जरूरियात और मुतालिबात के सिलसिले में कास्ट-हिन्दूज और गवर्नमेंट के बीच में लिंक हरिजन होगा, इस लिय हरिजनों की खुशामद के अलावा उन के लिये और कोई चारा नहीं है।

जेनरल सीटों का यह हाल है--पंजाब और राजस्थान के मेम्बर नरवस हैं--कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और यू० पी० के इधर के हिस्से के देहात में छोटी छोटी जमींदारियां हैं और छोटे छोटे जमींदार मालिक किसान हैं। उन में आपस में फैक्शनलिज्म है और हमेशा आपस में बंटवारा होता है। जब वहां दोनों उम्मीदवार कास्ट-हिन्दूज होते हैं, तो कौन जीतता है? उन में से वह जीतता है, जिसकी तरफ हरिजन जायें, जो कि एक इकाई के तौर पर काम करते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि कुछ हल्के ऐसे होंगे, जिन में हरिजन चुने ही जायेंगे और बाकी हल्के ऐसे होंगे, जिन में वे ही उम्मीदवार चुने जायेंगे, जिन की तरफ हरिजन होंगे। चुनांचे पंजाब और राजस्थान में हर उम्मीदवार के सामने यह स्ट्रेटेजी है कि अपने यहां के हरिजनों को कसे राजी करूं और यही कानून का मकसद है, और इस तरफ हम चले हैं।

कुछ हल्के बिल्कुल हरिजन होंगे, जो कि डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन यह बड़ा वैलकम और मुबारक डिस्क्रिमिनेशन है। बाकी हल्कों में कास्ट-हिन्दूज की टक्कर होगी और हरिजन

[श्री प्र० सिं० दौलता]

वहां डामीनेट करेंगे, क्योंकि कास्ट-हिन्दूज फैक्शनलिज्म में फंसे होंगे और इस लिये जिधर हिरजन ले जायेंगे, उधर उन को जाना होगा। इस तरह पंजाब की फिजा पर एक बड़ा खुशगवार असर हो रहा है और तमामा हरिजनों की खुशामद हो रही है, क्योंकि वही उम्मीदवार इलेक्ट होगा, जिस को वे इलेक्ट करेंगे।

हमारे दोस्त, त्यागी जी, और बुजुर्ग दोस्त, भार्गव साहब, चले गये हैं। दोनों मैदान छोड़ कर भाग गये हैं। मैं उन की बात नहीं समझ सका। जो हमारा कानून है, उस के पीछे उसूल क्या होना चाहिये ? यह कि वह जम्हूरियत के करीब हो। और कौन सी जम्हूरियत ? वह जो हमारा कांस्टीट्यूशन मानता है। हमारे कांस्टीट्यूशन की जेनरल जम्हूरियत है सिंगल-मेम्बर हल्के। डबल-मेम्बर हल्के तो एक्सेप्शन थे। और एक्सेप्शन को दलील के तौर पर पेश करना ठीक नहीं है। हमारे दोस्त, श्री कामले ने दलील दी कि अगर प्लूरल कांस्टीट्युन्सीज हों, ज्यादा मेम्बर इकट्ठे हों, तो वहां ज्यादा जम्हूरियत है। अगर यह हो, तो बड़ा वैलकम है, लेकिन यह हमारे कांस्टीट्यूशन में है ही नहीं। फिर यह भी दलील दी गई कि चूंकि आप रिजर्वेशन रख रहे हैं और कांस्टीट्युएन्सीज सिंगल-मेम्बर बना रहे हैं, इस से क्या फायदा है, इस से तो रिजर्वेशन भी उड़ा दीजिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस की कोई गारण्टी नहीं है कि दस साल बाद रिजर्वेशन उड़ी दी जायेगी। अगर दस साल के बाद भी हरिजनों की हालत यही रही, तो इस को जारी रखना होगा। पहले भी दस साल में कोई फर्क नहीं पड़ा और अगर फिर दस साल में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर दस साल के लिए बढ़ा दिया जायेगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन और सिंगल या प्लूरल-मेम्बर कांस्टीट्युएन्सीज बिल्कुल डिफरेंट इस्यूज हैं। इन को खलतमलत कर के कनफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है। हम स्टेज बाई स्टेज जा रहे हैं। पहले हरिजन भाइयों को साथ लगाया। इस बार उन को अकेले लड़ना सिखायेंगे। अगर उन को शऊर आ गया, तो अगली बार रिजर्वेशन भी उड़ा दिया जायेगा। हम तरक्की के रास्ते पर धीरे धीरे जा रहे।

इस कानून के बाद सचमुच मुझे यकीन हो गया कि कांग्रेस पार्टी कुछ कुर्बानी भी कर सकती है। पता नहीं, यह मेरी वजह से हुआ है, या क्या हुआ है। जहां तक मुझे इल्म है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यू० पी० के इधर के हिस्से में जो सिंगल सीट्स होंगी, कांग्रेस उन को लूज करेगी। कांग्रेसी यह जानते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री प्र० सिं० दौलता : पंजाब की तमाम हिरिजन सीटें अकाली पार्टी को जायेंगी, यह मेरी पेशीनगोई है। हिन्दी जोन की तमाम हिरजन सीटें स्वतंत्र पार्टी को जायेंगी। मुझे यू० पी० का पता नहीं है। वे ज्यादा सयाने आदमी हैं।

श्री राम सेवक यादव : माननीय सदस्य से ज्यादा सयाना कोई नहीं, जो करवटें बदलते रहते हैं।

श्री प्र० सिं० दौलता : हमारे दोस्त कहते हैं कि मुझ से ज्यादा सयाना नहीं कि जो करवटें बदलता है। मैं क्या करूं ? अगर कोई मेरी चारपाई ही उल्ट दे, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

यह बिल एक बड़ा भारी सौशल कदम है। महात्मा गांधी की रूह को आज बड़ी तस्कीन हो रही है। यह बिल लाने में रूलिंग पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी है। इस में उस ने अपने मफाद का नहीं, बल्कि मुल्क के मफाद का ध्यान रखा है। इस के लिये मैं आनरेबल मिनिस्टर

साहब, रूलिंग पार्टी और इस हाउस को, जो बड़ी शिद्दत के साथ इस की ताईद कर रहा है, मुबारकबाद पेश करता हूं और आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह विधेयक अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों का सच्चा हितैषी है । इस विधेयक से अस्पृश्यता का अन्त करने में भी सहायता प्राप्त होगी। क्योंकि सभी प्रकार के उम्मीदवारों को सभी जाति और वर्गों के मतदाताओं के पास मत देने का अनुरोध करने जाना होगा । इसके अतिरिक्त यह कहना भी नितान्त भूल है कि यह विधेयक गांधी जी के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का उन्मूलन करने से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमायें कम हो जायेंगी और इस प्रकार विधान सभा के सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अधिक अच्छा सम्बन्ध रख सकेंगे । प्रत्येक व्यक्ति संरक्षण के आधार पर नहीं प्रत्युत योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे ।

†**श्री तंगा मणि** (मदुरै): सामान्यतः हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा तो काफी समय से चल रही है परन्तु इसे काफी देर से प्रस्तुत किया गया है। विधेयक प्रस्तुत करते समय मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इस विलम्ब के कारण क्या हैं । अब भी विधेयक के आधीन नये निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने का काम करने के लिए एक परसीमन आयोग नियुक्त करना कोई विलम्ब की बात नहीं है । हमारे साम्यवादी दल की ओर से इस विधेयक के सम्बन्ध में ठोस सुझाव दिये गये हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों की ओर से इस विधेयक का भारी स्वागत हुआ है। इससे उन्हें काफी लाभ होगा, विधान मंडलों में उनकी संख्या और अधिक हो जायेगी । इससे अनुसूचित जातियों का आज भी जो शोषण होता है वह भी समाप्त हो जायेगा । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि देश में दो बार चुनाव हो चुका है और इस दिशा में चुनाव आयोग का काम बहुत ही शानदार रहा है । अतः यह उचित ही है कि उसे परिसीमन का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाय । इस कार्य को तो आरम्भ भी कर दिया गया है। नये चुनाव क्षेत्रों की सीमायें निर्धारित करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देना उचित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि राज्य सरकारें स्थानीय राजनीतिक प्रभावों का शिकार हो जाती है । इसीलिए हमने यह भी मांग की है कि चुनाव आयोग के हित की ही बात है कि एक नये आयोग की स्थापना कर दी जाये ।

खंड ४ बहुत त्रुटिपूर्ण है । जो व्यवस्था की गयी है उससे यह गलतफहमी हो सकती है कि चुनाव क्षेत्र के परिसीमन के लिए सम्पूर्ण राज्य को एक एकक के रूप में माना जा सकता है। मेरा निवेदन यह भी है कि यदि स्थिति ऐसी ही हो कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति सम्भव न हो सके, तो चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने से पूर्व राजनीतिक दलों के साथ परामर्श कर लेना चाहिए ।

श्री अजित सिंह (भटिंडा रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जनाब स्पीकर साहब, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं, यह इसलिए कि इस बिल के आने बाद शिड्यूल्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह]

कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बरान में एक सेल्फ रेसपेक्ट पैदा हुई है । अब से वह लोग अपने आपको लोगों का सही नुमायन्दा समझने लगे हैं । अब से पहले वे ऐसा ही समझते रहे हैं कि वह अपने जनरल केंडीडेट के बलबूते पर आए हैं और उसी की मेहरबानी का यह सदका है कि वह इस हाउस को देख पाए हैं। न ही उसकी कांस्टीट्यूएंसी में लोगों को उसके साथ इतना लगाव रहा, न ही उसको इतना इंटरेस्ट रहा कि वह लोगों की बातें यहां आके रखे । ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने कहा तो हरिजनों के बाबत ही कुछ कहा । अब से उनमें एक सेंस आफ सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ी है, अब उनमें इंडीवीजुअल कैरेक्टर बढ़ेगा और उनको अपने आपको दुनिया में शो करने का एक मौका आएगा जिससे कि हरिजन लोग अपने आप को दूसरों के मुकाबले का मेम्बर समझने लग जाएंगे।

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, वह कहावत पंजाबी में इस तरह है : बिड़ी सिड़ी सीर रुपया, थोड़ी खा लो रहो कलापा । यानी अलग रह कर अपना काम करते चलो । अगर साथ मिलकर चलते हो तो हमेशा के लिए तकलीफ रहेगी और वह तकलीफ बढ़ती जाएगी । साथ मिल कर काम नहीं चला सकोगे । मान लिया कि दूसरा जनरल केंडीडेट अमीर है । वह कहता है कि अगर मैं जीत गया तो यह शिड्यूल्ड कास्ट वाला भी जीत जाएगा और अगर मैं हार गया तो यह शिड्यूल्ड कास्ट वाला भी हार जाएगा। इसमें एक दूसरे से बंधा रहता था । यह बात गलत थी।

पिछले इलेक्शन का जिक्र है कि एक उम्मीदवार इलेक्शन जीत गया, वह डबल-मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी थी । उस उम्मीदवार के खिलाफ पिटीशन हो गया, जो जनरल केंडीडेट था उसके पास पैसा था । उसने उस पिटीशन में खर्च किया और वकील किए और उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया । मगर वह साथ ही साथ दुनिया में भी यह भी कहता रहा कि देखो भाई यह जो हरिजन केंडीडेट है यह हमारे ऊपर बोझ है । इसको कोई फिक्र नहीं । अगर मैं जीत जाऊंगा तो यह भी जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा तो इसको कोई फिक्र नहीं है । तो अभी तक ऐसी बातें होती रही हैं । अब से आगे ये बातें नहीं होंगी । इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं कि वह यह बिल लायी जिससे हरिजनों में सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा हुई है। यह हरिजनों में एक ताकत पैदा करता है, वह अपने आपको लोगों का सही नुमाइंदा समझेंगे और इस पार्लियामेंट में आ कर लोगों का सही मानी में रिप्रेजेंटेशन करेंगे ।

यह कहा गया है कि यह लेजिस्लेशन हेस्टी है, इसको पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए भेजा जाना चाहिए । कई दोस्तों ने कहा है कि रिजरवेशन बिलकुल खत्म कर देना चाहिए। यह बातें जनाब वाला इस वक्त की नहीं हैं रिजर्वेशन की हैं। महात्मा जी ने इस सैक्शन को अर्थात हरिजन सैक्शन को एक कमजोर सैक्शन कहा है और उसको उठाने के लिए यह रिजर्वेशन किया गया है। रिजर्वेशन का यह मकसद है कि हरिजन लोग ऊंचे उठ जांय । इसका मतलब यह नहीं है कि इसे खत्म करके फिर उनको वहीं पर पहुंचा दिया जाय जहां से कि अभी तक यहां आये हैं। इसलिए यह बात कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाय यह ठीक बात नहीं है और गलत बात है।

एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९५१ में जो मर्दमशुमारी हुई थी तो उसमें जातिपांत का कौलम नहीं था लेकिन हम देखते हैं कि अब की मर्त्तबा

जो मर्दुमशुमारी हो रही है उसमें यह जाति का कौलम रक्खा गया है और यह जतिपांत का डिस्क्रिमनेशन फिर शुरू कर दिया गया है और इसलिए इस बात पर विचार करना बड़ा आवश्यक हो जाता है ।

अब जैसा कि हमारे भाई दौलता जी ने कहा कि इस डिस्क्रिमनेशन से ही कौमों को ऊंचा किया जाएगा । यह बहुत देर से पिछड़े हुए हैं और चूंकि लोहे को लोहा ही काटता है इसलिए इस डिस्क्रिमनेशन से ही हम उस डिस्क्रिमनेशन को खत्म कर देंगे ।

बस और ज्यादा न कहते हुए और इस बिल को सपोर्ट करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं :

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । थोड़े में ही बताना हो तो डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में जो थ्री लैगड रेस चलती है उसको समाप्त करने के लिये यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है । जनरल उम्मीदवार और रिजर्वड उम्मीदवार इन दोनों के एक एक पांव बांध कर और जो यह तीन कदमों की दौड़ चलती है, उससे मुझे बहुत वक्त यह अहसास होता है कि उससे न विशेष फायदा जनरल उम्मीदवार का होता है और न कोई बहुत फायदा रिजर्वड उम्मीदवार को होता है । खास कर यह जो रिजर्वड उम्मीदवार होते हैं उनके लिये तो यह होता है कि यह रिजर्वेशन के काल में उनके पांव हमेशा के लिये जनरल उम्मीदवार के साथ में बंधे जा रहे हैं और जब यह रिजर्वेशन आग पीछे समाप्त होगा तब फिर इनको अपने ही दो पावों पर जब दौड़ने का मौका आजायेगा तब वे शायद उस वक्त यह महसूस करेंगे कि वे अपने दोनों पांवों पर दौड़ने के लिये काबिल नहीं हुए हैं । मेरा तो ऐसा विचार है कि जिन भाइयों ने इस बिल का यहां पर विरोध किया है वे यही चाहते हैं कि इन रिजर्वड लोगों के पांव हमेशा के लिये बंधे रहें ताकि जब आगे दौड़ने का मौका अयेगा तो उसके लिये यह समर्थ नहीं होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी दलीलें इस बिल के विरोध में तथा इस बिल के पक्ष में दी गईं । मैंने बड़े गौर से यहां जो भाषण हुये उनको सुना और जब में उन भाषणों को सुनता था तब मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जवान से इस जातीयता का विरोध करते हैं, कम्युनलिज्म का विरोध करते हैं वे लोग स्वयं अपने भाषणों में कितने अधिक कम्युनल हैं और उसका अच्छा खासा पता लगता है ।

रिजर्वेशन का यहां पर काफी विरोध हुआ है और मैं आपसे कहूंगा कि हरिजन और गिरिजन लोग रिजर्वेशन कदापि नहीं चाहते थे । रिजर्वेशन तो इसलिये दिया गया है कि यह जो रिजर्वड कम्युनिटीज हैं आज वे उतनी ऊपर नहीं उठी हैं जितना कि उनको ऊपर उठना चाहिये था ताकि वे दूसरी जनरल समाज के बराबर आ सकें । वे हरिजन लोग ऊपर आ सकें इसके लिए उन्हें यह रिजर्वेशन दिया गया है परन्तु इसका बिल्कुल उलटा अर्थ लगाया जा रहा है । दस साल के लिये यह रिजर्वेशन दिया गया था परन्तु हम ने यह देखा कि इन दस वर्षों में जितना उनको ऊपर उठना चाहिये था उतना ऊंचा वे अभी तक नहीं उठ सके । हम देखते हैं कि इन लोगों की उन्नति के लिये और विकास के शिये जो राशि रक्खी जाती थी वह राशि भी पूरी तौर से खर्च नहीं होती थी और काफी रकम उसमें से बकाया पड़ी रहती थी । इसी तरह उनके ऊपर उठाने के लिये जो स्कीमें बनती थीं उन स्कीमों को भी पूरी तौर से अमल में नहीं लाया जाता था । मैं यह कहूंगा कि यह जो रिजर्वेशन बढ़ाये जाने का मौका इस हाउस में आ गया है वह इसलिये नहीं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रिजर्वेशन और आगे बढ़ाने के लिये उत्सुक थे परन्तु इसलिये कि दस वर्षों में हरिजनों और हरिजनों की जो हालत है उन को सुधारने का पूरा पूरा प्रयत्न उन लोगों ने नहीं

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

किया जिन लोगों के कि कंधों पर यह भार आगया था कि यह जो हरिजनों की बुरी हालत है उसको दुरुस्त करें और उनको समृद्ध करें और उनको ऊंचा उठायें। इसलिये मैं कहूंगा कि इस प्रकार की जो दलीलें यहां पर दी गई हैं वे कोई बहुत अच्छी दलीलें हैं ऐसा में नहीं समझता। यह बिल तो अब से पहले ही आना चाहिये था। परन्तु इसके आने में काफी विलम्ब हुआ। पिछले बजट शेशन में प्रेसीडेंट एड्रैस में भी इसका उल्लेख आ गया था और हम लोग यह सोचते थे कि यह बिल शायद जल्दी ही इस सदन् में प्रस्तुत हो जायगा परन्तु उसको आने में समय लगा और वह इस कारण कि बहुत लोगों ने इस बारे में विचार विमर्श किया। अनेक लोगों ने विचार किया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस के ऊपर काफी विस्तार से विचार किया और आप जानते हैं कि देश में खूब इस पर विचार हुआ और अनेक अखबारों ने भी इसके बारे में अपनी-अपनी राय लिखीं हैं। मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं कि इस बिल को पबलिक ओपीनियन के लिए सरकुलेट करने की जो मांग की जा रही है उससे और क्या फायदा होने वाला है? सारे देश भर में इस पर काफी विचार हो गया है। सारे देश में यह बात फैल गयी है और तमाम समाचारपत्रों ने इसके बारे में लिखा है और मैं समझता हूं कि इससे अधिक और कोई पबलिक ओपीनियन का निर्माण नहीं हो सकता है और कोई दूसरी नई बातें फिर इसके बारे में हमारे सामने आ सकती हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। एक साल के अर्से में बहुत सारा विचार इस बिल के बारे में हुआ है और इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि इस बिल को पबलिक ओपीनियन के लिए सरकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात यह है कि यह सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी के विरोध में जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ मुसीबत पड़ने वाली है और वह मुसीबत यह होगी और जिसे त्यागी जी के शब्दों में कहना होगा कि जो दूसरे गैर हरिजन लोग ८० प्रतिशतः लोग होंगे उनको अपने प्रतिनिधि इस सदन् में या असेम्बलीज में भेजने का कोई मौका नहीं होगा। यह जो उनकी दलील है उससे हम लोग केवल यही समझ सकते हैं कि वह लोग हरिजनों को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं और वह २० प्रतिशतः लोगों का ही प्रतिनिधि मानते हैं और हमेशा के लिए केवल २० प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधि रखने के लिए तैयार हैं परन्तु यह जो सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी होगी उससे यह लोग केवल २० प्रतिशत : लोगों के ही प्रतिनिधि नहीं होंगे अपितु पूरे निर्वाचन क्षेत्र का वे प्रतिनिधित्व करेंगे और इससे मेरा ऐसा खयाल है कि जब पूरी कांस्टीटुएंसी का प्रतिनिधित्व करने का भार उनपर आ जायगा तो बहुत सी योग्यताएं लानी पड़ेंगी। एक बात और हो जायगी। आज जब डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में हरिजन या गिरिजन खड़े किये जाते हैं तो वहां की बहुत सी स्थानीय राजनीति उसमें काम करती है और ऐसे उम्मीदवार को आगे ले जाती है जो न केवल डमी होते हैं बल्कि डम्ब भी हो जाते हैं। कल जब सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी में लड़ने का मौका आजायेगा तब यह देखना पड़ेगा कि उम्मीदवार ऐसा हो जोकि काबिल हो और जोकि अपने निर्वाचन क्षेत्र को पूरी तौर से नर्स कर सके और जो कांस्टीटुएंसी में चुन कर आने के लिए समर्थ हो। यह सब बातें देखनी पड़ेंगी और फिर बाद में डमी और डम्बस् के लिए कोई स्थान रहेगा नहीं ऐसा मेरा विश्वास है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह जो सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी बनाने का बिल यहां पर लाया गया है यह बहुत उचित चीज है और स्वागत योग्य चीज है और इस बिल का पास होना बहुत आवश्यक बात है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा० सुशीला नायर (झांसी): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल पर बोलने का विचार नहीं किया था, लेकिन एक दो बातें कहने की मझे आवश्यकता अनुभव हुई है। मैं समझती

हूं कि यह कहना, जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे, कि डबल-मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सी में डम्मी और डम्ब हरिजन सदस्य आते हैं, जरा कुछ नामुनासिब और अनुचित लगता है। जब हम हरिजन भाइयों की यहां पर तकरीरें सुनते हैं तो अभी जितने हरिजन भाई यहां पर आए हुए हैं, वे डम्मी या डम्ब हैं, यह कौन कह सकता है? यह तो एक बिल्कुल सैल्फ-कांट्राडिक्टरी चीज है। इतनी अच्छी वे तकरीरें करते हैं, इतने जोरदार शब्दों में वे अपने विचार रखते हैं। उनको डम्मी और डम्ब कहना बेकार है।

कांस्टीट्युएन्सी के अलग करने में कुछ बहुत ज्यादा कांट्रोवर्सी की बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। साथ कांस्टीट्युएन्सी रखने में एक फायदा यह था कि जो दो मेम्बर साथ मिल कर काम करते थे, उनकी एक ही इलैक्शन मशीनरी रहती थी और इसलिए खर्च कम होता था। वह खर्च हरिजन का कम हो, या दूसरे का, यह ज्यादा विचार करने की बात नहीं है। आम तौर पर हरिजनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी। इस लिए उनका खर्च कम होना यह अच्छी बात थी। आज अगर हम इस व्यवस्था को बदलते हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हरिजन हम कल खड़े करेंगे, वे हकीकत में सब प्रकार से योग्य होंगे खड़े होने के। उनको इस आधार पर खड़ा न किया जायेगा कि उनके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है और वे इलैक्शन में ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। यदि यह बात मान्य हो, तो इसका दूसरा अर्थ और आवश्यक कारालोरी यह है कि जो पार्टीज हरिजन उम्मीदवार खड़े करती हैं, उनको उनकी आर्थिक सहायता की तरफ पूरी तवज्जह देनी होगी, वर्ना हमारा जो हेतु है, वह पूरा नहीं होगा।

जहां तक रिजर्वेशन आफ सीट्स का सम्बन्ध है, यह कुछ हमेशा रहने वाली बात नहीं है और मैं समझती हूं कि डबल-मेम्बर कांस्टीट्युएन्सी को हटाना रिजर्वेशन को हटाने की तरफ पहला कदम है। मैं समझती हूं कि यदि एक दम से डबल-मेम्बर कांस्टीट्युएन्सीज को पहिले न हटा कर रिजर्वेशन को ही हटा दिया जाये, तो हरिजनों का यहां आना शायद बहुत कठिन हो जायगा। लेकिन आज आप उनको इस बात का अवसर देते हैं कि वे अपनी हिम्मत से अपनी कांस्टीट्युएन्सी में चुनाव लड़ें। जिन लोगों के मन में कुछ अस्पृश्यता भरी हुई है, वे आज डबल मेम्बर कांस्टीट्युएन्सी होने से हरिजन मेम्बर के पास न जा कर दूसरे मेम्बर के पास अपना सवाल लेकर जा सकते थे। सिंगल-मेम्बर कांस्टीट्युएन्सी होने पर उनको अपने एकमात्र मेम्बर के पास, जो कि हरिजन होगा, जाना ही होगा, उसको अपना प्रतिनिधि मानना ही होगा। इसलिए, अस्पृश्यता को जड़-मूल से दूर करने का जो हमारा प्रण है, अस्पृश्यता निवारण का जो हमारी कांस्टीट्यूशन का ध्येय है, उसकी सिद्धि में सहायता मिल सकती है, ठीक प्रकार से इस नयी व्यवस्था को प्रयोग में लाया जाये। यदि हम अच्छे योग्य हरिजन भाइयों को खड़ा करें, आवश्यकतानुसार उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, तो अगले दस सालों के बाद यह रिजर्वेशन समाप्त हों सकती है और वे लोग अपने बूते पर चुनाव लड़ कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तब जात-पात का विचार किये बिना, हरिजन गैर-हरिजन का विचार किये बिना समाज के सब अंग और वर्ग अपनी योग्यता के अनुसार समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त करेंगे। आज जिनको हरिजन कहा जाता है, कल वे हरिजन नहीं कहलायेंगे और उन को दूसरों के समान अवसर प्राप्त होंगे। आज कोई यह कहे कि अलग अलग जात का रिजर्वेशन होना चाहिए, तो वह एक बेकार बात होगी।

त्यागी जी ने आज सुबह जो एक बात कही थी, उस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अलग कांस्टीट्युएन्सी करते हैं, तो कल इसमें से सैपेरेट

[डा० सुशीला नायर]

इलैक्ट्रेट की बात निकल सकती है। मैं समझती हूं कि सैपेरेट इलैक्ट्रेट को, जिसका विरोध गांधीजी ने अपनी जान की बाजी लगा कर किया था, फिर से लाने की बात हिन्दुस्तान में तो कोई नहीं सोच सकेगा और वह होने वाला नहीं है, जब तक कि गांधीजी के प्रति इस देश के हृदय में सम्मान है और उनका नाम लेने वाले इस देश में मौजूद हैं।

पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए इस बिल को सर्कुलेट करने की दरख्वास्त की गई है। मुझे उसमें कोई खास आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनावों में अब समय बहुत कम रह गया है। १९६२ के शुरू में तो चुनाव आ ही रहे हैं। उससे पहले कांस्टीट्युएन्सीज का डीलिमिटेशन करना, वोटर्ज़ लिस्ट के तैयार करने, इस सब काम के लिए समय चाहिए। इसलिए अभी अपने पास इतना अवकाश, इतना सयय नहीं है कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन एलिसिट करने के लिए भेजा जाये। और आखिर हम, दोनों हाउसिज के सात आठ सौ मेम्बर भी तो पब्लिक के नुमायंदे ही हैं। हम लोग इस पर अच्छी तरह से विचार विनिमय कर के अपना दृष्टि-बिन्दु बता सकते हैं। बेशक मद प्रयोग में कुछ खतरे और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सारी चीजों को इकट्ठा कर के आप देखेंगे, तो आप इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि सिंगल-मेम्बर कांस्टीटयुएन्सी बनाने में अच्छा ही परिणाम निकलने वाला है। अगर हम उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो उसको रिजर्वेशन इत्यादि को समाप्त करने की ओर पहला कदम मान कर हम इस देश में एक ऐसे युग का सूत्रपात करने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें जात-पात नहीं होगी, किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होगा, सब हिन्दुस्तान के सपूत बेटे-बेटियां होंगे, जिनको अपनी योग्यता और सेवा के आधार पर जनता-प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, चाहे उन्होंने किसी घर म, किसी जात में, किसी धर्म में जन्म लिया हो।

जात-पात के वगैर जो समाज हम स्थापित करना चाहते हैं, उसको स्थापित करने के लिए यह एक योग्य कदम है और इसी दृष्टि से मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

†**श्री प्र० च० बरुआ** (शिवसागर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का सामूहिक तौर पर हित होगा। उन्हें अपने पावों पर खड़ा होना आयेगा। परन्तु मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि इस दिशा में एक मद बड़ा व्यापक प्रतीत होता है। ऐसा न हो कि द्विसदस्यीय क्षेत्रों का बटवारा करते हुये कुछ जातियों के हितों की उपेक्षा कर दी जाय। इस दिशा में मेरा सुझाव यह है कि यदि दो चुनाव एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हो तो उनको सब डिवीजनों के आधार पर बांटा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कल अपना भाषण करेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छियत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं गैर सरकारी विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का छियत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

इकसठवां प्रतिवेदन

†**श्री राणे** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का इकसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इस के पश्चात् लोक सभा १७ फरवरी, १९६१/ २८ माघ, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १६ फरवरी, १९६१

२७ माघ, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	१२९—५४
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३	काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र . .	१२९—३२
४४	जहाज बनाने का दूसरा कारखाना . .	१३२—३४
४५	मैडिल कालेजों में आयुर्वेदिक अनुसन्धान पाठ्य-क्रम . .	१३४—३६
४६	नमक के परिवहन के लिये माल-डिब्बे .	१३६—३९
४८	अनाजों का वर्गीकरण .	१३९-४०
४९	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान .	१४०—४३
५०	पंजाब में फालतू गेहूं . .	१४३—४६
५१	इंडियन नैवीगेटर	१४६—४९
५२	रक्षक खाद्य . . .	१४९-५०
५३	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन	१५०-५१
५४	बम्बई पत्तन	१५१-५२
५५	सिन्धु जल करार	१५२-५३
५७	पर्यटन-स्थानों का सर्वेक्षण . . .	१५३-५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . .	१५५—२२१
तारांकित प्रश्न संख्या		
४७	नकली औषध तथा जड़ी बूटियां .	१५५
५६	सामुदायिक विकास कार्य की प्रगति	१५५
५८	चंडीगढ़ रेल लिंक . .	१५५-५६
५९	पौंटा स्टेशन पर डकैती .	१५६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६०	खाद्य की कमी	१५६
६१	हावड़ा-बर्दवान सैक्शन पर बिजली से रेलें चलाया जाना	१५६–५७
६२	नई दिल्ली-टोकियो रेडियो टेलीटाइप लिंक	१५७
६३	भारत में चिकित्सा शिक्षा	१५७
६४	वी० एम० अस्पताल, अगरतला	१५८
६५	रूस से जेट विमान	१५८
६६	हल्दिया में गोदी श्रमिक	१५८
६७	विदेशी नौवहन समवायों द्वारा भारतीय नाविकों को नौकरी	१५९
६८	सुखमृत्यु	१५९
६९	रेलवे चिकित्सक	१५९
७०	वाणिज्यिक विमान चालक	१६०–६१
७१	रिहान्द से बिजली	१६१
७२	डिड्डियां	१६१
७३	दक्षिण पूर्व रेलवे पर दुर्घटना	१६१–६२
७४	जूट उद्योग	१६२
७५	विदेशी पर्यटकों के लिये शराब के परमिट	१६३
७६	डीजल से चलने वाले रेलवे इंजिन	१६३–६४
७७	पार्सल से भेजे गये सामान के बारे में गलत जानकारी देना	१६४
७८	अमेरिका से आयात किया गया माइलो	१६४
७९	खाद्यान्न का नुकसान	१६५
८०	पांडीचेरी मेडिकल कालेज	१६५–६६
८१	जबलपुर में प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र	१६६
८२	दिल्ली का विकास	१६६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५८	डाक तथा तार भवन, चंडीगढ़	१६७
५९	रेलों पर भीड़ के हमले	१६७
६०	उत्तर रेलवे में डाकें	१६७–६८
६१	पंजाब में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो	१६८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६२	मत्स्य उत्पादन . . .	१६८
६३	मुर्गी पालन केन्द्री में महामारी . .	१६८–६९
६४	मुर्गीपालन नस्ल केन्द्र .	१६९–७०
६५	मुर्गी के बच्चों आदि का मूल्य . .	१७०
६६	सूअर पालने के स्थान	१७०–७१
६७	घोंघे का उपभोग	१७१
६८	मसालेदार गोश्त का उत्पादन .	१७१
६९	गाय के गोश्त का उपभोग .	१७२
७०	पपीता .	१७२–७३
७१	अनार का उपादन	१७३
७२	मुर्गी के बच्चों का आयात	१७३–७४
७३	टेपीओका का उत्पादन	१७४
७४	टेपिओका	१७५
७५	सुपारी .	१७५
७६	नारियल . .	१७५–७६
७७	नारियल में लगने वाले रोग	१७६–७७
७८	नारियल का उत्पादन . .	१७७
७९	नारंगियों का उत्पादन	१७८
८०	केलों की पैदावार . .	१७८–७९
८१	आम की पैदावार	१७९
८२	परली-बैजनाथ-विकाराबाद स्टेशन पर रेलवे की आय .	१७९–८०
८३	रेलगाड़ियों में धूम्रपान .	१८०
८४	मनीपुर तथा त्रिपुरा में छोटे सिचाई निर्माण-कार्य	१८०
८५	मध्यप्रदेश में वन-विकास	१८०–८१
८६	महाराष्ट्र में फलों की खेती .	१८१
८७	डाक तथा तार भवन.	१८१–८२
८८	तारघर	१८२
८९	त्रिपुरा के सामुदायिक विकास खण्ड में कर्मचारी . .	१८२
९०	रेलवे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये रक्षण .	१८२–८३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर --क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
९१	स्टेशनों पर बिजली लगाना	१८३
९२	रेलों में भ्रष्टाचार के मामले	१८३-८४
९३	रेलवे क्वार्टर . .	१८४-८५
९४	सम्बलपुर और बालनगीर में डाक तथा तार घरों के लिये इमारतें	१८५-८६
९५	सम्बलपुर और बालनगीर में डाक कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	१८६-८७
९६	परिवार नियोजन .	१८७
९७	आन्ध्र प्रदेश के गावों में पानी संभरण की योजना	१८७-८८
९८	आन्ध्र प्रदेश में पुल	१८८
९९	बिहार में चीनी की मिलें	१८८
१००	खाद्य अपमिश्रण निरोध नियम, १९५५	१८९
१०१	कपास उत्पादन की रूसी पद्धति का अध्ययन	१८९
१०२	कम आय वालों के लिये विश्राम-गृह	१९०
१०३	महेन्द्रूघाट स्टेशन का स्थान परिवर्तन .	१९०
१०४	आहार सम्बन्धी गवेषणा .	१९०-९१
१०५	पंजाब सरकार द्वारा चीनी का वितरण	१९१
१०६	राजस्थान नहर	१९१
१०७	परली–बैजनाथ–लातूर लाइन	१९२
१०८	मूंगफली की खली का आटा .	१९२
१०९	दिल्ली आदि में ठंडे गोदाम (कोल्ड स्टोरेज)	१९२
११०	एकीकृत प्रशिक्षण संस्थायें .	१९३
१११	पुरी में गोविन्द द्वादसी मेला के दौरान में जन स्वास्थ्य के लिये पूर्ण सावधानी . .	१९३
११२	कटक में स्वचलित टेलीफोन लाइन	१९४
११३	आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स	१९४
११४	केन्द्रीय सड़क निधि .	१९५
११५	औषधि इतिहास संस्था .	१९५-९६
११६	केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१९६
११७	मसूलीपटनम-विजयवाड़ा लाइन	१९६
११८	आन्ध्र प्रदेश में नेत्रों का दान	१९७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११९	उत्तर रेलवे के पंजाब जोन में रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१९७
१२०	पंजाब में डाक तथा तार भवन .	१९७
१२१	हिमाचल प्रदेश में सिंचित भूमि .	१९८
१२२	बालीमेला परियोजना	१९८
१२३	उड़ीसा में कृषि सहकारी समितियों को सहायता	१९८—९९
१२४	खाद्यान्न का आवंटन	१९९
१२५	उड़ीसा में क्षय-निरोधक कार्य	२००
१२६	उड़ीसा में पर्यटन	२००—०१
१२७	उड़ीसा में भू-संरक्षण	२०१—०२
१२८	चावल और धान का पश्चिम बंगाल भेजा जाना	२०२
१२९	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण .	२०२—०३
१३०	नेपाल में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	२०३
१३१	रेल दुर्घटना	२०४
१३२	कुष्ठ निरोध दिवस .	२०४—०५
१३३	पोत निर्माण तथा मरम्मत	२०६
१३४	त्रिपुरा में खाद्यान्न के मूल्य	२०६
१३५	रेलवे कर्मचारी की हत्या .	२०६
१३६	चीनी के परिवहन के लिये माल-डिब्बे	२०७
१३७	मिलों में चीनी की प्राप्ति	२०७—०८
१३८	इंजन तथा डिब्बे	२०८
१३९	रेल कर्मचारियों को निःशुल्क पास	२०८—०९
१४०	अगरताला में जलनिस्सारण व्यवस्था	२०९
१४१	एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कर्मचारी	२०९—१०
१४२	खाद्यान्नों का उत्पादन	२१०
१४३	पूर्व रेलवे में यात्रियों की शिकायतें	२१०—११
१४४	पत्रिकाओं की चोरी .	२११
१४५	सिलचर और इम्फाल के बीच रेलवे लाइन	२११
१४६	परिवार-नियोजन	२११—१२
१४७	आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम्यजल संभरण	२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४८	अपैन्डिसाइटीज़	२१२
१५०	टेलीफोन एक्सचेंज, बिजनवाड़ी .	२१३
१५१	एन्ड्रयूज गंज, नई दिल्ली, में चिकित्सा सुविधायें .	२१३
१५२	खरसुआ और वतरणी नदियों पर पुल . .	२१३–१४
१५३	जोधपुर डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	२१४–१५
१५४	टलीफोन के कनेक्शन .	२१५
१५५	खजुरिया-माल्दा लाइन पर रेल-दुर्घटना	२१५
१५६	रेलवे वैगनों के लिये इस्पात	२१५–१६
१५७	भारतीय जहाज .	२१६–१७
१५८	फूलबाग में कृषि विश्वविद्यालय	२१७–१८
१५९	रेलवे की सूचनाओं और विज्ञापन-पट्टों में हिन्दी की गलतियां	२१८–१९
१६०	उड़ीसा में रेलवे आउट-एजेन्सी .	२१९
१६१	बीना में लोको शेड की दीवार .	२१९–२०
१६२	साधुओं द्वारा रेलगाड़ी को रोक लेना	२२०
१६३	दिल्ली का चिड़ियाघर	२२०–२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२१–२२

(१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४३४ ।

(दो) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की एस० ओ० संख्या ३०११ ।

(२) दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के बांडुंग, इंडोनेशिया में २२ से ३० अगस्त, १९६० तक हुए १३ वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

संशोधन करने वाली दिल्ली गजट में प्रकाशित दिनांक ३ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या १२/५४/६०—ट्रांसपोर्ट की एक प्रति।

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः—

(क) मोटर गाड़ी (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, १९४६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४४।

(ख) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० १२/६९/५५—६०/ ट्रांसपोर्ट और एफ० १२/१०/५९— ट्रांसपोर्ट।

(ग) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १५ दिसम्बर, १९६० के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १२/१८/५३—५९/ट्रांसपोर्ट।

(घ) अन्दमान और निकोवार द्वीप समूह मोटरगाड़ी, नियम १९३९ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ५ दिसम्बर, १९६० के अन्दमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २४७/६०/एफ० ६८—७/५७—पब।

(५) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वर्ष १९५६—५७ के परीक्षित लेखे की एक प्रति, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी वित्तीय समीक्षा सहित।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २२३

सौवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

समिति के लिये निर्वाचन २२३

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर) ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा के सदस्य अपने में से चार सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक विचाराधीन २२४-६४

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक पर विचार किया जाये। श्री त्यागी ने विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २६४

छियत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . २६५

इकसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१ /२८ माघ, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

द्वि-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक पर अग्रेतर विचार और विधेयक का पारित किया जाना, और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1925(Ai) LSD.—13-3-61—125.